क्रम-संख्या 195 (ग-2)

रजिस्टर्ड नं0-एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561

लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41

(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

प्रयागराज, सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 ई0

(आश्विन 1, 1941 शक संवत्)

ऊर्जा विभाग

[ऊर्जा (नि0नि0) प्रकोष्ठ]

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना संख्या यू0पी0ई0आर0सी0/सचिव/बहुवर्षीय वितरण एवं पारेषण टैरिफ विनियमावली, 2019/408

लखनऊ, दिनांक : 23 सितम्बर, 2019, ई0

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण एवं पारेषण टैरिफ) विनियमावली, 2019

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम सं0 36 सन् 2003) की धारा 181 की उपधारा (2) के अनुच्छेद (एच), (आई), (जे), (एल), (एम), (ओ), (वाई), (जेडडी), (जेडई), (जेडएफ), (जेडजी) (जेडएच) तथा (जेडपी) सपठित धारा 36 की उपधारा (1) के परन्तुक, धारा 39 की उपधारा (2) के अनुच्छेद (डी) के उप अनुच्छेद (ii), धारा 39 की उपधारा (2) के अनुच्छेद (डी) के उप अनुच्छेद (ii) का द्वितीय परन्तुक, धारा 40 के अनुच्छेद (सी) का उप अनुच्छेद (ii), धारा 40 के अनुच्छेद (सी) के उप अनुच्छेद (ii) का द्वितीय परन्तुक, धारा 40 का प्रथम परन्तुक, धारा 51 का प्रथम परन्तुक, धारा 61, धारा 62 की उपधारा (2) एवं (5), धारा 64 की उपधारा (1) एवं (3), धारा 65 तथा धारा 86 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थनकारी समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं। यह विनियमावली उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण टैरिफ) विनियमावली, 2014 तथा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय पारेषण टैरिफ) विनियमावली, 2014 का अधिक्रमण करेगी।

1. संक्षिप्त नाम, सीमा, प्रयोज्यता एवं प्रारम्भ :

1.1 यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण एवं पारेषण टैरिफ) विनियमावली, 2019 कहलायेगी।

1.2 यह विनियमावली सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में लागू होगी।

1.3 यह विनियमावली समस्त वर्तमान एवम् भविष्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा उनके उत्तराधिकरियों के अप्रैल, 2020 से मार्च, 2025 तक सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर), वार्षिक सम्पादन की समीक्षा (एपीआर),टैरिफ, ट्रू-अप इस विनियमावली से आच्छादित सम्बन्धित मामलों में निर्धारण हेतु लागू होगी।

1.4 यह विनियमावली दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगी तथा पांच वर्षो के लिए लागू होगी जब तक आयोग द्वारा पूर्व में समीक्षा या बढ़ाया न जाये तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी गजट में प्रकाशित होगी।

प्रतिबन्ध यह कि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की एआरआर,, एपीआर, टैरिफ के निर्धारण, ट्रु-अप तथा सम्बन्धित वर्ष की समीक्षा प्रकरणों सहित अन्य मामले उस विशिष्ट वर्ष के लिये लागू टैरिफ विनियमावली से शासित होंगे।

2. परिभाषाएँ

2.1 इस विनियमावली में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा वांछित न हो–

(1) **"लेखीय विवरण"** से तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष के निम्न विवरण यथा–

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013, के अनुसूची 3 भाग-I, समय समय पर संशोधित, में निहित प्रारूप के अनुसार तैयार किया गया सम्प्रेक्षित तुलन-पत्र।

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013, के अनुसूची 3 भाग-II, समय-समय पर संशोधित, में निहित अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए सम्प्रेक्षित लाभ ..नि खाता।

(iii) इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इण्डिया के नकदी प्रवाह विवरण (IND AS-3), समय समय पर संशोधित, पर लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया गया सम्प्रेक्षित नकदी प्रवाह विवरण।

(iv) अनुज्ञप्तिधारी के वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन।

(v) कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 148 समय-समय पर संशोधित, में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत अभिलेख, यदि कोई हो।

(vi) नोट्स के अतिरिक्त ऐसे अन्य सहायक विवरण तथा सूचना के साथ जैसा आयोग समय पर निर्देशित करे;

(vii) रेट शेड्यूल के अनुसार श्रेणी/उपश्रेणीवार बिल्ड राजस्व।

(2) **"अधिनियम"** से तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) से है, समय समय पर किये गये संशोधनों के अनुसार;

(3) **"अतिरिक्त पूँजीकरण"** का तात्पर्य परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के पश्चात् किये गये अथवा किये जाने वाले अनुमानित पूँजीगत व्यय, विवेकपूर्ण जांच के पश्चात्, इस विनियमावली के प्रावधानों की शर्ताधीन पूँजीगत व्यय से है;

(4) **"सकल राजस्व आवश्यकता अथवा एआरआर"** का आशय अनुज्ञप्तिधारी के व्यवसाय सम्बंधित लागत जो कि इस विनियमावली के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ की वसूली द्वारा की जानी है;

(5) **"आवंटन विवरण"** का आशय अनुज्ञप्तिधारी के प्रत्येक व्यवसाय से (चक्रीय, फुटकर आपूर्ति तथा अन्य व्यवसाय) से सम्बन्धित प्रत्येक वित्तीय वर्ष के विवरणों से है, जिनमें किसी राजस्व, लागत, सम्पत्ति, दायित्व, कोष या प्रावधान आदि की धनराशियाँ दर्शायी गयी हों, जोकि निम्न में से कोई हो सकती है:

(अ) विभाजन या आबंटन के आधार के विवरण के साथ-साथ अनुज्ञापित व्यवसाय सहित अनुज्ञप्तिधारी के विभिन्न व्यवसायों के मध्य विभाजन या आवंटन द्वारा निर्धारित, अथवा

(ब) ऐसे प्रभार के आधार के विवरण के साथ-साथ ऐसे प्रत्येक अन्य व्यवसाय से या उससे भारित;

(6) **"आवंटित पारेषण क्षमता"** का तात्पर्य दीर्घकालीन पारेषण ग्राहक अथवा मध्यकालिक पारेषण ग्राहक को सामान्य परिस्थितियों में पारेषण पर प्रवेश तथा आहरण के विशिष्ट बिन्दुओं के मध्य विद्युत के मेगावाट में स्थानान्तरण से है, जिसे तद्नुसार पारेषण क्षमता का आवंटन माना जायेगा;

24 असा0 7I 01-B

प्रतिबन्ध यह है कि दीर्घकालीन पारेषण ग्राहक अथवा मध्यकालिक पारेषण ग्राहक को आवंटित पारेषण क्षमता विद्युत उत्पादन गृहों से आवंटित उत्पादन क्षमता तथा अनुबंधित ऊर्जा, यदि कोई हो, का योग होगी;

(7) **"उपलब्धता"** निर्दिष्ट अवधि में पारेषण प्रणाली की उपलब्धता का तात्पर्य पारेषण प्रणाली की निर्धारित वोल्टेज पर समयावधि के कुल घंटो में पारेषण पद्धति के विद्युत के पारेषण की क्षमता के घंटों के प्रतिशत से है, जिसका आगणन, जैसा इस विनियमावली के संलग्नक-ब में निर्दिष्ट है, के अनुसार किया जायेगा;

(8) **"आधार वर्ष"** से तात्पर्य वित्तीय वर्ष 2019–20 से है, जो नियंत्रणाधीन अवधि, अर्थात वित्तीय वर्ष का तत्काल पूर्ववर्ती प्रथम वर्ष हो तथा इस विनियमावली के उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाये;

(9) **"विधि में परितर्वन"** का तात्पर्य निम्न घटनाक्रमों में से किसी के घटित होने से है :

(अ) किसी नये भारतीय विधि के अधिनियमन के प्रभावी बनाने या प्रख्यापन; या

(ब) किसी विद्यमान भारतीय विधि का अंगीकरण, संशोधन, रूपान्तरण, निरस्तीकरण अथवा पुर्नअधिनियमन; या

(स) सक्षम न्यायालय, अधिकरण या भारत सरकार के लिखित दस्तावेज, जोकि विधि के अन्तर्गत ऐसी व्याख्या या लागू करने के लिए अन्तिम सक्षम प्राधिकारी हो, के द्वारा किसी भारतीय विधि की व्याख्या या प्रयोज्यता में परिवर्तन; या

(द) किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा परियोजना के लिए किसी सहमति या अनुमति या प्रसंविदा, स्वीकृति या उपलब्ध या प्राप्त की गयी अनुज्ञप्ति के आधीन किये गये परिवर्तन;या

(य) इस विनियमावली के अधीन पारेषण प्रणाली विनियमन में किसी भी द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय अनुबन्ध अथवा सन्धि में भारत सरकार तथा अन्य सक्षम सरकार के मध्य परिवर्तन के लागू होने के फलस्वरूप;

(10) **"आयोग"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उ0प्र0वि0नि0आ0) से है;

(11) **"व्यवसाय की संचालन विनियमावली"**का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (व्यवसाय का संचालन) विनियमावली, 2004 तथा इसके अनुवर्ती संशोधनों/अतिरिक्त सम्मिलित किये जाने एवं इसको निरस्त करने के पश्चात् बनायी गयी नयी विनियमावली से है;

(12) **"नियंत्रण अवधि"** का तात्पर्य 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 तक पांच वर्ष की अवधि से है तथा जैसी आयोग द्वारा बढ़ा दी जाये;

(13) **"कट ऑफ डेट"** का तात्पर्य उस वर्ष की 31 मार्च से है जो किसी परियोजना की वाणिज्यिक परिचालन के वर्ष से दो वर्ष पश्चात् पड़ता हो तथा ऐसे प्रकरण में जब वाणिज्यिक परिचालन वर्ष की अन्तिम तिमाही में पड़ता हो, 'कट ऑफ डेट' उस वर्ष के 3 वर्ष के पश्चात् के वर्ष की 31 मार्च होगी;

(14) **"वाणिज्यिक परिचालन की तिथि(सीओडी)"** का तात्पर्य–

(अ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मामले में वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत लाईन अथवा उपकेन्द्र के घोषित वोल्टेज स्तर पर चार्ज होने की तिथि से है अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चार्ज हो जाने के लिए तैयार घोषित किये जाने की तिथि के पश्चात् परन्तु उपभोक्ता के कारण से चार्ज न होने पर सात दिनों के पश्चात् की तिथि।

(ब) पारेषण प्रणाली के मामले में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत के पारेषण तथा भेजे जाने वाले एवम् प्राप्त करने वाले बिन्दु पर आदान-प्रदान का संकेत होने पर सफलता पूर्वक परीक्षण परिचालन होने पर 0000 बजे से घोषित किये जाने पर।

प्रतिबन्ध यह कि जहाँ पारेषण लाईन तथा उपकेन्द्र किसी विशिष्ट विद्युत गृह से विद्युत की निकासी हेतु समर्पित हैं तो उत्पादन कम्पनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी जहां तक सम्भव हो एक साथ आयोग से सम्पर्क करेंगे तथा इसे उचित प्रभावी अनुबन्ध के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिबंध यह भी कि पारेषण प्रणाली अथवा इसका कोई अंग पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा इसके आपूर्तिकर्ता अथवा ठेकेदार के कारण से नहीं सम्बन्धित उत्पादन गृह की स्थापना अथवा इसके अपस्ट्रीम अथवा डाउन स्ट्रीम की स्थापना के कारण सामान्य सेवा से वन्चित रहता है तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उचित आवेदन के माध्यम से आयोग से पारेषण पद्धति अथवा इसके अंग के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के अनुमोदन हेतु सम्पर्क करेगा।

प्रतिबंध यह भी कि वर्तमान पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के मामले में ऐसी प्रार्थना इस विनियमावली के अन्तर्गत सकल राजस्व आवश्यकता याचिका अथवा एनुअल परफार्मेन्स रिव्यु याचिका अथवा ट्रु-अप याचिका में सम्मिलित की जाये।

(15) **"वितरण प्रणाली"** का तात्पर्य पारेषण लाइनों या (विद्युत) उत्पादन संस्थानों के निकासी बिन्दुओं तथा उपभोक्ताओं के संस्थापन बिन्दुओं के मध्य तारों की प्रणाली एवं सहयुक्त सुविधाओं से है;

(16) **"वितरण वायर व्यवसाय"** का तात्पर्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति के क्षेत्र में विद्युत के चक्रीय के लिए वितरण प्रणाली के परिचालन एवं रख–र .ा के व्यवसाय से है;

(17) **"वित्तीय वर्ष"** का तात्पर्य ऐसी अवधि से है जो एक कलेण्डर वर्ष के अप्रैल 01, से प्रारम्भ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होती है;

(18) **"अपरिहार्य घटना"** इस विनियमावली के उद्देश्य से कोई घटना अथवा परिस्थितियाँ अथवा निम्न कथित घटनाओं अथवा परिस्थितियों के मिश्रण को सम्मिलित करते हुए जो आंशिक अथवा पूर्ण रूप से वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को परियोजनाओं के विनियोग अनुमोदन में प्रदर्शित अवधि में पूरा करने से रोकता हो तथा ऐसी घटनायें अथवा परिस्थितियाँ, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा युक्ति संगत सावधानी अथवा विवेकपूर्ण निगमीय अभ्यास का पालन करने के पश्चात भी उनके नियंत्रण में न हों अथवा उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती थी:

अ) ईश्वरीय कृत्य को सम्मिलित करते हुए सूखा, अग्निकांड तथा विस्फोट, भूचाल, ज्वालामुखी विस्फोट, भूमि स्खलन, बाढ़, चक्रवात, बवंडर, उग्र आंधी, भौगोलिक आश्चर्य अथवा अप्रत्याशित विपरीत ऋतु परिस्थितियाँ, जो गत सौ वर्षों की सांख्यिकी सावधानियों से अधिक है; या

ब) युद्ध, आक्रमण, सैनिक विवाद, विदेशी शत्रु का कृत्य, घेराव, जलयात्रा बन्दी, क्रान्ति, उपद्रव, राजद्रोह, उग्रवादी अथवा सैनिक कार्यवाही सम्बन्धी, कृत्य;या

स) भारत में राष्ट्र–व्याप्त प्रभावी वहन औद्योगित हड़ताल तथा श्रमिक अशांति;

(19) **"कार्यान्वयन अनुबन्ध"** का तात्पर्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा दीर्घकालीन पारेषण ग्राहक के मध्य पारेषण प्रणाली के निर्माण हेतु सम्पादित किसी अनुबन्ध, संविदा अथवा परस्पर सहमति आलेख अथवा किसी ऐसी संधि से है;

(20) **"अनुज्ञप्ति"** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 के अनुच्छेद (क) एवं (ख) के अन्तर्गत जारी अनुज्ञप्ति से है;

(21) **"अनुज्ञापित व्यवसाय"** का अभिप्राय ऐसे कार्यों तथा क्रिया-कलापों से है, जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, अधिनियम के अन्तर्गत आयोग द्वारा जारी अनुज्ञप्ति या माने गये अनुज्ञप्तिधारी होने कारण सम्पादित किये जाने आवश्यक हों;

(22) **"अनुज्ञप्तिधारी"** का आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसको अधिनियम की धारा 14 के अनुच्छेद (क) एवं (ख) के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति जारी की गयी हो एवं इसमें माना हुआ अनुज्ञप्तिधारी भी सम्मिलित है;

(23) **"दीर्घकालीन पारेषण ग्राहक"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे पारेषण प्रभार का भुगतान करने के फलस्वरूप अंतः राज्य पारेषण प्रणाली का 5 वर्ष से अधिक अवधि के उपयोग करने के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ दीर्घकालीन पारेषण सेवा अनुबन्ध है तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अनिवार्य रूप से दीर्घकालीन उपयोगकर्ता होगा जिसके लिए उसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से उचित अनुबन्ध करना होगा;

(24) **"मध्यकालीन पारेषण ग्राहक"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे पारेषण प्रभार का भुगतान करने के फलस्वरूप अंतः राज्य पारेषण प्रणाली का 3 माह से अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम अवधि के उपयोग करने के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ मध्यकालीन पारेषण सेवा अनुबन्ध है;

(25) **"गैर टैरिफ आय"** का आशय ऐसी आय से है, जो टैरिफ (चक्रीय एवं फुटकर आपूर्ति) के अतिरिक्त अन्य अनुज्ञापित व्यवसाय से सम्बंधित है तथा विलम्बित भुगतान अधिभार, परिवेक्षकीय प्रभार आदि सहित;

(26) **"अन्य व्यवसाय"** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 41 एवं 51 के अधीन आस्तियों के अनुकूलतम उपभोग के लिये अनुज्ञप्तिधारी के किसी अन्य व्यवसाय से है;

(27) **"ओपेन एक्सेस ग्राहक"** का तात्पर्य ऐसे उपभोक्ता से है, जिसे उसके आपूर्ति के क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी से अलग अन्य व्यक्ति से विद्युत आपूर्ति की अनुमति आयोग द्वारा प्रदान की गयी है तथा इस अभिव्यक्ति में उत्पादन कम्पनी तथा अनुज्ञप्तिधारी जो ओपेन एक्सेस प्राप्त कर रहे है अथवा प्राप्त करने के इच्छुक है, सम्मिलित है;

(28) **"रेटेड वोल्टेज"** का तात्पर्य निर्माता द्वारा रचित ऐसे वोल्टेज से है जिस पर परिचालन हेतु पारेषण प्रणाली रचित है तथा इसमें ऐसा निम्न वोल्टेज भी सम्मिलित है जिस पर पारेषण लाईन चार्ज है अथवा दीर्घकालीन पारेषण उपभोक्ता से परामर्श के पश्चात पारेषण लाईन को कुछ समय के लिए चार्ज किया गया;

(29) **"फुटकर आपूर्ति व्यवसाय"** का तात्पर्य किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसरण में अपने आपूर्ति क्षेत्र के अंतर्गत उपभोक्ताओं को विद्युत की विक्रय एवम् विद्युत के फुटकर आपूर्ति व्यवसाय से है;

(30) **"फुटकर आपूर्ति टैरिफ"** का तात्पर्य नान–ओपन एक्सेस ग्राहकों को आपूर्ति के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भारित की जाने वाली दर से है, जिसका चक्रीय (व्हीलिंग) एवम् फुटकर आपूर्ति के लिये प्रभार सम्मिलित है;

(31) **"अल्पकालीन पारेषण उपभोक्ता"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अल्पकालीन ओपेन एक्सेस की प्राप्ति हो अथवा प्राप्त करने का इरादा रखता हो जोकि ओपेन एक्सेस 3 माह के बराबर अथवा कम अवधि के लिए है;

(32) **"पारेषण सेवा अनुबन्ध"** का तात्पर्य पारेषण प्रणाली के लिए परिचालन हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा दीर्घकालीन पारेषण ग्राहक के मध्य सम्पादित अनुबन्ध, सम्विदा, पारस्परिक सहमति आलेख तथा अन्य ऐसी सहमति से है;

(33) **"पारेषण प्रणाली"** का तात्पर्य उपकेन्द्र सहित अथवा बिना सम्बद्ध उपकेन्द्र एकल लाईन अथवा लाईनों के समूह से है, जिसमें पारेषण लाईन तथा उपकेन्द्र से सम्बद्ध संयंत्र सम्मिलित हैं;

(34) **"चक्रीय प्रभार"** का तात्पर्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली तथा सम्बद्ध सुविधाओं के विद्युत आवागमन हेतु प्रयोग करने पर अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत प्रभारों के निर्धारण से है;

(35) **"चक्रीय व्यवसाय"** का तात्पर्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत के परिवहन के लिए वितरण प्रणाली के संचालन एवं अनुरक्षण के व्यवसाय से है।

2.2 शब्द और अभिव्यक्ति जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुए हैं तथा परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो विद्युत अधिनियम, 2003 अथवा आयोग के अन्य किन्हीं विनियमों, समय-समय पर संशोधित, के अधीन उन्हें समनुदिष्ट किये गये हैं। ऐसी अभिव्यक्ति, जो यहाँ प्रयुक्त हुई और विनिर्दिष्ट रूप से इन विनियमों या विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित नहीं किये गये हैं, किन्तु किसी सक्षम विधायन द्वारा

पारित किसी विधि के अधीन परिभाषित हैं और राज्य में विद्युत उद्योग पर लागू होते हैं, के वही अर्थ होंगे, जो ऐसी विधि में उनको समनुदेशित किया गया है। ऐसी अभिव्यक्ति, जो इसमें प्रयुक्त हुई है, किन्तु विनिर्दिष्ट रूप से इन विनियमों या अधिनियमों या किसी सक्षम द्वारा पारित किसी विधि में परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो विद्युत उद्योग में उनको सामान्यतः समनुदेशित किया जाता है।

2.3 **"आवेदन"** अथवा **"याचिका"** शब्द की समानार्थ व्याख्या की जायेगी।

2.4 इन विनियमों की व्याख्या में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(अ) यथास्थिति, एकवचन या बहुवचन वाले शब्दों में क्रमशः उनके बहुवचन या एकवचन वाले शब्द भी सम्मिलित किये जायेंगे।

(ब) यहाँ विनियमों के प्रति किये संदर्भो को, लागू विधियों के अनुसरण में आयोग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित या उपान्तरित विनियमों के रूप में माना जायेगा।

(स) शीर्षकों को सुविधा के लिए डाला गया है और इन्हें इन विनियमों के निवर्चन के प्रयोजनार्थ संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

(द) विधानों, विनियमों या दिशानिर्देशों के प्रति संदर्भो/ निर्देशों को यथास्थिति, ऐसे विधानों, विनियमों या दिशा निर्देशों को समेकित, संशोधित या प्रतिस्थापित करने वाले सभी वैधानिक प्रावधानों को सम्मलित करते हुए माना जायेगा।

(य) इन विनियमों के अंग्रेजी तथा हिन्दी पाठ के निर्वचन में किसी भेद या विवाद की दशा में अंग्रेजी पाठ प्रवृत्त होगा।

भाग–अ : सामान्य सिद्धान्त

3. बहुवर्षीय टैरिफ ढाँचा

3.1 सकल राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ से सम्भावित राजस्व के आगणन हेतु बहुवर्षीय टैरिफ ढांचा निम्न तत्वों पर आधारित होगा :

(i) नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए जैसा कि इस विनियमावली में नियत सम्पादन मानदण्डों परिचालकीय मानदण्डों तथा प्रक्षेपपथ स्तर पर अधारित विस्तृत व्यवसाय योजना (बिजनेस प्लान);

(ii) वर्तमान एवं प्रस्तावित टैरिफ से अनुमानित राजस्व तथा एआरआर के पूर्वानुमान को सम्मिलित करते हुए एआरआर याचिका पूर्व वर्ष के सम्प्रेक्षित/अनन्तिम लेखे एवं चालू वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-बही में छः माह के उपलब्ध आंकड़े सहित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत की जायेगी;

(iii) विनियम 4.1 में दर्शायी गयी तालिका के अनुसार परिचालकीय एवं वित्तीय उपलब्धता की वार्षिक उपलब्धता समीक्षा (एपीआर) के साथ-साथ अनुमोदित पूर्वानुमान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वार्षिक प्रस्तुत किये जायेंगे;

(iv) एपीआर तथा ट्रूअप, एआरआर/टैरिफ याचिका के साथ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए जैसा कि इस विनियमावली में निर्दिष्ट है वार्षिक प्रस्तुत की जायेगी;

4. याचिकाएँ नियन्त्रण अवधि में प्रस्तुत की जायेंगी

4.1 इस विनियमावली के अधीन नियन्त्रण अवधि में प्रस्तुत की जाने वाली याचिका में निम्न सम्मिलित होगा :

प्रस्तुतीकरण की तिथि	ट्रू-अप	एपीआर	एआरआर/टैरिफ
15.10.2019	**वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 के लिए व्यवसाय योजना**		
30.11.2019	वि.व. 2018–19 (बहुवर्षीय टैरिफ विनियमावली, 2014 के अनुसार)*	वि.व. 2019–20 (बहुवर्षीय टैरिफ विनियमावली, 2014 के अनुसार)*	वित्तीय वर्ष 2020–21
30.11.2020	वि.व. 2019–20 (बहुवर्षीय टैरिफ विनियमावली, 2014 के अनुसार)	वि.व. 2020–21	वित्तीय वर्ष 2021–22
30.11.2021	वि.व. 2020–21	वि.व. 2021–22	वित्तीय वर्ष 2022–23
30.11.2022	वि.व. 2021–22	वि.व. 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24
30.11.2023	वि.व. 2022–23	वि.व. 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25

* *याचिका बहुवर्षीय वितरण टैरिफ विनियमावली, 2014 एवं बहुवर्षीय पारेषण टैरिफ विनियमावली, 2014 के अनुसार प्रस्तुत की जायेगी, यद्यपि, इन विनियमों के अनुसार यहएआरआर याचिका के साथ सम्बन्धित वर्ष के 30 नवम्बर को प्रस्तुत की जायेगी।*

4.2 आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों तथा प्रारूपों, समय समय पर संवर्धित/संशोधित, के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त से सम्बन्धित आंकड़े प्रस्तुत करेगा।

5. व्यवसाय योजना तथा एआरआर याचिका

5.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी निदेशक मण्डल अथवा उनके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत समिति/व्यक्ति द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 की व्यवसाय योजना 15–10–2019 तक श्रेणी/उपश्रेणीवार उपभोक्ताओं की संख्या, कनेक्टेड लोड, लोड फैक्टर एवं विक्रय के अनुमान, विद्युत क्रय योजना (नवीकरणीय एवं गैरनवीकरणीय ऊर्जा) तथा पूर्वानुमान, नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व (आरपीओ) योजना एवं पूर्वानुमान, वितरण हानियों के प्रक्षेपपथ (उदय में वितरण हानियों के प्रक्षेपपथ प्रतिबद्धता को विचारित करते हुए), पूंजी निवेश योजना, वित्त पोषण योजना एवं भौतिक लक्ष्य, साम्या, अनुदान आदि आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों तथा प्रारूपों लागू शुल्क सहित, को सम्मिलित करते हुए जो इन्हीं तक सीमित नहीं होगा, प्रस्तुत की जायेगी। उपरोक्त आवश्यकता आयोग की इस सम्बन्ध में अन्य सूचनायें, जिसको आवश्यक समझा जाये, मांगने के अधिकार को सीमित नहीं करता है।

5.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी निदेशक मण्डल अथवा उनके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत समिति/व्यक्ति द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 की व्यवसाय योजना 15–10–2019 तक पारेषण क्षमता, सर्किट लाइनलेंथ, उपखण्डों की संख्या, पूंजी निवेश योजना, वित्त पोषण योजना एवं भौतिक लक्ष्य, साम्या, अनुदान आदि आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों तथा प्रारूपों लागू शुल्क सहित, को सम्मिलित करते हुए जो इन्हीं तक सीमित नहीं होगा, प्रस्तुत की जायगी। उपरोक्त आवश्यकता आयोग की इस सम्बन्ध में अन्य सूचनायें, जिसको आवश्यक समझा जाये, मांगने के अधिकार को सीमित नहीं करता है।

5.3 पूंजी निवेश योजना में चालू परियोजनायें जो नियन्त्रण अवधि में सरकती रहेंगी तथा नयी परियोजनाएँ (औचित्य के साथ) जो नियन्त्रण अवधि में प्रारम्भ होंगी परन्तु इसमें या इसके बाद की अवधि में पूर्ण हो सकती हैं, अलग–अलग दर्शायी जायेंगी, जिसके लिये सम्बन्धित तकनीकी एवं वाणिज्यिक विवरण उपलब्ध कराये जायेंगे।

5.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी मेरिट आर्डर डिस्पैच/सिक्युरिटी कान्स्ट्रेन्ड इकोनामिक डिस्पैच (एससीईडी) सिद्धान्त के अधीन समस्त विद्युत गृहों तथा अन्य स्रोतों से, आयोग द्वारा उपयुक्त विनियमों एवं उनके अनुवर्ती संशोधनों में नियत अनिवार्य संचालित प्लांट एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व(आरपीओ) के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा प्लाटों तथा उर्जा कुशलता (ईई) एवं मांग आधारित ऊर्जा प्रबंधन (डीएसएम) के अन्तर्गत लक्ष्य, यदि कोई हो, के आधार पर न्यूनतम लागत पर वास्तविक विद्युत क्रय प्रायोजित करेगा:

प्रतिबन्ध यह कि आयोग द्वारा नियत नवीकरणीय विद्युत क्रय बाध्यता (आरपीओ) तक एमओडी/एससीईडी सिद्धान्त लागू नहीं होगा।

5.5 टैरिफ से सम्भावित राजस्व के अनुमान निम्न पर आधारित होंगे :

अ) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के मामले में सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का प्राक्कलन अथवा पारेषण पद्धति उपयोगकर्ता को आवंटित पारेषण क्षमता का आंकलन, जो लागू हो;

ब) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मामले में उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली तथा वितरण पद्धति उपयोगकर्ता की ओर से व्हील्ड की गयी विद्युत की मात्रा का आंकलन :

प्रतिबन्ध यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक अनुज्ञापित वितरण क्षेत्र के लिए श्रेणी / उपश्रेणीवार उपभोक्ताओं की संख्या, कनेक्टेड लोड एवं ऊर्जा विक्रय पूर्वानुमान, मीटरिंग की स्थिति, फीडर स्तर/वितरण परिवर्तकों की मीटरिंग, ऋतु काल को संज्ञान में लेते हुए विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के विचुलन मापांक इत्यादि का उपयुक्त विवरण प्रस्तुत करेगा।

स) याचिका प्रस्तुत किये जाने की तिथि को लागू एवं प्रस्तावित टैरिफ।

5.6 अनुज्ञप्तिधारी अनुमोदित व्यवसाय योजना के आधार पर एआरआर याचिका दाखिल करेगा जिसमें एआरआर का पूर्वानुमान एवं विद्यमान टैरिफ से अपेक्षित राजस्व शामिल होगा। अग्रेतर अनुज्ञप्तिधारी श्रेणी/उपश्रेणीवार प्रस्तावित टैरिफ भी प्रस्तुत करेगा, जो कि एआरआर में अन्तर को पूरा करेगा, जिसमें पूर्व के वर्षों का शेष राजस्व अन्तर प्रस्तावित भरपाई की सीमा तक शामिल होगा।

5.7 याचिका को स्वीकार करने से पूर्व आयोग एक तकनीकी सत्यापन सत्र आयोजित करेगा। वांछित कार्यवाही के पूर्ण हो जाने तथा प्रस्तुतीकरण से आयोग की संतुष्टि हो जाने पर आयोग एक स्वीकृति आदेश (एडमिटेन्स आर्डर) निर्गत करेगा, जिसके पश्चात अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ट्रु–अप/एपीआर/एआरआर/टैरिफ को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुतीकरण के विवरण को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना वांछित होगा।

5.8 एआरआर का संक्षिप्त सार प्रस्तावित टैरिफ, ट्रु–अप, अन्य ऐसी मदें जैसा आयोग निर्देशित करे तथा हितधारकों एव जनसमूह से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित करते हुए याचिकाकर्ता एडमिटेंस आदेश प्राप्ति के तीन कार्यदिवसों के भीतर इसके अनुज्ञापित क्षेत्र में विस्तृत प्रसार रखते हों कम से कम ऐसे दो अंग्रेजी तथा दो हिन्दी के समाचार पत्रों मे सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा :

प्रतिबन्ध यह कि आयोग जैसा निर्दिष्ट करे उस रूप में रेगुलेटरी फाइलिंग, सूचनायें, विवरण तथा अभिलेखों सहित आयोग के समक्ष प्रस्तुत याचिका को याचिकाकर्ता अपनी वेबसाईट पर डालेगा। याचिकाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि इन सूचनाओं की डाउनलोडिंग के लिए व्यक्तिगत सूचनाओं को उपलब्ध कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

प्रतिबन्ध यह भी कि आयोग याचिकाकर्ता को ऐसी सूचनायें अथवा अभिलेख, जो गोपनीय प्रकृति के हों, को प्रदान करने से छूट प्रदान कर सकता है।

5.9 याचिका स्वीकार करने के पश्चात् एक सौ बीस दिन के अन्दर हितधारकों तथा जनता से विस्तार में प्राप्त सुझावों तथा आपत्तियों को विचारित करने के उपरान्त आयोग :

अ) ऐसे परिवर्तन अथवा शर्तें जिन्हें आदेश में दर्शाया जाये याचिका को स्वीकार कर टैरिफ आदेश निर्गत करेगा;या

ब) यदि याचिका अधिनियम के प्राविधानों तथा विधि के अन्य प्राविधानों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवम् विनियमों के अनुरूप नहीं है तो आयोग याचिकाकर्ता को सुनवाई हेतु उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त ऐसे कारणों को लिखित में सूचित कर याचिका को अस्वीकार करेगा।

5.10 याचिकाकर्ता आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ को कम से कम ऐसे दो अंग्रेजी तथा दो हिन्दी समाचार पत्रों में, जिनका उसके अनुज्ञापित क्षेत्र में वृहद प्रसार हो, प्रकाशित करेगा तथा अनुमोदित टैरिफ सूचियां अपने वेबसाईट पर उपलब्ध करायेगा एवं अंग्रेजी व हिन्दी भाषाओं में अनुमोदित टैरिफ /रेट शेड्यूल को शामिल करते हुए पुस्तिका विक्रय के लिए उपलब्ध करायेगा।

5.11 ऐसा प्रकाशित टैरिफ, आदेश में दर्शायी गयी तिथि से प्रभावी होगा तथा अन्यथा शोधित अथवा संशोधित न होने पर ऐसी अवधि के लिए, जैसी उसमें दर्शायी गयी हो, प्रभावी रहेगा।

6. ट्रु–अप

6.1 अनुज्ञप्तिधारी ट्रूअप याचिका इस विनियमावली के विनियम 4.1 के अनुसार दाखिल करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि याचिका में सूचनायें, लेखीय विवरण, लेखा पुस्तकों का सार एवं अन्य विवरण उन दिशानिर्देशों के अनुसार, उस रूप में सम्मिलित होंगी जैसा कि आयोग नियत करे।

6.2 इस विनियमावली में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार आयोग ट्रु–अप कियान्वयन करेगा। राजस्व एवं व्ययों का ट्रु–अप अनुमोदित एवं वास्तविक व्ययों के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी के वित्तीय वर्ष के लेखीय विवरणों की विवेकपूर्ण जांच पर आधारित होगा।

6.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि श्रेणी/उपश्रेणीवार बिल्ड राजस्व लेखीय विवरणों में सम्मिलित हों।

7. वार्षिक सम्पादन की समीक्षा

7.1 जैसाकि इस विनियमावली के विनियम 4.1 में प्राविधानित है अनुज्ञप्तिधारी वार्षिक कार्य सम्पादन समीक्षा याचिका (एपीआर) प्रस्तुत करेगा :

प्रतिबन्ध यह कि सम्प्रेक्षित/ अनन्तिम लेखीय विवरणों, लेखा पुस्तकों का सार एवं अन्य विवरणों के साथ सूचनायें उन दिशानिर्देशों के अनुसार, उस रूप में सम्मिलित होंगी जैसा कि आयोग नियत करे।

8. **नियन्त्रणीय एवं अनियन्त्रणीय कारक**

8.1 आयोग द्वारा निर्धारित अनियन्त्रणीय कारकों में निम्न कारक सम्मिलित होंगे, जोकि अनुज्ञप्तिधारी के नियन्त्रण से बाहर होंगे तथा उनके द्वारा कम नहीं किये जा सके:–

अ) अपरिहार्य घटनायें;

ब) विधि में परिवर्तन;

स) कर, शुल्क तथा वैधानिक लेवी;

द) आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत क्रय अनुबन्ध अथवा व्यवस्था के अनुच्छेदों के प्रतिबन्ध सहित अनुमोदित स्रोतों से विद्युत क्रय की अनुमोदित लागत में विचलन;

य) दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज दर में विचलन;तथा

र) अन्य व्यय–इसमें वेतन आयोग द्वारा वेतन पुनरीक्षण अथवा आयोग द्वारा विवेकपूर्ण परीक्षण के उपरान्त स्वीकृत अन्य व्यय सम्मिलित होंगे;

8.2 नियंत्रणीय कारक निम्न को, परन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे, सम्मिलित करेंगें:–

अ) भूमि अधिग्रहण प्रकरण के कारण समय और/अथवा लागत वृद्धि दक्षता के कारण पूंजीगत व्यय में विचलन;

ब) परियोजना को लागू करने में क्षमतायें जो ऐसी परियोजना के अनुमोदित परिवर्तन से वर्गीकृत नहीं होगा, सरकारी कर में परिवर्तन अथवा अपरिहार्य घटना तथा पारेषण अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता अथवा एजेंसी के कारण परियोजना के कियान्वयन में विलम्ब;

स) अशोध्य ऋण;

द) निर्दिष्ट निष्पादन मानक एवं मापदण्डों में विचलन;

य) कार्यशील पूंजी ब्याज में विचलन;

र) उपरोक्त खण्ड अ में निर्दिष्ट पूंजीकरण में विचलन के कारण वित्तीयन पैटर्न में विचलन;

ल) वितरण हानियों में विचलन;

व) जैसा निर्दिष्ट किया जाये आपूर्ति की गुणवत्ता में विचलन;

श) परिचालन एवं अनुरक्षण व्ययों में विचलन।

9. **अनियन्त्रणीय कारकों के फलस्वरूप लाभ एवं हानियों का प्रबन्धन**

9.1 जैसाकि इस विनियमावली में निर्दिष्ट है तथा इस विनियमावली के अधीन आयोग द्वारा पारित आदेश में निर्धारण किया जाये अनियन्त्रणीय कारकों के फलस्वरूप अनुज्ञप्तिधारी को अनुमोदित सकल लाभ अथवा हानि अनुज्ञप्तिधारी की एआरआर अथवा टैरिफ में समायोजित की जायेंगी।

9.2 विनियम 8.1 से आच्छादित विद्युत क्रय में विचलन के फलस्वरूप वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सकल लाभ अथवा हानि इस विनियमावली के विनियम 16 के अनुसार में विद्युत क्रय समायोजन वृद्धि के रूप में प्रदान की जायेगी।

10. **नियन्त्रणीय कारकों के फलस्वरूप लाभ अथवा हानियों का प्रबन्धन**

10.1 एआरआर में अनुमोदित एवं ट्रूअप के अनुसार वास्तविक मूल्यों में न्यून को आयोग द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

भाग–ब: एआरआर/टैरिफ निर्धारण की प्रकिया

11. अनुज्ञप्तिधारी के लिए टैरिफ का निर्धारण

11.1 आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस विनियमावली में निर्धारित प्रकिया के अनुसार प्रस्तुत याचिका के विचारोपरांत अनुज्ञप्तिधारी के लिए एआरआर एवं टैरिफ का निर्धारण करेगा।

11.2 आयोग अनुज्ञप्तिधारी के लिए एआरआर/टैरिफ का निर्धारण निम्न के लिए करेगा:–

अ) इस विनियमावली के 'भाग य' में नियम एवं शर्तों की अनुरूपता में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए,

ब) इस विनियमावली के 'भाग र' में नियम एवं शर्तों की अनुरूपता में वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए।

11.3 याचिकाकर्ता एआरआर का पूर्वानुमान एवं विद्यमान टैरिफ से अपेक्षित राजस्व को शामिल करते हुए कन्डक्ट ऑफ बिजनेस विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रानिक रूप में (आयोग के ई–फाइलिंग पोर्टल) जो डिजिटल हस्ताक्षरित हो, के साथ हार्ड एवं साफ्ट प्रतियों में याचिकायें दाखिल करेगा। अग्रेतर अनुज्ञप्तिधारी श्रेणी/उपश्रेणीवार प्रस्तावित टैरिफ, जो कि एआरआर में अन्तर को पूरा करेगा, जिसमें पूर्व के वर्षों का शेष राजस्व अन्तर प्रस्तावित भरपाई की सीमा तक शामिल होगा एवं अन्य सूचनायें अथवा विवरण अथवा अभिलेख जैसा कि आयोग द्वारा अपेक्षित हो,भी प्रस्तुत करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि पूंजी निवेश आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना एआरआर याचिका में शामिल नहीं की जायेगी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि याचिका के साथ श्रेणीवार टैरिफ दर्शाते हुए विस्तृत टैरिफ पुनरीक्षण प्रस्ताव एवं एआरआर में अन्तर / आधिक्य, यदि कोई हो, की भरपाई इस पुनरीक्षण से कैसे होगी, भी सम्मिलित किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि अनुज्ञप्तिधारी एआरआर याचिका के साथ आयोग द्वारा जारी किये गये पूर्व के तीन टैरिफ आदेशों में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की वस्तुस्थिति का एक विवरण भी प्रस्तुत करेगा।

11.4 सम्प्रेक्षित/ अनन्तिम लेखीय विवरण, परिचालकीय एवं लागत आंकड़े तथा कार्य उपलब्धिता विवरण, जो एआरआर/टैरिफ निर्धारण हेतु वांछित हो, सहित याचिकाकर्ता आयोग को ऐसी समस्त पुस्तकें एवं अभिलेख/अथवा उनकी सत्यापित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करेगा।

भाग– स : विद्युत क्रय

12. प्रयोज्यता

इस भाग में सम्मिलित विनियम प्रदेश में विद्युत के वितरण एवं आपूर्ति हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत क्रय हेतु अनुबंध अथवा अन्य व्यवस्था के माध्यम से विद्युत गृह एवं ट्रेडिंग अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या अन्य किसी माध्यम से की गयी विद्युत हेतु लागू होंगे।

13. विद्युत क्रय हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त

13.1 विद्युत क्रय योजना की अनुरूपता में जैसा इस विनियमावली में निर्दिष्ट है आयोग द्वारा अनुमोदित एवं निर्धारित, जिसमें दीर्घ अवधि, मध्यावधि तथा लघु अवधि विद्युत क्रय, यदि कोई सम्मिलित हो, वितरण अनुज्ञप्तिधरी वर्ष के दौरान विद्युत क्रय करेगा।

14. विद्युत क्रय योजना

14.1 अपने आपूर्ति क्षेत्र की मांग की उपलब्धता हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी एक विद्युत क्रय योजना तैयार करेगा तथा ऐसी योजना को अनुमोदन हेतु आयोग को प्रस्तुत करेगा :

प्रतिबन्ध यह कि जैसा इस विनियमावली में निर्दिष्ट है 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 तक की नियन्त्रण अवधि के व्यवसाय योजना को याचिका के साथ पूर्ण नियंन्त्रण अवधि के लिए ऐसी विद्युत क्रय योजना प्रस्तुत की जायेगी।

14.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत क्रय योजना विनियम 5.4 का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी तथा लागत अनुकूलतम होगी तथा निम्न को सम्मिलित करेगी :

अ) आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत के लिए मौसमी विचलन में अप्रतिबन्धित आधार भार तथा पीक भार के मात्रायुक्त अनुमान;

ब) स्वयं के उत्पादन सहित, यदि कोई हो, विद्युत क्रय के चिन्हित स्रोतों से विद्युत आपूर्ति की अनुकूलतम मात्रा एवं लागत का आकलन;

स) भार आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए किये गये विद्युत क्रय अनुबन्ध (पीपीए) एवं अनुबन्ध/समझौते,

द) मौसमी विचलनों में आधार भार तथा पीक भार आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्याप्त विद्युत उपलब्धता का अनुमान;

प्रतिबन्ध यह कि संयंत्र के प्लान्ट लोड फैक्टर (पीएलएफ) सहित मांग एवं आपूर्ति की मांग का आंकलन मासिक आधार पर मेगावाट (एमडब्लू) में होगा तथा साथ ही मिलियन यूनिट (एमयू) में दर्शाया जायेगा;

य) राज्य वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 तक अनुमानित मांग की पूर्ति के लिए कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन के साथ पहले से किये गये पर्याप्त दीर्घकालिक क्षमता पीपीए समझौतों को संज्ञान में लेते हुए दिसम्बर 2022 तक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के साथ कोई नये दीर्घकालिक पीपीए नहीं किये जायेंगे अथवा जब तक कि आयोग के अग्रेतर आदेश न हों;

र) सम्बन्धित विनियमों अथवा आयोग के आदेशों की अनुरूपता में आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता के सम्बन्ध में स्तर बनाये रखना;

ल) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा कुशलता तथा मांग आधारित प्रबंधन के लिये प्रस्तावित उपाय;

व) उपर्युक्त (अ) से (ल) तक पर आधारित स्वयं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि, यदि कोई हों, आपूर्ति के नये स्रोतों की पहचान सहित विद्युत क्रय के नये स्रोतों की आवश्यकता;

श) ओपन एक्सेस का भार पर प्रभाव;

ष) पारेषण एवं वितरण क्षमताओं को संज्ञान में लेते हुए;

स) सम्पूर्ण मांग/उर्जा क्रय पर नवीकरणीय उर्जा का प्रभाव;

ह) बैटरीज, ई0वी0 चार्जिंग स्टेशनों आदि को शामिल करते हुए भण्डारण क्षमताओं का प्रभाव;

क्ष) अन्य कोई पहलू, जैसा आयोग द्वारा वांछित हो :

प्रतिबन्ध यह कि विद्युत की मात्रा जो क्रय की जायेगी (एमयू में) तथा अधिकतम मांग (एमडब्लू में) पीक तथा ऑफ पीक अवधि की दीर्घकालीन योजना में पूर्वानुमान अथवा प्राक्कलन अलग–अलग दर्शाये जायेंगे।

14.3 पूर्वानुमान अथवा प्राक्कलन, पूर्व के आंकड़े तथा भविष्य के सम्बन्ध में उचित कल्पना के आधार पर पूर्वानुमानों की तकनीकों का प्रयोग करते हुए तैयार किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह कि पूर्वानुमान अथवा प्राक्कलन कारकों, जैसे राज्य का सम्पूर्ण आर्थिक विकास, विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का आगमन, कैप्टिव पावर एवं ग्रिड माइग्रेशन की प्रवृत्ति, विद्युत हानि में कमी प्रोत्साहनों का प्रभाव, एवं ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता उपकरणों का प्रयोग, ईंधन आपूर्ति एवं लागत, नवीकरणीय का प्रभाव आदि को संज्ञान में लिया जायेगा।

14.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी लघुकालिक मौसमी पीक विद्युत केवल प्रचलित बाजार तंत्र के माध्यम से खरीद सकता है यथा विद्युत विनिमय, दीप पोर्टल पर प्रतिस्पर्धी बोली अथवा अन्य राज्यों के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ द्विपक्षीय बैंविंग व्यवस्था के माध्यम से।

14.5 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह आवश्यक है कि वह आर0पी0ओ0 की पूर्ति विभिन्न प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए एस0बी0डी0 दिशानिर्देशों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी टैरिफ नीति के अनुसार दीर्घकालिक नवीकरणीय ऊर्जा क्रय /अनुबन्ध करे।

14.6 वितरण अनुज्ञप्तिधारी अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण प्रणाली योजना के साथ इसकी सम्बद्धता के सत्यापन हेतु अपनी विद्युत क्रय योजना की एक प्रति राज्य पारेषण उपक्रम को अग्रसारित करेगा :

प्रतिबन्ध यह कि ऐसी योजना की पारेषण सम्बद्धता सुनिश्चित करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत क्रय योजना तैयार करते समय राज्य पारेषण उपक्रम से भी परामर्श करेगा।

14.7 उपलब्धता के आधार पर टैरिफ की व्यवस्था में, डिवियेशन सेटलमेंट मैंकेनिज्म (डी0एस0एम0) के माध्यम से क्रय विद्युत की लागत आगामी वर्ष के टैरिफ में स्वीकृत करने की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन दी जायेगी:–

अ) डी0एस0एम0 के माध्यम से विद्युत क्रय की औसत दर आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी के मेरिट आर्डर के अन्तर्गत विद्युत क्रय की अधिकतम दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ब) डी0एस0एम0 के माध्यम से क्रय की गयी विद्युत यूनिट्स की कुल लागत आयोग द्वारा अनुमोदित कुल विद्युत क्रय लागत के 10 प्रतिशत तक प्रतिबन्धित होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ डी0एस0एम0 के माध्यम से विद्युत क्रय की औसत दर अनुज्ञप्तिधारी के मेरिट आर्डर के अन्तर्गत निर्दिष्ट अधिकतम विद्युत क्रय दर से अधिक होती है, इस विद्युत क्रय की लागत आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी के मेरिट आर्डर के अन्तर्गत विद्युत क्रय के लिए अधिकतम दर से आगामी वर्षो के टैरिफ में स्वीकृत की जायेगी चाहे 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा जैसा कि खण्ड ब में दिया गया है तक पहुंची हो अथवा नहीं।

14.8 दीर्घ/मध्यम/लघुकालिक विद्युत क्रय की औसत दर की आयोग एक सीमा अधिरोपित कर सकता है।

15. अतिरिक्त विद्युत क्रय

15.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी,आपातकाल की स्थिति में जब वितरण प्रणाली की स्थिरता जोखिम में हो अथवा ग्रिड की गिरावट को रोकने के लिए एसएलडीसी द्वारा ऐसा करने के लिए निर्देशित किया गया हो, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना विद्युत क्रय के लिए लघुकालिक व्यवस्था अथवा अनुबन्ध कर सकता है।

15.2 जहाँ वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नया अल्पावधि का आपूर्ति का स्रोत, विद्युत विनिमय अथवा दीप पोर्टल अथवा बैंकिंग से, चिन्हित किया जाये जिसमें विद्युत की क्रय ऐसे टैरिफ पर की जा सकती है जो कुल अनुमोदित विद्युत क्रय लागत को कम करती है वह ऐसे आपूर्तिकर्ता से अल्पावधि का विद्युत क्रय अनुबंध अथवा व्यवस्था आयोग के बिना पूर्व अनुमोदन के कर सकता है। फिर भी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे स्रोत से विद्युत क्रय का कुल टैरिफ दीर्घ/मध्यम अवधि के विद्युत क्रय स्रोतों की अस्थिर लागत से कम है।

16. विद्युत क्रय लागत में हुई वृद्धि का उपचार

16.1 लागत वृद्धि की पहचान तथा उसकी वसूली की प्रक्रिया :

अ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी ईंधन अधिभार दर के कारण विचलन त्रैमासिक आधार पर संगणित बढ़ी हुई लागत की वसूली करेगा।

ब) ईंधन अधिभार में विचलन के फलस्वरूप बढ़ी हुयी लागत आगणित की जायेगी तथा ईंधन अधिभार दर में वास्तविक विचलन के आधार पर भारित की जायगी। इसके सापेक्ष टैरिफ आदेश में अनुमोदित लागत निहित होगी और ईंधन अधिभार में अनुमान या सम्भावित विचलन के आधार पर आगणित नहीं की जायगी।

स) बढ़ी हुई (विनियम 15.1 तथा 15.2 में क्रय की गयी विद्युत सहित) के कारण बढ़ी हुई लागत की संगणना विनियम 16.2 में प्रदत्त सूत्र के आधार पर की जायेगी।

द) विस्तृत संगणना तथा समर्पित अभिलेख, जो आयोग के सत्यापन तथा अनुमोदन हेतु वांछित हों, सम्बन्धित तिमाही (N के रूप में चिन्हित) में व्यय की गयी वृद्धि सम्मत लागत का विवरण जिसकी वसूली समस्त उपभोक्ताओं से की जायेगी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्बन्धित तिमाही के दो माह बाद वाली तिमाही (N+2) के प्रथम माह में प्रस्तुत की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वृद्धि सम्मत लागत नियमित एवं यथासमय दाखिल की जायेगी अन्यथा अस्वीकार करने के साथ कठोर कार्यवाही की जा सकती है।

य) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भारित की जाने वाली वृद्धि सम्मत लागत की जांच आयोग द्वारा ऐसे प्रस्तुत अभिलेखों के माध्यम से की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि विसंगतियॉ, यदि कोई हो, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को एक माह के भीतर सूचित किया जायेगा।

र) ऋणात्मक वृद्धि सम्मत लागत की दशा में, केडिट उपभोक्ताओं को वृद्धि सम्मत विद्युत क्रय मद के अन्तर्गत दिया जायेगा, ताकि आयोग द्वारा निर्धारित आधार टैरिफ प्रभावी रूप से यथावत रहे।

ल) आयोग फिर भी उपयुक्त रूप से वृद्धि सम्मत लागत के लिए सूत्र को संशोधित/परिवर्तित, पृथक सूत्र/प्रकिया को अपनाने की प्रकिया कर सकता है यदि इसे अधिक उपयुक्त विचारित करे।

16.2 बढ़ी हुई लागत की संगणना का सूत्र–

$$ICn = Cn + An\text{-}2$$

जहाँ,

ICn सम्बन्धित nth तिमाही की (यह कि बढ़ी हुई लागत nth तिमाही के लिए आगणित तथा (n+2)th तिमाही में भारित होने वाली) रु. करोड़ में बढ़ी हुई लागत है;

Cn nth तिमाही में आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में अनुमोदित स्रोतों से क्रय की गयी विद्युत की ईंधन (अस्थिर) लागत तथा टैरिफ आदेश में अनुमोदित स्रोतों के स्थान पर अन्य स्रोतों से क्रय की गयी विद्युत की ईंधन (अस्थिर) लागत में रु. करोड़ में परिवर्तन है;

An-2 (n+2)th तिमाही के समायोजन की रु. करोड़ में अधिक/कम वसूली है;

तथा जहाँ,

Cn=$AFC_{App} + AFC_{pp}$

जहाँ,

AFC_{App} आयोग द्वारा अनुमोदित स्रोतों से क्रय की गयी विद्युत ईंधन (अस्थिर) लागत में परिवर्तन है, जो आयोग द्वारा निर्देशित हीट रेट तथा सहायिकी उपभोग आदि सहित नार्म्स के आधार पर रु. करोड़ में आगणित किया जायेगा;

AFC_{pp} टैरिफ आदेश में अनुमोदित स्रोतों के प्रतिस्थापन से भिन्न अन्य स्रोतों से क्रय की विद्युत की अस्थिर लागत में परिवर्तन है, जो रु. करोड़ में इस विनियमावली में निर्धारित सिद्धान्तों तथा लागू टैरिफ की संतुष्टि तक तथा लागू नार्म्स के प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किया जायेगा;

तथा जहाँ,

An-2= ICn-2– Rn-2

जहाँ,

ICn-2(n-2) तिमाही की रु. करोड़ में वृद्धि सम्मत लागत है;

Rn-2(n-2) तिमाही की रु. करोड़ में वास्तविक वसूली है।

16.3 औसत ICn (Rs/kWh) = {ICn/[(मीटर्ड बिक्री + अनमीटर्ड बिक्री + आधिक्य वितरण हानियां) x 10]};

जहाँ,

औसत ICn (Rs/kWh) nth तिमाही के लिये प्रति यूनिट बढ़ी हुई लागत है;

ICn करोड़ रूपये में एवं यूनिट बिक्री मिलियन यूनिटस में है।

अतिरिक्त वितरण हानि= ऊर्जा आगत – ऊर्जा बिक्री – (वितरण हानि प्रतिशत जैसा कि आयोग निर्दिष्ट करे* ऊर्जा आगत)

16.4 उपश्रेणीवार ICn (Rs/kWh) निम्न सूत्रानुसार आगणित किया जायेगा :

[वर्ष के लिए टैरिफ आदेश में अनुमोदित उपश्रेणी उपभोक्ताओं का समेकित औसत बिलिंग दर ABR(in Rs / kWh)/वर्ष के लिए टैरिफ आदेश में अनुमोदित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों का समेकित सम्पूर्ण ABR (in Rs / kWh)] x औसत ICn (in Rs / kWh).

16.5 किसी भी उपश्रेणी की उपश्रेणीवार वृद्धि सम्मत लागत (ICn) सम्बन्धित उपश्रेणी के ABR अथवा अन्य ऐसी सीमा जो आयोग द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट की जाये उसके 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ICn में निर्धारित सीमा में आधिक्य आगे ले जाया जायेगा तथा ऐसी अवधि में वसूल किया जायेगा, जैसा कि आयोग निर्देशित करे।

भाग–द : वित्तीय सिद्धान्त

17. वित्तीय दूरदर्शिता

17.1 अनुज्ञप्तिधारी अपने वित्त का प्रबन्धन सर्वोत्तम एवं दूरदर्शितापूर्ण रीति से करेगा।

17.2 आयोग अनुज्ञप्तिधारी के एआरआर तथा टैरिफ के निर्धारण में निम्न कारकों के सम्बन्ध में वित्तीय दूरदर्शिता, क्रियान्वयन का निर्धारण करेगा :

अ) राजस्व;

ब) पूंजीगत व्यय / लागत;

स) अन्य व्यय :

प्रतिबन्ध यह है कि आयोग विवेकपूर्ण जांच के पश्चात अक्षमता अथवा दण्डात्मक उपाय के कारण एआरआर के एक भाग को अस्वीकृत कर सकता है।

17.3 राजस्व से सम्बन्धित वित्तीय दूरदर्शिता निम्न मानदण्ड के आधार पर निर्धारित की जायेगी :

अ) क्या उपश्रेणीवार विक्रय के अनुमान वास्तविक प्राकलन पर आधारित है तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रय में अनियमित बढ़त/कमी प्रस्तावित करने हेतु पर्याप्त कारण प्रस्तुत किये गये हैं;

ब) क्या कुल योग में मीटर सहित उपभोक्ताओं एवं मीटर सहित उपभोग का प्रतिशत आयोग द्वारा उसके टैरिफ/अन्य आदेशों में अनुमोदित किये गये अनुमानों के समान हैं;

प्रतिबन्ध यह है कि अनुज्ञप्तिधारी (एलएमवी–5, निजी नलकूप/सिंचाई उद्देश्यों के लिए पम्पिंगसेट के लिए लघु विद्युत, को छोड़कर) दिनांक 31–03–2021 तक शतप्रतिशत मीटरिंग पूरी करेगा, इसमें असफल होने की दशा में आयोग द्वारा माने हुए राजस्व की गणना की जायेगी जिसमें कि लगातार अनुपालन न होने की दशा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा सकती है:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि अनुज्ञप्तिधारी एलएमवी–10 (विभागीय कर्मचारी एवं पेंशनर्स) श्रेणी में दिनांक 31–03–2020 तक शतप्रतिशत मीटरिंग पूरी करेगा, इसमें असफल होने की दशा में आयोग द्वारा माने हुए राजस्व की गणना की जायेगी जिसमें कि लगातार अनुपालन न होने की दशा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा सकती है।

स) क्या संकलित राजस्व आयोग द्वारा उसके टैरिफ/अन्य आदेशों में अनुमोदित किये गये अनुमानों के समान है।

17.4 व्ययों से सम्बन्धित वित्तीय विवेकपूर्ण आंकलन निम्न मानदण्डों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा:–

अ) अर्जित राजस्व के विरूद्ध व्यय की निगरानी इस प्रकार कि अनुज्ञप्तिधारी की व्ययों तथा अन्य पक्षों के प्रति दायित्वों का भुगतान समयबद्ध रीति से किये जा रहे हैं;

ब) दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज का निर्धारित समय पर भुगतान तथा क्रियाशील पूँजी सहित अनुमोदित व्ययों की निगरानी के स्थान पर मेकेनिकल अपनाना;

स) जैसाकि विनियमावली में निर्दिष्ट है विद्युत क्रय व्ययों में अधिकतम कमी के उद्देश्य से विद्युत क्रय की पारदर्शी तरीका अपनाना।

द) विद्युत की आवश्यकता, एमओडी/एससीईडी, अनिवार्य संचालित प्लांटों, नवीकरणीय ऊर्जा प्लांटों, विभिन्न स्रोतों से क्रय की जाने वाली विद्युत दर एवं आवश्यकता से अधिक विद्युत के विक्रय के बाजार मूल्य में अन्तर के फलस्वरूप अतिरिक्त शुद्ध राजस्व अर्जित करने की क्षमता, यदि कोई हो तो, कारकों को विचारित करते हुए अनुकूलतम विद्युत क्रय:

प्रतिबन्ध यह है कि अनुज्ञप्तिधारी राजस्व के विभिन्न स्रोतों को दर्शाते हुए, विद्युत की बिक्री में विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिल की गयी धनराशि के विरूद्ध वास्तविक नकद वसूली गयी धनराशि, वास्तविक व्यय का प्रस्तावित तथा अनुमोदित व्यय से तुलना दर्शाते हुए सम्बन्धित व्यवसाय का विस्तृत कैश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रस्तुत करेगा;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि अन्य पक्षों को भुगतान का दायित्व एवं नियमित समय पर न किये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी कैश फ्लो स्टेटमेन्ट के सन्दर्भ में ऐसी कमी के लिये औचित्य प्रस्तुत करेगा।

17.5 पूँजीगत व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय विवेक के साथ निम्न मानदण्डों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा :

अ) परियोजनाओं के उनकी मूल कार्यकय के सन्दर्भ में भौतिक प्रगति की निगरानी के स्थान पर मैकेनिज्म अपनाना;

ब) पूँजीगत व्यय योजनाओं की भौतिक प्रगति की अनुरूपता में ऋणों का आदर्श आहरण तथा ऐसे ऋणों का कुशल उपयोग;

स) जिस प्रकरण में पूँजीगत व्यय तथा पूँजीकरण आयोग द्वारा अनुमोदित से 10 प्रतिशत से बढ़ जाता है अनुज्ञप्तिधारी अपनी ट्रु–अप याचिका के साथ ऐसी वृद्धि के लिये विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करेगा;

द) जिस प्रकरण में आयोग के अनुमोदन के बावजूद वर्ष के अन्दर कोई प्रारम्भ नहीं हुई है ट्रु–अप याचिका के साथ विस्तृत औचित्य प्रस्तुत किया जायेगा।

18. पूँजीगत व्यय/लागत एवं पूँजीगत ढाँचा

18.1 पूँजी विनियोग परियोजना के लिए पूँजीगत लागत निम्न को सम्मिलित करेगी :

अ) आयोग द्वारा विवेकपूर्ण परीक्षणों के उपरान्त स्वीकार किये गये निर्माण काल में ब्याज तथा वित्तीय प्रभार सहित किय गये व्यय अथवा प्रस्तावित व्यय;

ब) इस विनियमावली में निर्दिष्ट दरों की सीमा के प्रति प्रतिबन्ध के साथ प्रस्तावित पूँजीगत पुर्जे;

स) जैसाकि आयोग द्वारा विवेकपूर्ण परीक्षण के उपरान्त स्वीकार किया अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य को प्रारम्भ करने का अधिकार प्राप्त करने पर किया गया व्यय;

द) विनियम 19 में निर्धारित अतिरिक्त पूँजीगत व्यय;

य) निर्माण की अवधि में प्रासंगिक व्ययों परिचालन एवं अनुरक्षण व्ययों के उपयुक्त घटकों पर विभाजित व्ययों को शामिल करते हुए:

प्रतिबन्ध यह कि सम्पत्तियॉ जो परियोजना का हिस्सा हैं किन्तु उपयोग में नहीं हैं पूंजी लागत से निकाल दिया जायेगा;

र) जैसा आयोग द्वारा विवेकपूर्ण परीक्षण के उपरान्त स्वीकार किया जाये वाणिज्यिक पारिचालन की तिथि तक लिये गये ऋण की राशि पर विदेशी विनिमय सकल विचलन के फलस्वरूप लाभ अथवा हानि :

प्रतिबन्ध यह है कि वाणिज्यिक परिचालन की तिथि तक लिये गये ऋण की धनराशि से सम्बन्धित विदेशी विनिमय शंका विचलन के फलस्वरूप लाभ अथवा हानि पूंजी लागत के ऋण अंश के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा:

अतिरिक्त प्रतिबन्ध यह है कि आस्तियों की पूंजीगत लागत जो परियोजना का भाग है, परन्तु प्रयोग में नहीं लायी गयी है अथवा प्रयोग में नहीं है उसे पूंजीगत लागत से अलग रखा जायेगा:

प्रतिबन्ध यह भी कि अनुज्ञप्तिधारी अपने इस दावे के समर्थन में कि आस्तियों का प्रयोग हो रहा है, अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करेगा;

18.2 विवेकपूर्ण परीक्षण के उपरान्त आयोग द्वारा स्वीकार की गयी पूंजीगत लागत टैरिफ के निर्धारण का भाग होगी।

18.3 एक योजना पर मौलिक कार्यक्षेत्रों के लिए कट ऑफ डेट पर वास्तविक पूंजीगत व्यय अनुज्ञप्तिधारी या परियोजना के सम्प्रेक्षित लेखों पर आधारित, जैसी स्थिति हो, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच की शर्ताधीन विचारित किया जायेगा।

18.4 टैरिफ के निर्धारण के उद्देश्य के लिए आयोग द्वारा अनुमन्य की गयी पूंजीगत लागत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार की गयी एवं आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी, एआरआर/टैरिफ फाइलिंग के निर्धारण के लिए याचिका के पूर्व, पूंजी निवेश योजना पर आधारित होगी।

18.5 जहां विद्युत क्रय अनुबन्ध अथवा थोक विद्युत पारेषण अनुबन्ध पूंजी लागत की अन्तिम सीमा प्राविधानित करता है विचारित की जाने वाली पूंजीगत लागत ऐसी अन्तिम सीमा का अतिक्रमण नहीं करेगी।

18.6 पूंजीगत लागत में कट ऑफ डेट तक संयंत्र एवं मशीनरी लागत के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत प्रारम्भिक पुरजे निम्नलिखित अन्तिम सीमा खण्डों की शर्ताधीन शामिल किये जा सकेंगे:—

अ) पारेषण प्रणाली एवं वितरण प्रणाली

i)	पारेषण लाइन एवं वितरण लाईन	1.0%
ii)	पारेषण उपसंस्थान एवं वितरण उप संस्थान	4.0%
iii)	श्रृंखला क्षतिपूर्ति उपकरण एवं एचवीडीसी उप संस्थान	4.0%
iv)	गैस इन्सुलेटेड उप—संस्थान (डी.आई.एस.)	6.0%
v)	स्थिर विद्युत समकालिक क्षतिपूर्ति करने वाला	6.0%

18.7 परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन का प्रभाव स्वीकार किया जायेगा बशर्ते कि इसका परिणाम अनुज्ञप्तिधारी की टैरिफ में वृद्धि में नहीं होता है:

बशर्ते कि ऐसे पुनःमुल्यांकन से कोई लाभ, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के खुदरा आपूर्ति उपभोक्ताओं एआरआर/टैरिफ निर्धारण या ट्रुइंग अप, जैसा मामला हो, दीर्घावधि अन्तर्राज्यीय खुली पहुंच ग्राहकों को हस्तान्तरित किया जायेगा।

18.8 पुरानी स्थायी परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, नवीनीकरण तथा आधुनिकरण या जीवन काल के विस्तार पर कोई व्यय, जैसा अनुज्ञप्तिधारी पर लागू हो को मूल्य पूंजीगत लागत से ऐसे प्रतिस्थपित की गयी परिसम्पत्तियों के शुद्ध मूल्य अपलेखित करने के पश्चात विचारित किया जायेगा तथा निम्नवत परिकलित किया जायेगा :

प्रतिस्थापित परिसम्पत्तियों का शुद्ध मूल्य =OCRA- AD

जहाँ;

OCRA= प्रतिस्थापित की गयी परिसम्पत्तियों की मूल पूंजी लागत

AD = प्रतिस्थापित की गयी परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित संचयी ह्रास

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कारण से प्रतिस्थापित की गयी परिसम्पत्तियों की मूल पूंजी लागत उपलब्ध नहीं है इसे आयोग द्वारा प्रकरण दर प्रकरण आधार पर विचारित किया जायेगा;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी परिसम्पत्ति जिसके प्रतिस्थापन की आवश्यकता है के क्षतिग्रस्त के लिए प्राप्त बीमा प्राप्ति आय की धनराशि को पहले बकाया वास्तविक अथवा साधारण ऋण की तरह समायोजित किया जायेगा तथा धनराशि यदि कोई शेष हो, को ऐसे प्रतिस्थापित की गयी परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत कम करने के लिए उपयोग किया जायेगा तथा आगे की कोई अवशेष धनराशि को और नान—टैरिफ आय के रूप में माना जायेगा।

19. अतिरिक्त पूंजीकरण

19.1 वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के पश्चात तथा कट आफ तिथि तक, प्रारम्भिक कार्यक्षेत्र के अन्दर निम्नलिखित मदों पर वास्तव में किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित पूंजीगत व्यय विवेकपूर्ण जांच की शर्ताधीन आयोग द्वारा स्वीकार किये जायेंगे :

24 असा० ग० 3-B

i) भविष्य में देय स्वीकृत किये गये अमुक्त दायित्व;

ii) कार्यान्वयन के लिए आस्थगित कार्य;

iii) विनियम 18 के प्राविधानों के अनुसार प्रारम्भिक कार्यक्षेत्र के अन्दर मूल पूंजीगत पुर्जों की प्राप्ति;

iv) मध्यस्थता का अधिनिर्णय या आदेश का अनुपालन अथवा न्यायालय की डिक्री के दायित्वों को पूरा करना; और

v) कानून में परिवर्तन अथवा किसी लागू कानून का अनुपालन

प्रतिबन्ध यह है कि व्यय के आंकलनो के साथ मूल कार्यक्षेत्र में शामिल कार्यों का विवरण भविष्य में देय मान्यता प्राप्त दायित्व एवं कार्यान्वयन हेतु आस्थगित व्यय, याचिका के साथ वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के पश्चात अन्तिम टैरिफ निर्धारण हेतु प्रेषित किये जावेंगे।

19.2 कट आफ डेट के पश्चात निम्नलिखित मदों पर किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित पूंजीगत व्यय आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच की शर्ताधीन स्वीकार किये जायेंगे :

(i) मध्यस्थता का अधिनिर्णय या आदेश का अनुपालन अथवा न्यायालय की डिक्री के लिये दायित्वों को पूरा करना;

(ii) कानून में परिवर्तन अथवा किसी लागू कानून का अनुपालन;

(iii) कट ऑफ तिथि से पूर्व कार्यान्वित किये गये कार्यों के लिए कोई दायित्व, ऐसे अमुक्त दायित्वों के विवरणों की विवेकपूर्ण जांच के पश्चात, पैकेज की अनुमानित कुल लागत, ऐसे भुगतान रोकने के कारण एवं ऐसे भुगतान आदि को अवमुक्त करना;

(iv) आयोग द्वारा कट ऑफ डेट के पश्चात स्वीकार किये गये कार्यों के लिए वास्तविक भुगतानों द्वारा ऐसे दायित्वों के निर्वहन की सीमा तक कोई दायित्व;

(v) कोई अतिरिक्त पूंजीगत व्यय जो कुशलता पूर्वक परिचालन के लिए आवश्यक हो गया हो

प्रतिबन्ध यह है कि दावे की तकनीकी औचित्य के साथ पुष्टि करनी होगी, अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा यथावत समर्थित यथा परिसम्पत्तियों की विकृति के मामले में स्वतंत्र संस्था द्वारा की गयी जांच परिणाम, प्राकृतिक आपदाओं, प्रौद्योगिकी का पुराना पड़ जाना तकनीकी कारणों के लिए क्षमता का उच्चीकरण जैसे कि खराबी स्तर में वृद्धि;

(vi) विभिन्न मदों जैसे रिले, नियंत्रण एवं यन्त्र विन्यास, कम्प्यूटर प्रणाली, पावर लाईन कैरियर संचार व्यवस्था, बैट्री, टावर सशक्तीकरण, संचार उपकरण, आपातकाल पुनः स्थापन प्रणाली, इन्सुलेटर सफाई आधार भूत संरचना पर अतिरिक्त व्यय जो पारेषण प्रणाली के सफलतापूर्वक कुशल संचालन के लिए आवश्यकता हो गया है; तथा

(vii) अपेक्षित सुधारों के कारण आवश्यक विवेकपूर्ण जांच के पश्चात आवश्यक. न्यायोचित पाया गया कोई पूंजीगत व्ययः

प्रतिबन्ध यह है कि नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण अथवा परिचालन एवं मरम्मत व्ययों के अन्तर्गत मरम्मत एवं अनुरक्षण के अन्तर्गत दावा किया गया कोई व्यय अतिरिक्त पूंजीकरण के अन्तर्गत दावा नहीं किया जायेगा।

19.3 टैरिफ पर अतिरिक्त पूंजीकरण का प्रभाव, यदि कोई है, टैरिफ निर्धारण कार्यवाही के दौरान विचारित किया जायेगा।

20. ऋण–साम्या अनुपात

20.1 1 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके पश्चात वाणिज्यिक परिचालन के अन्तर्गत घोषित पूंजी निवेश योजना के लिए वाणिज्यिक परिचालन की तिथि को ऋण–साम्या अनुपात टैरिफ के निर्धारण के लिए विवेकपूर्ण जांच के आधार पर उपभोक्ता अंशदान/निक्षेप कार्यों/पूंजीगत सहायिकी /अनुदान द्वारा वित्त पोषित सम्पत्तियों के उपयुक्त समायोजन के पश्चात विनियम, 18 के अन्तर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित पूंजी लागत की धनराशि का 70:30 होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि वास्तव में परियोजित की गयी साम्या पूंजीगत लागत का 30% से अधिक है: 30% से अधिक साम्या को टैरिफ के निर्धारण के लिए अनुज्ञप्तिधारी के लिए मानदण्ड सम्बन्धी ऋण के रूप में माना जायेगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि अनुज्ञप्तिधारी साम्या के वास्तवित परियोजन हेतु अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करेगा एवं साम्या के लिए निधियों के स्रोत स्पष्ट करेगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि जहां वास्तविक रूप से परिनियोजित साम्या पूंजीकृत परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत का 30% से कम है, तब टैरिफ के निर्धारण के लिए वास्तविक साम्या को विचारित किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि विदेशी मुद्रा में विनियोजित साम्या को प्रत्येक निवेश की तिथि पर नामांकित किया जायेगा।

20.2 अनुज्ञप्तिधारी के सम्बन्ध में, 1 अप्रैल, 2020 से पूर्व पूंजीगत व्यय योजना के सम्बन्ध में पूंजीकृत स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए आयोग द्वारा 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो रही अवधि के लिए एआरआर/टैरिफ के निर्धारण के लिए अनुमन्य किया गया ऋण साम्या अनुपात विचारित किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि परिसम्पत्तियों के प्रयोग से हटाये जाने या पुनर्स्थापन या अपूंजीकरण की दशा में अनुमोदित साम्या पूंजी जैसा कि उपर्युक्त वर्णित किया गया है को ऐसी परिसम्पत्तियों की मूल लागत का 30% सीमा तक [या अभिलेखीय साक्ष्य पर आधारित वास्तविक साम्या अंश, यदि वह 30% से कम है] कम कर दिया जायेगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि परिसम्पत्तियो के प्रयोग से निवृत्ति या प्रतिस्थापना या अपूंजीकरण की दशा में अनुमोदित ऋण पूंजी जैसा कि उपर्युक्त वर्णित किया गया है को अभिलेखीय साक्ष्य या सामान्य ऋण अंश जैसाकि स्थिति हो के आधार पर ऐसी परिसम्पत्तियों की मूल लागत के बकाया ऋण अंश की सीमा तक कम कर दिया जायेगा।

20.3 1 अप्रैल, 2020 को या बाद में किया गया अथवा किये जाने के लिए प्रस्तावित कोई व्यय जैसा कि आयोग द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अतिरिक्त पूँजीकरण तथा जीवन विस्तार के लिए नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए स्वीकार किया गया व्यय इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से शामिल किया जायेगा।

21. ह्रास

21.1 अनुज्ञप्तिधारी को अपने सम्बन्धित व्यवसायों में प्रयोग की गयी स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्य पर निम्न तरह से आगणित ह्रास वसूल करने की अनुज्ञा दी जायेगी:

(अ) स्थायी परिसम्पतियों की अनुमोदित मूल लागत ह्रास की गणना के लिए आधार मूल्य होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ह्रास नई परिसम्पत्तियों की समस्त पूंजीकृत धनराशि पर सेवा से निवृत्ति पुनर्स्थापित या अपूंजीकृत परिसम्पत्तियों की अनुमोदित मूल लागत को घटाकर अनुमन्य किया जायेगा।

ब) ह्रास इन विनियमों के अनुलग्नक–ए में विनिर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर, वार्षिक रूप से आगणित किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि अनुज्ञप्तिधारी के प्रस्तुतीकरण एवं आयोग के अनुमोदन के अनुसार प्रत्येक सम्पत्ति 70 प्रतिशत तक ह्रासित हो गयी हो, समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च को बचे हुए ह्रास योग्य मूल्य को सम्पत्ति के बढ़े हुए जीवनकाल को सम्मिलित करते हुए बचे हुए उपयोगी जीवनकाल में बॉट दिया जायेगा।

स) परिसम्पत्तियों की बची हुई मूल अनुज्ञेय पूंजीगत लागत का 10% माना जायेगा तथा ह्रास परिसम्पत्ति की अनुज्ञेय पूंजीगत लागत का अधिकतम 90% तक अनुमन्य किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि स्वामित्व वाली भूमि को ह्रास योग्य परिसम्पत्ति के रूप में नहीं माना जायेगा तथा ह्रास की संगणना करते समय छोड़ दिया जायेगाः

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ह्रास वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से स्वीकार्य होगा।

द) ह्रास उपभोक्ता अंशदान या सहायिकियों/अनुदानों/निक्षेप कार्यों द्वारा वित्त पोषित परिसम्पत्तियों पर अनुमन्य नहीं होगा।

21.2 विद्यमान परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में 1 अप्रैल, 2020 को अवशेष ह्रास योग्य मूल्य, सम्पत्तियों के जीवनकाल को संज्ञान में लेते हुए एवं संचयी ह्रास घटाकर निकाला जायेगा जैसाकि आयोग द्वारा परिसम्पत्तियों के ह्रास योग्य सकल मूल्य से 31 मार्च, 2020 तक स्वीकार किया गया था।

21.3 परिसम्पत्तियों के प्रस्तावित वाणिज्यिक प्रचालन के सम्बन्ध में वर्ष के भाग के लिए ह्रास परिसम्पत्तियों के प्रारम्भिक एवं अन्तिम मूल्य के औसत के आधार पर आगणित किया जायेगा।

21.4 ट्रु–अप के समय सम्प्रेक्षित खातों तथा याची द्वारा पूंजीकृत की गयी परिसम्पत्तियों के अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर, आयोग की विवेकपूर्ण जाँच के आधार पर, पूंजीकृत परिसम्पत्तियों के लिए ह्रास को पुनः आगणित किया जायेगा।

22. साम्या पर लाभ

22.1 साम्या पर लाभ रूपये में साम्या आधार पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए 14.5 प्रतिशत पोस्ट टैक्स वार्षिक की दर से तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए पर 15% पोस्ट टैक्स वार्षिक की दर से क्रमशः विनियम 20 के अनुसार अनुमन्य किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि उपभोक्ता अंशदान/निक्षेप कार्यों, पूंजीकृत सहायिकियों/अनुदानों के द्वारा वित्त पोषित परिसम्पत्तियों एवं समतुल्य ह्रास पूंजी लागत का भाग नहीं बनेगा, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुस्तकीय मूल्य के अनुसार डाली गयी वास्तविक साम्या पर विचारित किया जायेगा तथा इन विनियमों में संगणना में प्रयोग की जायेगी।

23. दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज

23.1 इन विनियमों में स्पष्ट किये गये तरीके से परिसम्पत्तियों के प्रयोग में लाने पर आये हुये दीर्घकालीन ऋणों को ऋण पर ब्याज की गणना के लिए सकल साधारण ऋण के रूप में माना जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि परिसम्पत्तियों के कार्य से निवृत्ति या प्रतिस्थापन अथवा अपूंजीकरण के सम्बन्ध में ऋण पूंजी उपरोक्तानुसार वर्णित के अनुसार अनुमोदित को अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर ऐसी परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक लागत के बकाया ऋण भाग की सीमा तक घटा दिया जायेगा।

23.2 1 अप्रैल, 2020 को बकाया मानक ऋण सकल मानक दीर्घकालीन ऋण से आयोग द्वारा 31मार्च 2020 तक स्वीकार्य किये गये संचयी पुनर्भुगतान को घटाकर निकाला जायेगा।

23.3 प्रत्येक वर्ष के लिए ऋण वापसी उस वर्ष के अनुमन्य ह्रास के बराबर मानी जायेगी।

23.4 किसी स्थगन अवधि का लाभ उठाने के बावजूद ऋण का पुनर्भुगतान सम्पत्ति के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से माना जायेगा।

23.5 ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में वास्तविक दीर्घकालीन ऋण श्रेणी के आधार पर आगणित भारित औसत ब्याज की दर होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि ट्रु–अप के समय सम्बन्धित वर्ष के दौरान वास्तविक दीर्घकालीन ऋण की श्रेणी की भारित औसत ब्याज दर के रूप में मानी जायेगी:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी एक विशेष वर्ष के लिए कोई वास्तविक दीर्घकालीन ऋण नहीं है किन्तु मानक ऋण अभी तक बकाया है तब वास्तविक ऋण के लिए अन्तिम भारित औसत ब्याज की दर को विचारित किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि अनुज्ञप्तिधारी पर पूर्व में भी वास्तविक दीर्घकालीन ऋण नहीं है, आयोग द्वारा नियन्त्रित इसके अन्य व्यवसायों की भारित औसत ब्याज दर को विचारित किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि अनुज्ञप्तिधारी पर वास्तविक दीर्घकालीन ऋण नहीं है तथा आयोग द्वारा नियंत्रित इसके अन्य व्यवसाय पूर्व में भी वास्तविक ऋण नहीं रखते है तब समग्र रूप से उद्यम भारित औसत ब्याज दर को विचारित किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि उद्यम में समग्र रूप से वास्तविक दीर्घकालीन ऋण नहीं है जिसके कारण ब्याज दर उपलब्ध नहीं है, तब मानक दीर्घकालीन ऋण पर अनुमन्य की जा रही ब्याज के उद्देश्य के लिए ब्याज दर सम्बन्धित वर्ष के लिए प्रचलित एस0बी0आई0 एम0सी0एल0आर0 (एक वर्ष) की भारित औसत ब्याज दर होगी।

23.6 वर्ष के मानक औसत दीर्घकालीन ऋण पर भारित औसत ब्याज की दर लागू करते हुए दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज की गणना की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि ट्रु–अप के समय सम्बन्धित वर्ष का मानक औसत ऋण वर्ष के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित वास्तविक परिसम्पत्ति पूंजीकरण के आधार पर विचारित किया जायेगा।

23.7 निर्माण के दौरान अनुमोदित पूर्णतः कार्यक्रम की तुलना में अधिशेष ब्याज अथवा योजना पूर्णतः स्थिति आवश्यकता से असंगत ऋण निधियों के अधिक आहरण के कारण पूंजीगत लागत प्रकरण दर प्रकरण के आधार पर आंशिक या पूर्णतया आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के पश्चात अनुमन्य या अस्वीकार्य किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां निर्माण के दौरान अधिशेष ब्याज अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगायी गयी एजेन्सी या ठेकेदार अथवा आपूर्तिकर्ता पर अरोपणीय विलम्ब के कारण है ऐसी एजेन्सी या ठेकेदार अथवा आपूर्तिकर्ता से वसूला गया परिसमापन हर्जाना पूंजीगत लागत की संगणना के लिए विचार किया जायेगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि विचारित की जाने वाली परिसमापन की हर्जाने की सीमा निर्माण के दौरान अधिशेष ब्याज की धनराशि पर आधारित होगी जोकि आयोग द्वारा अनुमन्य की गयी है।

24. विदेशी विनिमय दर विचलन

24.1 अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज के सम्बन्ध में विदेशी विनिमय अनावरण से बचाव कर सकेगा तथा लिये गये विदेशी मुद्राऋण के पुनर्भुगतान आंशिक या पूर्ण अनुज्ञप्तिधारी की विचारशीलता पर होगा।

24.2 प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी सम्बन्धित वर्ष में वर्ष दर वर्ष आधार पर मानक विदेशी ऋण के समतुल्य विदेशी विनिमय दर विचलन के बचाव के लागत की वसूली उस अवधि में व्यय के रूप में करेगा जिसमें यह उत्पन्न होगा।

25. कार्यशील पूंजी पर ब्याज

25.1 पारेषण

अ) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में निम्नलिखित समाविष्ट होगा:

(i) एक माह का परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय;

(ii) दो माह के लिए मरम्मत एवं अनुरक्षण व्ययों के 40 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स; तथा

(iii)प्रचलित टैरिफ पर पारेषण प्रभारों से 1½ माह के बराबर आपेक्षित राजस्व;

घटाव

(iv) पारेषण प्रणाली प्रयोगकर्ताओं से प्रतिभूति जमा की धारित धनराशि, यदि कोई हो:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी वर्ष के लिए ट्रुईंग अप में अनुमोदित कार्यशील पूंजी के अंशो के मूल्यों के आधार पर पुनः संगणना की जावेगी;

ब) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दर पर सामान्य ब्याज होगी एवं 1 अक्टुबर, 2019 धन 250 आधार बिन्दुओं पर भारतीय स्टेट बैंक एमसीएलआर (1 वर्ष) के बराबर होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी वर्ष के लिए ट्रुइंग अप के उद्देश्य से कार्यशील पूंजी पर सामान्य ब्याज सम्बन्धित वर्ष के दौरान प्रचलित भारित औसत एसबीआई एमसीएलआर (1वर्ष) धन 250 आधार बिन्दुओं के बराबर दर पर अनुमन्य होगी।

25.2 वितरण व्यवसाय

अ) वितरण व्यवसाय की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में निम्नलिखित समाविष्ट होगा:

(i) एक माह के लिए परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय;

(ii) दो माह के लिए मरम्मत एवं अनुरक्षण व्ययों के 40 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स; तथा

(iii) प्रचलित टैरिफ पर (विद्युत कर सहित) विवरण प्रणाली के लिए प्रयोग के लिए प्रभारों से 1½ माह के बराबर आपेक्षित राजस्व;

घटाव

(iv) वितरण प्रणाली प्रयोगकर्ताओं से प्रतिभूति जमा की धारित धनराशि:

प्रतिबन्ध यह है कि अग्रेतर किसी वर्ष के लिए ट्रुइंग अप के उद्देश्य के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता आयोग द्वारा ट्रुइंग अप में अनुमोदित कार्य पूंजी के अंशो के मूल्यों के आधार पर पुनः संगणना की जायेगी;

ब) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दर सामान्य ब्याज होगी एंव 1 अक्टुबर, 2019 धन 250 आधार बिन्दुओं पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एमसीएलआर (1 वर्ष) के बराबर होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी वर्ष के लिए ट्रुइंग अप के उद्देश्य से कार्यशील पूंजी पर सामान्य ब्याज सम्बन्धित वर्ष के दौरान प्रचलित भारित औसत एसबीआई एमसीएलआर (1 वर्ष) धन 250 आधार बिन्दुओं के बराबर दर पर अनुमन्य होगी।

स) उपभोक्ताओं की जमा प्रतिभूति पर ब्याज विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 एवं किये गये संशोधनों / संवर्धन एवं इसके निरस्त होने के पश्चात नई विनियमावली के अनुसार देय होगा।

26. आयकर

26.1 अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति व्यवसाय पर आयकर, यदि कोई हो, व्यय के रूप में माना जायेगा एवं उपभोक्ताओं से टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य होगा। फिर भी, इसके अनुज्ञप्ति व्यवसाय के माध्यम के अतिरिक्त किसी आय पर कर हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा और यह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं देय होगा।

26.2 विनियम 26.1 के होते हुए भी, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय, किसी भी वर्ष के लिए, आयकर निम्नलिखित का न्यूनतम होगा:

अ) वास्तविक भुगतान;

ब) वर्ष के लिए साम्या पर लाभ xMAT(%) अथवा वर्ष के लिए साम्या पर लाभ x कारपोरेट टैक्स (%), जो कोई भी लागू हो।

26.3 आय पर कर की किसी भी कम अथवा अधिक वसूली का समायोजन आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत किये गये कर निर्धारण के आधार पर उपरोक्त विनियम 26.2 के अधीन, जैसा कि वैधानिक अंकेक्षक प्रमाणित करे, प्रतिवर्ष की जायेगी।

27. आकस्मिकता कोषों को अंशदान

27.1 जहां एक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आकस्मिकता कोष को अंशदान किया गया है, स्थायी परिसम्पत्तियो की मूल लागत का 0.25% से कम तथा 0.5% से अधिक धनराशि एआरआर की गणना में ऐसे अंशदान की ओर वार्षिक में अनुमन्य की जा सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसी आकस्मिकता कोषों की धनराशि स्थायी परिसम्पत्तियों की मूल लागत के 5% से बढ़ ज़ाती है, कोई अग्रेतर अंशदान अनुमन्य नहीं किया जायेगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा अंशदान भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत अधिकृत प्रतिभूतियों में वर्ष की समाप्ति के 6 माहों की अवधि के अन्दर निवेश किया जायेगा।

27.2 आकस्मिकता कोष लाइसेंस की अवधि के दौरान निकाला नहीं जायेगा सिवाय ऐसे प्रभारों को पूरा करने जैसाकि आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाये:

अ) दुर्घटनाओं, हड़तालों या परिस्थितियां जिन्हें प्रबन्धन रोक नहीं सका से उत्पन्न हुई लाभों की हानि या व्यय;

ब) संयन्त्र या कार्यों के प्रतिस्थापन या निष्कासन पर व्यय सामान्य अनुरक्षण या नवीनीकरण के लिए आवश्यक व्यय से अतिरिक्त;

स) एक समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत देय क्षतिपूर्ति तथा जिसके लिए कोई अन्य प्रावधान नहीं बनाया गया।

27.3 आकस्मिकता कोष, जैसाकि ऊपर वर्णित किया गया है के मूल्य में कोई कमी टैरिफ के एक भाग के रूप में समायोजित करने के लिये स्वीकार नहीं की जायेगी।

28. छूट, प्रोत्साहन, अर्थदण्ड एवं विविध

28.1 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अर्जित सभी छूटें या प्रोत्साहन इसके गैर टैरिफ आय के अन्तर्गत माना जायेगा जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गयी सभी छूटें या प्रोत्साहन अनुज्ञप्तिधारी के लिए एक व्यय के रूप में अनुमन्य होगा।

28.2 पारेषण प्रभारों के बिलों का भुगतान लेटर आफ क्रेडिट अथवा NEFT/RTGS के माध्यम से अथवा भिन्न प्रकार से, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिलों के प्रस्तुत करने के सात दिन के अन्दर करने पर, बिल की राशि पर करों, उपकर, शुल्क इत्यादि को छोड़कर 1% की छूट स्वीकृत की जायेगी।

28.3 पारेषण प्रणाली के प्रयोगकर्ता द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत देय प्रभारों के किसी बिल के भुगतान में बिलों को प्रस्तुत करने की तारीख से 30 दिन से अधिक विलम्ब होने की दशा में 1.25% प्रतिमाह की दर से विलम्ब भुगतान अधिभार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भारित किया जायेगा।

28.4 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान किया गया अर्थदण्ड, यदि कोई, अनुज्ञप्तिधारी को व्यय के रूप में अनुमन्य नहीं किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उचित नियंत्रण के बाहर किन्हीं कारणोंवश उस पर भारित शास्ति/क्षतिपूर्ति विवेकपूर्ण जांच के आधार पर स्वीकृत की जायेगी।

28.5 आयोग द्वारा इन विनियमों में कार्यशील पूंजी पर दिये गये ब्याज की दर से विवेकपूर्ण जांच के पश्चात् वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अन्तर/आधिक्य पर रखाव लागत दी जायेगी।

भाग–य पारेषण

29. प्रयोज्यता

29.1 इस भाग में सम्मिलित विनियम पारेषण प्रणाली प्रयोगकर्ता के साथ हुए वृहद पावर पारेषण अनुबन्ध या अन्य व्यवस्था के अनुरूप अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली की पहुंच एवं प्रयोग के लिए टैरिफ के निर्धारण पर लागू होगा:

29.2 आयोग इस भाग में सम्मिलित नियम एवं शर्तों द्वारा अधिनियम की धारा 36 (1) के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस सम्बन्ध में दायर किये गये पिटीशन के अनुरूप बीच में पड़ने वाली पारेषण सुविधाओं के प्रयोग के लिए निर्दिष्ट दरों, प्रभारों एवं नियम इन शर्तों से मार्गदर्शित होगा।

29.3 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपने व्यवसाय को पारेषण व्यवसाय तथा एसएलडीसी गतिविधि में पृथक करेगा। पारेषण व्यवसाय की राजस्व आवश्यकता अभेदात्मक पारेषण प्रभारों के निर्धारण में प्रयोग की जायेगी।

29.4 पारेषण व्यवसाय तथा एसएलडीसी गतिविधि के मध्य लेखों के सम्पूर्ण पृथकीकरण के पश्चात्, एसएलडीसी उपयुक्त विनियमों से शासित होगी, परन्तु उस समय तक प्रत्येक व्यवसाय की एआरआर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की एक आवंटन विवरण द्वारा समर्थित होगी जिसमें समस्त लागतों, राजस्व, सम्पत्तियां, दायित्वों, संचयों तथा प्रावधानों को पारेषण व्यवसाय, एसएलडीसी गतिविधि तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के अन्य किसी व्यवसाय के मध्य बांटा जायेगा। यह आवंटन विवरण, निदेशक मण्डल अथवा किसी समिति / व्यक्ति जिसे क्रि निदेशक मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत किया गया हो, द्वारा अनुमोदित होगा। इस आवंटन विवरण में विभिन्न व्यवसायों के मध्य बटवारे के लिए प्रयोग की गयी पद्धति भी शामिल होगी।

30. टैरिफ के घटक

30.1 अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली की पहुंच एवं प्रयोग के लिए पारेषण प्रभारों में निम्नलिखित घटकों या निम्नलिखित घटकों के मेल में से कोई शामिल होगा:

अ) पारेषण प्रणाली पहुंच प्रभार;

ब) वार्षिक पारेषण प्रभार;

स) पारेषित ऊर्जा के लिए प्रति यूनिट प्रभार;

द) रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार:

प्रतिबन्ध यह है कि रियेक्टिव ऊर्जा प्रभार यूपीईआरसी ओपेन एक्सेस विनियमावली, समय समय पर संशोधित, के अनुसार निर्धारित किया जायेगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिनियम की धारा 63 के कार्यान्वयन में तथा पारेषण के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिये मार्गदर्शीय सिद्धान्तों के अनुसार पारेषण प्रणाली परियोजनायें प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्रदान की जाती है, वार्षिक पारेषण प्रभार ऐसे प्रतिस्पर्धापूर्वक प्रदान किये गये पारेषण परियोजनाओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वार्षिक पारेषण सेवा प्रभारो (टीएससी) के अनुसार होंगे।

30.2 कोई व्यक्ति जो अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली की पहुंच के लिए आवेदन करने के लिए योग्य है आयोग के पारेषण खुली पहुंच के संचालन आयोग के विनियमों एवं आदेशों के अनुसार ऐसी पहुंच पाने का अधिकारी होगा तथा ऐसी पहुंच पाने के लिए इन विनियमों एवं आदेशों में विनिर्दिष्ट किये गये प्रभारों के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण : इन विनियमों के उद्देश्य के लिए, ऐसा व्यक्ति जिसने पारेषण खुली पहुंच के लिए योग्य होने के कारण पारेषण क्षमता अधिकारों के आवंटन के लिए आवेदन किया है और ऐसी पहुंच प्राप्त करने के लिए कार्य करने के लिए सहमत हुआ है इसके पश्चात पारेषण प्रणाली प्रयोगकर्ता इरादा करने वाले के रूप में संदर्भित किया जायेगा एवं उसमें ऐसे विद्यमान प्रयोगकर्ता द्वारा आवेदित आवंटित पारेषण

क्षमता अधिकारों में किसी वृद्धि के सम्बन्ध में एक विद्यमान पारेषण प्रणाली प्रयोगकर्ता में शामिल किया जा सकता है।

30.3 जहाँ अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली कोई इरादा करने वाली पारेषण प्रयोगकर्ता की पहुंच ऐसे प्रयोगकर्ता को समर्पित पारेषण लाईन्स या अन्य पारेषण परिसम्पत्तियों के कार्यों को आवश्यक बना देती है। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पारेषण प्रणाली पहुंच प्रभारों, के माध्यम से ईरादा करने वाले पारेषण प्रणाली प्रयोगकर्ता को पहुंच प्रदान करने के लिए ऐसे कार्यो पर हुए उपयुक्त रूप से समस्त व्ययों को वसूल करने का अधिकारी होगा।

30.4 जहाँ इरादा करने वाले पारेषण प्रणाली प्रयोगकर्ता की पहुंच अन्र्तराज्जीय पारेषण प्रणाली से सम्बन्धित विनियम 30.3 के अन्तर्गत अनावरित अन्य कार्यो को अपरिहार्य बनाती है, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे कार्यों से सम्बन्धित व्ययों को विनियम 30.10 के अनुसार वार्षिक पारेषण प्रभारों के माध्यम से वसूल करेगा।

30.5 जहां इरादा करने वाले पारेषण प्रणाली प्रयोगकर्ता द्वारा पहुंच प्राप्त करने के लिए कोई कार्य किये जाते है, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे कार्यों को करने के लिए नियोजित श्रम लागत, सामग्री की लागत, सामग्री हैंडलिंग तथा भण्डारण/इन्वेंटरी किन्तु स्थापन लागत को छोड़कर, को 15 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षीय प्रभार को वसूल करने का अधिकारी होगा एवं ऐसे कार्यों से सम्बन्धित किसी अन्य व्ययों को वसूल करने का अधिकारी नहीं होगा:

प्रतिबन्ध यह कि ऐसे पर्यवेक्षीय प्रभार सम्बन्धित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी गैर टैरिफ आय का भाग बनेगे तथा ईरादा करने वाले पारेषण प्रणाली प्रयोगकर्ताओं द्वारा किये गये परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय के रूप में भी माने जायेंगे जिन्हें परिसम्पत्ति पूंजीकरण से सम्बन्धित वर्ष में पूंजीकृत किया जायेगा।

30.6 अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली की पहुंच प्रदान करने के लिए कार्यों का पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वृहद् पावर पारेषण अनुबन्ध की अवधि अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी एवं पारेषण प्रणाली प्रयोगकर्ता के मध्य हुए अनुबन्ध के पश्चात रख रखाव किया जायेगा।

30.7 जहाँ पारेषण प्रणाली प्रयोगकर्ता ने अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को इसकी पहुंच प्रदान करने के लिए किये गये कार्यों के लिए भुगतान किया है पारेषण प्रणाली प्रयोगकर्ता वृहद पावर पारेषण अनुबंध की समाप्ति पर यह व्यवस्था करने के पश्चात इसके द्वारा भुगतान किये गये कार्यों के ह्रासित मूल्य (कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं इसके संशोधनों के अनुसार) के लिए अधिकारी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां पारेषण प्रणाली प्रयोगकर्ता ने पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली की इसकी पहुंच प्रदान करने के लिए कार्य किया है, पारेषण प्रणाली प्रयोगकर्ता ऐसे कार्यों को वृहद पावर पारेषण अनुबन्ध की समाप्ति पर यह व्यवस्था किये जाने के पश्चात रोकने का अधिकारी होगा।

30.8 पारेषण प्रणाली पहुंच प्रभारों को वृहद पावर पारेषण अनुबन्ध नियमों के अनुसार या व्यवस्था में पहुंचने के पश्चात निम्नलिखित प्रणालियों में से किसी एक के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है:

अ) पहुंच प्राप्त करने के समय पारेषण प्रणाली प्रयोगकर्ता द्वारा एक मुश्त भुगतान के रूप में; अथवा

ब) वृहद पावर पारेषण अनुबन्ध की अवधि पर या व्यंवस्था में पहुंचने के पश्चात भुगतान की श्रृंखला के रूप में; या

स) उपरोक्त (अ एवं ब) के किसी संमिश्रण के रूप में।

30.9 इरादा करने वाले पारेषण प्रणाली प्रयोगकर्ता को पहुंच देने के लिए किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी एवं इरादा करने वाले पारेषण प्रणाली प्रयोगकर्ता के मध्य अथवा पारेषण प्रणाली पहुंच प्रभारों के सम्बन्ध में किसी विवाद को आयोग के अधिनिर्णयन के लिए संदर्भित किया जायेगा अथवा अन्य न्यायालय को आयोग द्वारा संदर्भित किया जा सकता है।

श्रअसा०गा०M-B

30.10 वार्षिक पारेषण प्रभार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के एआरआर की वसूली के लिए प्रदान किया जायेगा, जैसाकि आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाये तथा इसमें निम्नलिखित घटक शामिल होंगे :

अ) परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभार;

ब) ह्रास;

स) ऋण पूंजी पर ब्याज;

द) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

य) आकस्मिकता कोषों को अंशदान;

र) साम्या पर लाभ;

ल) आयकर;

घटाव

व) गैर टैरिफ आय;

श) अन्य व्यवसाय से आय, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सीमा तक :

प्रतिबन्ध यह है कि ह्रास, ऋण पूंजी पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, आकस्मिकता कोषों को अंशदान की साम्या पर लाभ एवं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए आयकर को इन विनियमों के भाग–द में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य किया जायेगा:

प्रतिबन्ध अग्रेतर यह कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वामित्व वाली पारेषण लाइनों के समतुल्य एआरआर के घटकों एवं अन्य राज्यों के विद्युत पहुंचाने वाले केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के विनियमों एवं आदेशों के अनुसार संयोजन के बिन्दु (पीओसी) पारेषण प्रभारों के माध्यम से वसूले जाने वाले इन विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित वार्षिक पारेषण प्रभारों से वसूल नहीं किये जावेगे:

प्रतिबन्ध यह भी कि यदि ऐसे घटकों की वसूली पूर्व में ही अन्तर्राज्यीय पारेषण टैरिफ के माध्यम से की जा चुकी है तब ऐसी अधिशेष वसूली सम्बन्धित रखाव लागत के साथ, जैसाकि लागू हो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के भविष्य के वर्षों के एआरआर से काट ली जायेगी:

प्रतिबन्ध यह भी कि पूर्वावधि आय/व्यय ट्रुइंग अप के समय पर सम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर प्रकरण दर प्रकरण के आधार पर विवेकपूर्ण जांच की शर्ताधीन आयोग द्वारा अनुमन्य किये जायेगे:

प्रतिबन्ध यह भी कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी पक्ष को किसी सम्पादन मानक को पूरा करने में असफलता के लिए देय समस्त अर्थदण्डों एवं क्षतिपूर्ति अथवा हर्जानों के लिए आयोग, आयोग न्यायालयों आदि के आदेशों के परिणामस्वरूप एआरआर के माध्यम से वसूली करना अनुमन्य नहीं किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह भी कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे भुगतान किये गये या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय अर्थदण्डों और क्षतिपूर्ति यदि कोई हो, के अलग ब्यौरे का रखरखाव करेगा तथा इन्हें आयोग को इसकी याचिका के साथ प्रस्तुत करेगा।

30.11 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक पारेषण प्रभार प्रतियूनिट पारेषित ऊर्जा प्रभार के साथ आयोग द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे जैसाकि इन विनियमों में निर्धारित किया गया है अथवा प्रतिस्पर्धा–पूर्वक अधिनिर्णय की गयी पारेषण प्रणाली परियोजना के सम्बन्ध में वार्षिक पारेषण प्रभारों को अंगीकार करने के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों के 'भाग–ब' के अनुसार याचिका दायर की जा सकती है, जैसी स्थिति हो।

31. अनन्तिम टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका

31.1 एक नया पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अनन्तिम टैरिफ के निर्धारण के लिए पारेषण परिसम्पत्तियों के वाणिज्यिक प्रचालन की प्रत्याशित तिथि से छः माह पूर्व याचिका दायर करेगा।

31.2 नया पारेषण अनुज्ञप्तिधारी वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक किये गये पूंजीगत व्यय एवं किये जाने हेतु प्रस्तावित व्ययों एवं वैधानिक सम्प्रेक्षकों द्वारा विधिवत सत्यापित किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के आधार पर अनन्तिम टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका दायर करेगाः

प्रतिबन्ध यह कि याचिका में प्रस्तावित पूंजीगत लागत एवं अतिरिक्त लागत, जहां कही भी लागू हो, के लिए आधारभूत पूर्वानुमानों का ब्यौरा शामिल होगा।

31.3 नये पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा प्रस्तावित पूंजीगत व्यय के आधार पर, विवेकपूर्ण जांच की शर्ताधीन वाणिज्यिक प्रचालन की पूर्वानुमानित तिथि से अनन्तिम टैरिफ अनुमन्य की जा सकती है।

31.4 यदि वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि अनन्तिम टैरिफ अनुमोदित करने के आदेश की निर्गत तिथि से छः माहों से अधिक विलम्बित होना स्वाभाविक है, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा परियोजना पूर्णता में विलम्ब के लिए स्पष्टीकरण देते हुए अनन्तिम टैरिफ की प्रयोज्यता की वैधता का विस्तार मांगते हुए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। जिसे आवश्यक विवेकपूर्ण जांच के पश्चात आयोग द्वारा विचारित किया जा सकता है।

31.5 नया पारेषण अनुज्ञप्तिधारी सम्प्रेक्षित पूंजीगत व्यय एवं वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पर पूंजीकरण के आधार पर वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से छः माहों के अन्दर अनन्तिम टैरिफ के निर्धारण की याचिका दायर करेगा।

31.6 नये पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए अन्तिम टैरिफ निर्धारण आयोग द्वारा सम्प्रेक्षित पूंजीगत व्ययों एवं वाणिज्यिक प्रचालक की तिथि पर पूंजीकरण की विवेकपूर्ण जांच के आधार पर किया जायेगा।

31.7 जहां दर वर्ष दर आधार पर व्यय की गयी वास्तविक पूंजीगत लागत अनन्तिम टैरिफ निर्धारण के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित पूंजीगत लागत से 5 प्रतिशत या अधिक से कम है, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अधिशेष पूंजीगत लागत के समतुल्य वसूली गयी अधिशेष टैरिफ लाभ प्राप्त कर्ताओं को ब्याज दर सहित वापस करेगा जोकि वही होनी चाहिए जैसाकि सम्बन्धित वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज दर हो।

31.8 जहां दर वर्ष दर आधार पर व्यय की गयी वास्तविक पूंजीगत लागत अनन्तिम टैरिफ के निर्धारण के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित पूंजीगत लागत से 5 प्रतिशत या अधिक से अधिक है, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग के अनुमोदन के शर्ताधीन लाभ प्राप्तकर्ताओं से ऐसी पूंजीगत लागत में कमी के समतुल्य टैरिफ में कमी ब्याज सहित वसूल करेगा जोकि वही होनी चाहिए जैसाकि सम्बन्धित वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज दर हो।

32. पूंजी निवेश योजना

32.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की अन्तर्राज्जीय पारेषण प्रणाली के सशक्तिकरण करने एवं वृद्धि के लिए एक विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्तीयन योजना एवं नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए भौतिक लक्ष्यों, भार वृद्धि की आवश्यकता को पूरा करने, आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार, विश्वस्नीयता, मीटरिंग संकुलन में कमी आदि के अनुमोदन के लिए आयोग को प्रस्तुत करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियंत्रण अवधि के किसी वर्ष के लिए पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत न करने की दशा में, आयोग उस वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय अस्वीकार कर सकता है।

32.2 पूँजी विनियोजन योजना कम से कम लागत की योजना विनियोजन के लिए होगी। यद्यपि सभी पूंजीगत योजना के खर्चे जो 220 के.वी. एवं ऊपर के लिए एवं अन्य पूंजीगत व्यय जिनकी लागत रु. 20 करोड़ से अधिक है विवेकपूर्ण जॉच के आधार पर आयोग द्वारा त्रैमासिक आधार पर पूर्व अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा।

32.3 पूँजी निवेश योजना ऐसी सूचना विवरणों एवं अभिलेखों के साथ होगी जैसाकि आवश्यक हो, को शामिल करते हुए किन्तु सूचना तक सीमित न हो जैसाकि बे की संख्या नाम समाकृति एवं ग्रिड उपभोक्ता उप–संस्थान क्षमता (एमवीए), पारेषण लाइन लम्बाई (सर्किट/किलोमीटर), प्रस्तावित निवेशों की आवश्यकता प्रदर्शित करते हुए, विचारित विकल्पों, लागत लाभ विषलेषणों, स्वामित्व की कुल लागत एवं अन्य पहलुओं को पारेषण/प्रभारो पर वहन रखते हो।

32.4 पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों की पूंजी निवेश योजना राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा विकसित अन्तर्राज्जीय पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण प्रणाली योजना के अनुरूप होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित किया गया कोई पूंजीगत व्ययों का आवश्यक अभिलेखीय साक्ष्य के साथ इसके लिए निवेदन के रूप में सिद्ध करना होगा तथा परिवचन देना होगा जैसाकि उपयुक्त हो।

32.5 आयोग पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत पूंजी निवेश योजना, जो कि सम्पूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना का भाग होगी, जो प्रस्तावित व्यय के विवेकपूर्ण जॉच तथा पारेषण प्रभारों पर अनुमानित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विचार करेगा।

32.6 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी एआरआर के निर्धारण के लिए याचिका के साथ या वार्षिक निष्पादन समीक्षा के लिए याचिका के साथ, जैसी स्थिति हो ऐसी सूचना 'विवरणों या अभिलेखों के साथ जैसा कि प्रगति निर्धारण के लिए आयोग चाहे पूंजीगत व्यय परियोजनाओं की प्रगति दर्शाते हुए विवरण प्रस्तुत करेगा।

33. परिचालन के लिए मापदण्ड

33.1 लक्ष्य उपलब्धता

33.1.1 सामान्य वार्षिक पारेषण प्रणाली की उपलब्धता का अवयव (NATSAF) निम्न प्रकार होगा :–

1) सभी सिस्टम : 98%

2) एसवीडीसी बाई पोल लिंक्स एण्ड बैक टु बैक स्टेशन्स : 95%

33.1.2 सब स्टेशन में सहायक ऊर्जा का प्रयोग

अ) एसी प्रणाली

वातानुकूलन के उद्देश्य के लिए ए.सी. सब–स्टेशनों में जो सहायक ऊर्जा की खपत होगी उसके प्रभार, लाइटिंग तथा अन्य उपकरणों में जो खपत हुई उसको पारेषण अनुज्ञप्तिधारी वहन करेगा तथा यह खर्चें सामान्य परिचालन एवं अनुरक्षण खर्चों में शामिल हैं।

ब) एचवीडीसी सब–स्टेशन

एचवीडीसी सब स्टेशनों में जो भी सहायक ऊर्जा को खपत हो उसके लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार उचित भाग आवन्टित कर सकती हैं। एक या अधिक आईएसजीएस उत्पादन स्टेशनों से। यह खर्चे प्रेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किये जायेगे एवं सामान्य परिचालन एवं अनुरक्षण व्ययों में सम्मिलित होंगे।

33.1.3 महीने के हिसाब से ट्रान्समिशन प्रणाली के लिए या उसके भाग के लिए पारेषण खर्चें देय होंगे।

ARR x (NDM/NDY) x (TAFM / NATSAF)

जहाँ :–

AFC = वर्ष के लिए निर्धारित वार्षिक स्थिर लागत

NATSAF= सामान्य वार्षिक पारेषण प्रणाली की उपलब्धता का अवयव, इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रतिशत में

NDM= माह में दिनों की संख्या

NDY= वर्ष में दिनों की संख्या

TAFM= माह के लिए पारेषण प्रणाली उपलब्धता अवयव, इन विनियमों के अनुलग्नक–ब के अनुसार आगणित प्रतिशत में

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी बिल जारी करेगा महीने के पारेषण प्रभार के लिए जो अनुमानित होगा टीएएफएम पर। यदि कोई सुधार करना हुआ तो उसे टीएएफएम के आधार पर एसएलडीसी द्वारा सम्बन्धित माह के आखिरी दिन से तीस दिन के अन्दर किया जायेगा।

33.2 वार्षिक पारेषण सेवा प्रभार का आवन्टन

वार्षिक पारेषण सेवा प्रभार (एटीएससी) का बटवारा पारेषण प्रणाली का लाभ पाने वालों के बीच में माहवारी आधार पर आवंटित पारेषण धारित या अनुबन्धित धारिता जैसा भी प्रकरण हो के आधार पर होगा:–

1) यदि एक पारेषण प्रणाली एक विशेष दीर्घकालिक पारेषण लाभार्थी को सम्मिलित करते हुए उत्पादन संस्थान के लिए समर्पित लाइनों के लिए बनाया गया हो, इस पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण प्रभार दीर्घकालिक पारेषण लाभार्थी द्वारा देय होगा।

2) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए माहवारी पारेषण प्रभारों को संकलित किया जायगा और उनकी हिस्सेदारी लम्बी अवधि के पारेषण उपभोक्ताओं के लिए निम्न सूत्र द्वारा तय होगी :

उस पारेषण प्रणाली के दीर्घकालीन पारेषण ग्राहक द्वारा अन्तर्राज्यीय प्रणाली के लिए देय पारेषण प्राभार =

$$\sum_{i=0}^{n}\left(\frac{TCi}{12}\right) x \frac{CL}{SCL}$$

जहाँ

TCi = वार्षिक पारेषण प्रभार i th परियोजना के लिए राज्य में इन विनियमावलियों के अनुसार आगणित

n = राज्य में परियोजनाओं की संख्या

CL = दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक को आवंटित पारेषण क्षमता

SCL = राज्य पारेषण प्रणाली के समस्त दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों को आवंटित पारेषण क्षमताओं का योग

अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के मध्यम अवधि के प्रयोगकर्ताओं के लिए प्रभार उस महीने के लिए राज्य पारेषण इकाई द्वारा अनुमोदित मध्य अवधि प्रयोग के लिए MW के अनुपात में होंगे।

अल्पकालिक खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं के लिए देय प्रभार की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी।

ST_RATE=[ATSC/Av CAP]/365

जहाँ :–

ST Rate = Rs. /per MW/per day में अल्पकालिक खुली पहुंच वाले उपभोक्ता के लिए रेट है।

ATSC– वार्षिक पारेषण सेवा प्रभार ;

Av CAP का अर्थ आखिरी वित्तीय वर्ष में पारेषण प्रणाली के पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा MW में प्रदत्त औसत क्षमता है तथा यह पारेषण प्रणाली से जुड़ी हुई उत्पादन क्षमताओं तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली द्वारा संचालित अन्य व्यवहारों की अनुबन्धित क्षमताओं का योग होगी।

पारेषण प्रभार किसी भी प्लान्ट कैपेसिटी के आधार पर जिसके लिए लाभान्वित होने वाला सम्बन्धित न तो चिन्हित है और न तो अनुबन्धित है इस प्रकार के प्रभार उत्पादन कम्पनी द्वारा देय होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि, जैसा कि उपरोक्त निर्दिष्ट है, जबतक दीर्घकालिक, मध्यमकालिक एवं लघुकालिक ग्राहकों के अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली प्रभार निर्धारित नहीं किये जा सकते, आयोग कुल एआरआर को सम्पूर्ण पारेषित यूनिटों से विभाजित कर प्रतियूनिट पारेषित ऊर्जा प्रभार का निर्धारण करेगा जो कि दीर्घकालिक, मध्यमकालिक एवं लघुकालिक ग्राहकों के लिए समान होगा।

34. परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय

अ) पारेषण व्यवसाय के लिए परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय इन विनियमों जैसा निर्धारित है उसके अनुसार आगणित किया जायेगा।

ब) परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय 31.03.2019 को समाप्त होने वाले विगत पांच वर्षो के ट्रूअप मूल्यों(दक्षता लाभ/हानि को छोड़कर) के औसत के आधार पर आयोग की विवेकपूर्ण जॉच के अधीन निकाला जायेगा। फिर भी, यदि वित्तीय वर्ष 2018–19 केट्रूअप मूल्य (दक्षता लाभ/हानि को छोड़कर) उपलब्ध न हों, उस दशा में उपलब्ध विगत पांच वित्तीय वर्षो के ट्रूअप मूल्यों (दक्षता लाभ/हानि को छोड़कर) को विचारित किया जायेगा तथा अग्रेतर इसके उपलब्ध होने पर आधार वर्ष का मूल्य (यथा वित्तीय वर्ष 2019–20) पुनः आगणित किया जायेगा।

स) यह औसत परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय मध्यवाले वर्ष का परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय माना जायेगातथा इसे वर्ष दर वर्ष अग्रेतर वर्षो के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20तक सम्बन्धित वर्षो के सी0पी0आई0 तथा डब्ल्यू0पी0आई0 60:40 के अनुपात में वृद्धि के साथ बढ़ाया जायेगा।

द) एकमुश्त खर्चा जैसा कि लेखीय नीति बदलने के कारण खर्चा, वेतन आयोग के कारण वेतन एरियर का भुगतान आदि तथा खर्चे जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण के बाहर हों जैसे कि कर्मचारी की लागत में मंहगांई भत्ता, सेवानिवृत्तिक लाभ, आयोग विवेकपूर्ण जॉच के पश्चात् उनको सामान्य परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय के ऊपर स्वीकृत कर सकता है।

य) परिचालन एवं अनुरक्षण व्ययों के ट्रूइंग–अप के समय, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक के ऊपर वास्तविक बिन्दुवार मुद्रास्फीति तथा श्रम ब्यूरो, भारत सरकार के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों (सम्पूर्ण भारत) के लिए वास्तविक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सम्बन्धित वर्ष में, विचारित किया जायेगा।

34. कर्मचारी लागत

34.1 कर्मचारी लागत की गणना निम्नलिखित सूत्र में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की वृद्धि के आधार पर आगणित होगी, जिसमें से ऐसे खर्चे जिनका प्रावधान अनुज्ञप्तिधारी के नियन्त्रण के बाहर हुआ हो एंव एकमुश्त सम्भाव्य खर्चे, जैसे कि सेवानिवृत्तक लाभों की वसूली/समायोजन, वेतन आयोग का प्रभाव, बकाया, अन्तरिम राहत, आदि :–

EMPn = EMPn-1(1+**CPI** inflation)

जहॉ,

EMPn= nth वर्ष के लिए कर्मचारी खर्च;

EMPn-1= n-1 वर्ष के लिए कर्मचारी लागत ;

CPI inflation= विगत तीन वित्तीय वर्षो के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक;

34.2 मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय

मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय की गणना निम्न सूत्र से की जायेगी–

R&Mn = R&Mn-1(1+WPIinflation)

जहाँ,

R&Mn: nth वर्ष के लिए मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय;

R&Mn-1: n-1 वर्ष के लिए कर्मचारी लागत;

WPI inflation= विगत तीन वित्तीय वर्षो के लिए औसत थोक मूल्य सूचकांक;

34.3 प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय की गणना निम्नलिखित सूत्र में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की वृद्धि के आधार पर आगणित होगी, पुष्टि की गयी पहल के प्रावधानों के समायोजन द्वारा (सूचना प्रौद्योगिकी आदि की पहल जैसा कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित की जाय तथा आयोग द्वारा प्रमाणित हो) अथवा अन्य अपेक्षित एकमुश्त खर्चे:–

A&Gn =A&Gn-1(1+WPI inflation)

जहाँ,

A&Gn= nth वर्ष के लिए प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय;

A&Gn-1= n-1 वर्ष के लिए प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय;

WPI inflation: विगत तीन वित्तीय वर्षो के लिए औसत थोक मूल्य सूचकांक;

प्रतिबन्ध यह कि ब्याज एवं वित्तीय प्रभार जैसे क्रेडिट रेटिंग शुल्क, संग्रहण सुविधा प्रभार, विलम्बित भुगतान अधिभार की वित्त पोषण लागत तथा अन्य वित्तीय प्रभार प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों का भाग होंगे।

उदाहरण: वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, n-1 वर्ष वित्तीय वर्ष 2019–20 होगा जो कि आधार वर्ष भी है।

35. (गैर) नान टैरिफ आय

35.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक पारेषण प्रभारों के निर्धारण में व्यवसाय से सम्बन्धित गैर टैरिफ आय की धनराशि जैसा कि आयोग अनुमोदित करे एआरआर में से घटाई जायगी:

प्रतिबन्ध यह होगा कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी गैर टैरिफ आय के पूर्वानुमान का पूरा–पूरा ब्यौरा आयोग को उस रूप में भेजेगा जैसा कि आयोग कहे।

35.2 गैर टैरिफ आय में शामिल होगा

क) भूमि या भवन के किराये से होने वाली आय;

ख) रद्दी माल के विक्रय से होने वाली आय;

ग) निवेशों से आय;

घ) आपूर्तिकर्ता और ठेकेदारों को दिए अग्रिमों से होने वाले ब्याज की आय;

ड.) कर्मचारियों को दिये गए ऋण एवं अग्रिमों पर होने वाले ब्याज की आय;

च) कर्मचारी भवन के किराये से होने वाली आय;

छ) ठेकेदारों से होने वाली किराये की आय;

ज) ठेकेदारों एवं अन्य से भाड़े से होने वाली आय;

झ) पूँजीगत कार्यों के पर्यवेक्षण प्रभारों से आय;

ञ) विज्ञापन से होने वाली आय;

ट) टेन्डर दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय;

ठ) भौतिक सत्यापन पर प्राप्त आधिक्य;

ड) पूर्व अवधि की आय;

ढ़) विविध प्राप्ति; तथा

ण) अन्य नान टैरिफ आय:

प्रतिबन्ध यह है कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा विनियमित व्यापार की पूंजी पर लाभ के निवेश पर ब्याज से होने वाली आय नान–टैरिफ आय में शामिल नहीं की जायेगी;

36. अन्य व्यवसाय से होने वाली आय

जहाँ पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 41 के अन्तर्गत किसी अन्य व्यवसाय में अपने को लिप्त करता हैं जिसमें परिसम्पत्तियों का अधिकतम उपयोग हो सके, ऐसे व्यवसाय से होने वाली आय अनुज्ञप्तिधारी की राजस्व आवश्यकता की गणना करते समय एआरआर में से उस तरीके एवं उसका भाग घटा दिया जायेगा जैसा कि आयोग निर्दिष्ट करे। अन्य व्यवसाय के राजस्व का जो भाग पारेषण व्यवसाय में उपयोग होगा वह यूपीईआरसी (पारेषण लाइसेंसधारियों एवं वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य कार्य से आय का निर्वाह) विनियमावली, 2004, समय समय पर संशोधित, में निर्दिष्ट के अनुसार होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पारेषण व्यवसाय एवं अन्य व्यवसाय के मध्य सम्पूर्ण संयुक्त तथा सामान्य लागतों का आवंटन उचित आधार पर करेगा तथा आयोग को एआरआर निर्धारण की याचिका के साथ निदेशक मण्डल के द्वारा प्रमाणित आवंटन विवरण प्रस्तुत करेगाः

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अन्य व्यवसाय की सम्पूर्ण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागत का योग अन्य व्यवसाय के राजस्व से अधिक होता है, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के एआरआर में अन्य व्यवसाय के कारण कोई रकम जोड़ी नहीं जायेगी।

37. पारेषण मूल्यांकन ढॉचा

आयोग एक विस्तृत अध्ययन करने के बाद एवं नियामक प्रक्रिया करने के उपरान्त वर्तमान पारेषण मूल्यांकन ढांचा को बदल सकता है निम्नलिखित पर विचार करने के उपरान्त जैसे कि वोल्टेज, दूरी, दिशा तथा प्रवाह की मात्रा आधारित आदि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा बताये गए तरीके पर, जो भी आयोग ठीक समझे।

38. पारेषण हानियाँ

अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली में ऊर्जा हानियाँ जैसा स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर द्वारा निर्धारित एवं आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाये, पारेषण प्रणाली में प्रयोग करने वालों द्वारा अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के उनके प्रयोग के अनुपात में वहन की जायेगी।

भाग : र– वितरण

39. वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लेखों को अलग करना

39.1 प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिसमें वितरण तार व्यवसाय एवं फुटकर आपूर्ति व्यवसाय के लिए पृथक लेखीय अभिलेखों का रख–रखाव करेगा एवं बटवारे का विवरण तैयार करेगा जिससे आयोग उनकी पृथक टैरिफ को तय करेगाः

अ) वितरण तार व्यवसाय (चक्रीय);

ब) फुटकर आपूर्ति व्यवसायः

प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि दोनों व्यवसाय का खाता अलग अलग नहीं रखा गया है वितरण तार व्यवसाय एवं फुटकर आपूर्ति व्यवसाय तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के एआरआर का बटवारा वितरण तार व्यवसाय और फुटकर आपूर्ति व्यवसाय के मध्य बटवारा मैट्रिक्स के अनुसार होगा जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बनाया जायेगा और आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगाः

अग्रेतर यह प्रतिबन्ध है कि बटवारा मैट्रिक्स में सभी या किसी भी व्यय या राजस्व के मद पर लागू होगा जहॉपर वितरण तार व्यवसाय एवं फुटकर आपूर्ति व्यवसाय के मध्य वास्तविक पृथक लेखांकन नहीं किया गया हैः

प्रतिबन्ध यह भी है कि आयोग वितरण तार व्यवसाय एवं फुटकर आपूर्ति व्यवसाय के टैरिफ निर्धारण के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी को पृथक याचिका दाखिल करने को कह सकता है।

40. प्रयोज्यता

40.1 इस भाग के विनियम वितरण प्रणाली प्रयोगकर्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तार के प्रयोग के लिए देय चक्रीय प्रभार का निर्धारण करेंगे तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसके उपभोक्ताओं की फुटकर आपूर्ति के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए लागू होंगे।

41. वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए एआरआर के अवयव

41.1 चक्रीय प्रभार तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की फुटकर आपूर्ति के टैरिफ के माध्यम से एआरआर की वसूली करेंगे, जैसा कि आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाये तथा उसमें निम्नलिखित अवयव शामिल होंगे :

अ) ऊर्जा क्रय के खर्चे;

ब) अन्तर राज्य पारेषण प्रभार;

स) अन्तः राज्य पारेषण प्रभार;

द) एसएलडीसी के शुल्क एवं प्रभार;

य) परिचालन एवं अनुरक्षण खर्चे;

र) ह्रास;

ल) ऋण पूँजी पर ब्याज;

व) कार्यशील पूँजी पर ब्याज;

श) अशोध्य एवं संदिग्ध विचारित के लिए प्रावधान;

ष) आकस्मिक कोष के लिए योगदान;

स) साम्या पर प्रतिफल;

ह) आयकर;

घटाव

क्ष) गैर–टैरिफ आय;

त्र) अन्य व्यवसाय से आय, इन विनियमों में जहा तक वर्णित हो:

प्रतिबन्ध यह है कि ह्रास, ऋण पूँजी पर ब्याज, कार्यशील पूँजी पर ब्याज, आकस्मिक कोष के योगदान साम्या पर लाभ एवं वितरण व्यवसाय पर आयकर को पार्ट–द में दिये गए प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य किया जायगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह होगा कि पूर्व कालिक आय/व्यय ट्रू–अप के समय आयोग द्वारा अनुमन्य किया जायेगा अंकेक्षित खातों के आधार पर एवं प्रकरणवार न्यायपूर्वक विचार होगा:

प्रतिबन्ध यह भी होगा कि किसी पक्ष को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय सभी अर्थदण्डों एवं क्षतिपूर्ति सम्पादन मानकों को पूरा करने में असफल होने के लिए आयोग, कोर्ट, उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, विद्युत लोकपाल आदि के आदेश के परिणामस्वरूप, को एआरआर टैरिफ से वसूल करने के लिए अनुमन्य नहीं किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह होगा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे जुर्माने एवं मुआवजे जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय हो या दिये गये हो, यदि कोई हो, तो उनका पृथक ब्योरा रखेगा, उन्हें आयोग के समक्ष याचिकां के साथ प्रस्तुत करेगा।

41.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी की चक्रीय प्रभारों तथा खुदरा आपूर्ति के लिये टैरिफ का निर्धारण आयोग द्वारा इन विनियमों के भाग–ब के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई टैरिफ निर्धारण के लिये याचिका के आधार पर किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ में किन्ही स्थाई/मांग प्रभारों, एनर्जी प्रभारो तथा अन्य प्रभारों/प्रोत्साहनों का उपभोक्ताओं से वसूली के उद्देश्य के लिए सम्मिश्रण का समाविष्ट हो सकता है जैसाकि आयोग द्वारा निर्धारित किया जाये:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि आयोग द्वारा निर्धारित किये गये संपादन मापदण्डों के आधार पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए, आयोग क्षेत्रवार टैरिफ निर्धारण कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह भी है कि माने गये वितरण अनुज्ञप्तिधारी के सम्बन्ध में जिसकी टैरिफ इन विनियमों के प्रभाव में आने तक की तिथि तक आयोग द्वारा अभी निर्धारित की जानी है, आयोग सीलिंग खुदरा आपूर्ति टैरिफ तथा खुली पहुंच वाले ग्राहकों के लिए सीलिंग चक्रीय प्रभार निर्धारित कर सकता है। जिन्हें ऐसे माने गये वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस समय तक भारित किया जा सकता है, जैसा कि आयोग द्वारा उपयुक्त समझा जाये।

42. बिक्री पूर्वानुमान

42.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को अनुमोदन हेतु प्रत्येक टैरिफ कैटेगिरी/उपकैटेगिरी तथा ऐसी टैरिफ कैटेगिरी/उप कैटेगिरी के अन्दर प्रत्येक टैरिफ स्लैब के लिये विद्युत की अपेक्षित बिक्री का आपूर्ति के घंटों के साथ पूर्वानुमान प्रस्तुत करेगा जैसाकि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है:

प्रतिबन्ध यह है कि बिक्री का पूर्वानुमान उपभोक्ता वर्गो के प्रत्येक स्लैब की पूर्व की प्रवृत्तियों पर आधारित होगा। गत 7 वर्षों की बिक्री को उपभोक्ता श्रेणी के प्रत्येक खण्ड को सम्प्रेक्षित लेखा पुस्तकों के अनुसार मिश्रण वार्षिक वृद्धि दर अथवा यदि संप्रेक्षित लेखा उपलब्ध नहीं है, उस दशा में अनन्तिम खातों को विचारित किया जायेगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञापित क्षेत्र के अन्दर प्रत्येक वितरण फ्रेन्चाईजी के लिये पृथक से वर्गवार बिक्री से सम्बन्धित सम्बद्ध विवरण साथ ही साथ अपने अनुज्ञप्ति क्षेत्र में वर्गवार बिक्री का कुल योग प्रेषित करेगा।

42.2 बिक्री का पूर्वानुमान इन विनियमों के भाग सी के अन्तर्गत विद्युत प्राप्ति योजना के भाग के रूप में कराये गये भार पूर्वानुमान के अनुरूप होगा तथा पूर्वकालिक आंकडे तथा भविष्य के लिये उचित परिकल्पनाओं पर आधारित होगा।

43. वितरण हानि

43.1 आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण हानि के साथ बिक्री को मिलाकर उसे योग करके वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रेषण अन्तरपृष्ठ बिन्दु पर विद्युत क्रय कि आवश्यकतानुसार गणना की जायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी सम्पूर्ण वितरण हानि की गणना करते समय अपने लाइसेन्स क्षेत्र के अन्दर प्रत्येक वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र के लिए हानियों को भी ध्यान में रखेगा तथा उसे पृथक रूप से प्रस्तुत करेगा।

43.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी वितरण हानियों के प्रक्षेपपथ (उदय में वितरण हानियों के प्रक्षेपपथ प्रतिबद्धता को विचारित करते हुए) को आयोग के अनुमोदन के लिए व्यवसाय योजना के साथ प्रस्तुत करेगा।

44. पूंजी विनियोग योजना

44.1 विद्युत अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं की संख्या में होने वाली वृद्धि, इसके वितरण नेटवर्क को सशक्तिकरण करना एवं भार वृद्धि की आवश्यकता की पूर्ति, वितरण हानियों में कमी, आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरिंग संकुलन में कमी आदि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्तीयन योजना एवं भौतिक लक्ष्यों को व्यवसाय योजना के एक भाग के रूप में आयोग को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियंत्रण अवधि के किसी वर्ष के लिए पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत न करने की दशा में, आयोग उस वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय अस्वीकार कर सकता है।

44.2 पूँजी विनियोजन योजना कम से कम लागत की योजना विनियोजन के लिए होगी। यद्यपि सभी पूंजीगत योजना के खर्चे जो जिनकी लागत रु. 10 करोड़ से अधिक है विवेकपूर्ण जॉच के आधार पर आयोग द्वारा त्रैमासिक आधार पर पूर्व अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा।

44.3 पूंजी निवेश योजना इस प्रकार की सूचना, विवरण तथा दस्तावेजो के साथ होगा जैसाकि अपेक्षित हो, किन्तु इन सूचनाओं तक सीमित न हों जैसे वितरण उप–संस्थानों की संख्या, उपभोक्ता उप–संस्थान, परिवर्तन क्षमता MVAमें तथा विभिन्न क्षमता के वितरण परिवर्तको का विवरण, एच टी : एल टी अनुपात के साथ–साथ वितरण लाईनों की लम्बाई जो प्रस्तावित निवेशों की आवश्कता दर्शाते हुए, सुविचारित विकल्प, लागत/लाभ विश्लेषण एवं अन्य दृष्टिकोण जो खुदरा विद्युत आपूर्ति के लिए टैरिफ एवं चक्रीय प्रभारों पर प्रभाव रखता होः

प्रतिबन्ध यह है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्ति क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक वितरण फ्रेन्चाईजी के लिए पूंजी निवेश योजना के पृथक ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

45. परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय

अ) वितरण व्यवसाय के लिए परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय इन विनियमों जैसा निर्धारित है उसके अनुसार आगणित किया जायेगा।

ब) परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय 31.03.2019 को समाप्त होने वाले विगत पांच वर्षो के ट्रूअप मूल्यों (दक्षता लाभ/हानि को छोड़कर) के औसत के आधार पर आयोग की विवेकपूर्ण जॉच के अधीन निकाला जायेगा। फिर भी, यदि वित्तीय वर्ष 2018–19 के ट्रूअप मूल्य (दक्षता लाभ/हानि को छोड़कर) उपलब्ध न हों, उस दशा में उपलब्ध विगत पांच वित्तीय वर्षो के ट्रूअप मूल्यों (दक्षता लाभ/हानि को छोड़कर) को विचारित किया जायेगा तथा अग्रेतर इसके उपलब्ध होने पर आधार वर्ष का मूल्य (यथा वित्तीय वर्ष 2019–20) पुनः आगणित किया जायेगा।

स) यह औसत परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय मध्यवाले वर्ष का परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय माना जायेगा तथा इसे वर्ष दर वर्ष अग्रेतर वर्षो के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 तक सम्बन्धित वर्षों के सी0पी0आई0 तथा डब्ल्यू0पी0आई0 60:40 के अनुपात में वृद्धि के साथ बढ़ाया जायेगा।

द) एकमुश्त खर्चा जैसा कि लेखीय नीति बदलने के कारण खर्चा, वेतन आयोग के कारण वेतन एरियर का भुगतान आदि तथा खर्चे जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण के बाहर हों जैसें कि कर्मचारी की लागत में मंहगाई भत्ता, सेवानिवृत्तिक लाभ, आयोग विवेकपूर्ण जॉच के पश्चात् उनको सामान्य परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय के ऊपर स्वीकृत कर सकता है।

य) परिचालन एवं अनुरक्षण व्ययों के ट्रूइंग–अप के समय, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक के ऊपर वास्तविक बिन्दुवार मुद्रास्फीति तथा श्रम ब्यूरो, भारत सरकार के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों (सम्पूर्ण भारत) के लिए वास्तविक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सम्बन्धित वर्ष में, विचारित किया जायेगा।

45.1 कर्मचारी लागत

कर्मचारी लागत की गणना निम्नलिखित सूत्र में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की वृद्धि के आधार पर आगणित होगी, जिसमें से ऐसे खर्चे जिनका प्रावधान अनुज्ञप्तिधारी के नियन्त्रण के बाहर हुआ हो एवं एकमुश्त सम्भाव्य खर्चे, जैसे कि सेवानिवृत्तक लाभों की वसूली/समायोजन, वेतन आयोग का प्रभाव, बकाया, अन्तरिम राहत, आदि :–

EMPn = EMPn-1(1+**CPI** inflation)

जहॉ,

EMPn= nth वर्ष के लिए कर्मचारी खर्च;

EMPn-1= n-1 वर्ष के लिए कर्मचारी लागत;

CPI inflation= विगत तीन वित्तीय वर्षो के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक;

45.2 मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय

मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय की गणना निम्न सूत्र से की जायेगी–

R&Mn = R&Mn-1(1+WPIinflation)

जहाँ,

R&Mn: nth वर्ष के लिए मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय;

R&Mn-1: n-1 वर्ष के लिए कर्मचारी लागत;

WPI inflation= विगत तीन वित्तीय वर्षो के लिए औसत थोक मूल्य सूचकांक;

45.3 प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय की गणना निम्नलिखित सूत्र में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की वृद्धि के आधार पर आगणित होगी, पुष्टि की गयी पहल के प्रावधानों के समायोजन द्वारा (सूचना प्रौद्योगिकी आदि की पहल जैसा कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित की जाय तथा आयोग द्वारा प्रमाणित हो) अथवा अन्य अपेक्षित एकमुश्त खर्चे:–

A&Gn =A&Gn-1(1+WPI inflation)

जहाँ,

A&Gn= nth वर्ष के लिए प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय;

A&Gn-1= n-1 वर्ष के लिए प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय;

WPI inflation: विगत तीन वित्तीय वर्षो के लिए औसत थोक मूल्य सूचकांक;

प्रतिबन्ध यह कि ब्याज एवं वित्तीय प्रभार जैसे क्रेडिट रेटिंग शुल्क, संग्रहण सुविधा प्रभार, विलम्बित भुगतान अधिभार की वित्त पोषण लागत तथा अन्य वित्तीय प्रभार प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों का भाग होंगे।

उदाहरणः वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, n-1 वर्ष वित्तीय वर्ष 2019–20 होगा जो कि आधार वर्ष भी है।

46. अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के अपलेखन के प्रावधान

46.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उस वर्ष के संप्रेक्षित खातों में विद्युत बिक्री से राजस्व प्राप्य के रूप में दिखायी गयी धनराशि का 2 प्रतिशत तक अथवा वास्तविक अपलिखित अशोध्य ऋण, दोनों में जो न्यून हो, आयोग उस वर्ष के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के अपलेखन के प्रावधान की अनुमति दे सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि आयोग द्वारा अनुमन्य किये गये किसी वर्ष के अपलेखन के प्रावधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस वर्ष के सम्प्रेक्षित खातों में किये गये अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के वास्तविक अपलेखन के प्रावधान से अधिक नहीं होंगे:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि आयोग उसके एआरआर/टैरिफ आदेश में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके नवीनतम उपलब्ध अंकेक्षित खातों में बनाये गये वास्तविक अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के अपलेखन के प्रावधान के आधार पर, जैसा आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, अनन्तिम अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के अपलेखन के प्रावधान को अनुमोदित कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि किसी विशेष अशोध्य ऋण के अपलेखन के पश्चात उससे राजस्व की वसूली होती है, उस दशा में यह वसूल किया गया राजस्व उस वर्ष की गैर टैरिफ आय में शामिल किया जायेगा।

47. गैर टैरिफ आय

47.1 वितरण व्यवसाय से सम्बन्धित गैर टैरिफ आय की धनराशि जो आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी है उसे वितरण व्यवसाय के लिए फुटकर आपूर्ति एवं चक्रीय प्रभारों के लिए टैरिफ निर्धारित करने में एआरआर से घटा दिय जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी गैर टैरिफ आय के पूर्वानुमान का पूर्ण विवरण उस रूप में प्रस्तुत करेगा जैसाकि आयोग द्वारा निर्धारण किया जाये।

47.2 गैर टैरिफ आय में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :–

क) भूमि या भवन के किराये से आय;

ख) रद्दी सामान की बिक्री से आय;

ग) विनियोगों से आय;

घ) आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों को दिये गये अग्रिमो पर ब्याज से आय;

ङ) कर्मचारियों को दिये गये कर्ज एवं अग्रिमों पर ब्याज की आय;

च) कर्मचारियों को दिये गये भवन से किराये से आय;

छ) ठेकेदारों से किराये से आय;

ज) ठेकेदारों व अन्य से होने वाली किराये से आय;

झ) विलम्बित भुगतान अधिभारों, पर्यवेक्षीय प्रभारों आदि से आय;

ञ) पूंजीगत कार्यों के लिए पर्यवेक्षण प्रभार;

ट) बिजली की चोरी आदि से होने वाली वसूली की आय;

ठ) विज्ञापन से आय;

ड) टेण्डर दस्तावेजों की बिक्री से आय;

ढ़) भौतिक सत्यापन पर प्राप्त आधिक्य;

ण) पूर्व अवधि की आय;

प) विविध प्राप्ति; तथा

फ) अन्य किसी प्रकार की गैर टैरिफ आय:

प्रतिबन्ध यह है कि साम्या पर लाभों से की गयी आय के निवेशों से अर्जित ब्याज, वितरण व्यवसाय के नियोजित व्यवसाय के समतुल्य गैर टैरिफ आय में शामिल नहीं की जावेगी।

48. अन्य व्यवसाय से आय

48.1 जहाँ वितरण अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत किसी अन्य व्यवसाय में अपने को लिप्त करता हैं जिसमें परिसम्पत्तियों का अधिकतम उपयोग हो सके, ऐसे व्यवसाय से होने वाली आय अनुज्ञप्तिधारी की राजस्व आवश्यकता की गणना करते समय एआरआर में से उस तरीके एवं उसका भाग घटा दिया जायेगा जैसा कि आयोग निर्दिष्ट करे। अन्य व्यवसाय के राजस्व का जो भाग पारेषण व्यवसाय में उपयोग होगा वह यूपीईआरसी (पारेषण लाइसेंसधारियों एवं वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य कार्य से आय का निर्वाह) विनियमावली, 2004, समय समय पर संशोधित, में निर्दिष्ट के अनुसार होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी वितरण व्यवसाय एवं अन्य व्यवसाय के मध्य सभी संयुक्त एवं सामान्य लागतों के आवंटन के लिए उपयुक्त आधार का अनुसरण करेगा एवं कम्पनी के निदेशक मण्डल से विधिवत रूप से सत्यापित आवंटन विवरण आयोग को एआरआर निर्धारणं की याचिका के साथ प्रस्तुत करेगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे व्यवसाय को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागतों की कुल राशि ऐसे अन्य व्यवसाय के राजस्व से अधिक होती है ऐसे अन्य व्यवसाय के कारण वितरण व्यवसाय के एआरआर में कोई धनराशि जोड़ना अनुमन्य नहीं होगी।

49. आन्तरिक सहायिकी अधिभार

49.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति क्षेत्र में स्थित उपभोक्ता जो कि खुली पहुंच का उपयोग कर रहा है वह यूपीईआरसी ओपेन एक्सेस विनियमावली, समय समय पर संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित किये गये आन्तरिक सहायिकी अधिभार का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। यह आन्तरिक सहायिकी अधिभार भारत सरकार द्वारा जारी की गयी टैरिफ नीति 2016, समय समय पर अधिसूचित पुनर्विचारित/संशोधित/परिशिष्ट, के प्रावधानों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

49.2 भारत सरकार द्वारा जारी की गयी टैरिफ नीति 2016 के अनुसार आन्तरिक सहायिकी अधिभार की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी:

वितरण अनुज्ञप्तिधारी की उपयुक्त श्रेणी के उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति की लागत (अ) नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व को पूरा करते हुए विद्युत क्रय की प्रतियूनिट भारित औसत लागत, (ब) आयोग द्वारा अनुमोदित सम्बन्धित वोल्टेज लेवलपर लागू पारेषण एवं वितरण हानियां एवं व्यापारिक हानियां, (स) सम्बन्धित वोल्टेज लेवल तक पारेषण, वितरण एवं चक्रीय प्रभार, (द) रेगुलेटरी एसेट की प्रतियूनिट रखाव लागत, यदि लागू हो, का योग होगी।

अधिभार सूत्र

$$S=T-[C/(1-L/100)+D+R]$$

जहाँ,

S आन्तरिक सहायिकी अधिभार है;

T सम्बन्धित श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा देय टैरिफ, नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व को विचारित करते हुए;

C नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व को पूरा करते हुए विद्युत क्रय की प्रतियूनिट भारित औसत लागत;

D सम्बन्धित वोल्टेज लेवल तक पारेषण, वितरण एवं चक्रीय प्रभारों का योग ;

L पारेषण वितरण एवं व्यापारिक हानियों का योग, प्रतिशत में सम्बन्धित वोल्टेज लेवल पर लागू दर्शाते हुए;

R रेगुलेटरी एसेट की प्रतियूनिट रखाव लागतः

प्रतिबन्ध यह है कि आन्तरिक सहायिकी अधिभार खुली पहुंच चाहने वाले उपभोक्ता की श्रेणी पर लागू टैरिफ के 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी।

50. अतिरिक्त अधिभार

50.1 अधिनियम की धारा 42(4) के अनुसार आपूर्ति हेतु दायित्व के लिए अतिरिक्त अधिभार केवल तभी लागू होगा यदि यह निश्चयात्मक रूप से प्रदर्शित होता है कि विद्यमान विद्युत क्रय वचनबद्धता के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी का दायित्व रहा है तथा फंसा हुआ चालू रहता है अथवा एक संविदा के फलस्वरूव स्थायी लागतो को वहन करने के लिए अपरिहार्य एवं अद्यतन (भार)।

51. चक्रीय प्रभार

51.1 नेटवर्क सम्पत्तियों से सम्बन्धित स्थायी लागत चक्रीय प्रभार के माध्यम से वसूल की जायेगी। आवंटन तालिका के आधार पर चक्रीय एआरआर निर्धारित किया जायेगा। चक्रीय प्रभार (प्रतियूनिट) चक्रीय एआरआर को कुल बिक्री हेतु उपलब्ध यूनिटों से विभाजित करके निर्धारित किया जायेगा।

51.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को यह अधिकार होगा कि वह खुली पहुंच वाले ग्राहकों से वितरण प्रणाली के परिचालन से उत्पन्न हो रही चक्रीय हानियों को द्रव्य/वस्तु के रूप में प्रतिपूर्ति करे।

प्रतिबन्ध यह है कि सन्निहित खुली पहुंच वाले ग्राहक जो पहले से मांग प्रभारों का भुगतान कर रहे हैं उन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारी को चक्रीय प्रभारों के भुगतान की आवश्यकता नहीं है।

52. अन्य प्रभार

52.1 अनुज्ञप्तिधारी को खुली पहुंच वाले ग्राहकों से यूपीईआरसी ओपेन एक्सेस विनियमावली, समय समय पर संशोधित, में नियत अन्य प्रभारों को वसूल करने की अनुमति होगी।

53. खुदरा आपूर्ति टैरिफ का निर्धारण

53.1 आयोग उपभोक्ताओं का वर्गीकरण उनके लोड फैक्टर, पावर फैक्टर वोल्टेज, किसी निर्धारित अवधि में विद्युत का कुल उपभोग या उस अवधि में जब आपूर्ति विद्युत की आवश्यकता किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, विद्युत आपूर्ति की प्रकृति एवं उद्देश्य जिसके लिए विद्युत की आपूर्ति की आवश्कता है, के आधार पर कर सकता है।

53.2 आपूर्ति के औसत लागत मूल्य के आधार पर फुटकर आपूर्ति टैरिफ विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित की जावेगी। आयोग टैरिफ को निर्धारित करते समय उसकी लागत विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर तथा उपभोक्ताओं को न्यूनतम टैरिफ झटका लगने की आवश्यकता भी ध्यान में रखेगा।

53.3 फिक्स/मांग प्रभार को शनैः शनैः एक लम्बी अवधि के अन्तराल में एआरआर की स्थिर लागत जिसमें उत्पादन संयंत्रों की स्थिर लागत, पारेषण प्रभार, समता पर लाभ, ऋण पर ब्याज, ह्रास, परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय तथा अन्य स्थिर लागतें सम्मिलित होंगी, के बराबर कर दिया जायेगा। विद्युत प्रभार शनैः शनैः शेष एआरआर के बराबर कर दिया जायेगा जोकि एआरआर की परिवर्तनशील लागत जिसमें उत्पादन संयंत्रों की ईधंन लागत एवं अन्य परिवर्तनशील लागतें सम्मिलित होंगी।

भाग : ल

राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान करना

54. राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान करने का तरीका

54.1 यदि राज्य सरकार किसी उपभोक्ता या उपभोक्ता वर्ग को आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में सब्सिडी प्रदान करना चाहती है, उस दशा में वह अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

भाग—व

विविध

55. व्यावृत्ति

55.1 इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है जो ऐसे आदेशों, जो न्याय के उद्‌देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों, आयोग द्वारा जारी करने के अधिकारों को सीमित कर सके या अन्यथा प्रभावित कर सके।

55.2 इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जो आयोग को इन विनियमों के किसी प्रावधानों से हटकर प्रक्रिया को और यदि आयोग किसी प्रकरण या प्रकरणों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उस प्रकरण या प्रकरण के वर्ग को निर्णीत करने के लिए न्यायसंगत अथवा आवश्यक समझे, अधिनियम के प्रावधानों की अनुरूपता में अपनाने से रोकेगा।

55.3 इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जो अभिव्यक्ति या अन्तर्निहित रूप से किसी प्रकरण या अधिनियम के अन्तर्गत किसी अधिकार के प्रयोग, जिसके लिए कोई विनियमावली नहीं बनायी गयी, से आयोग को रोक सकेगा और आयोग ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही अधिकारों का प्रयोग एवं कार्यवाही इस प्रकार से कर सकता है जैसा यह उचित एवं न्यायसंगत समझे।

56. कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार

यदि इन विनियमों के प्रावधानों को लागू करने में कोई दिक्कत आती है तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे निर्देश दे सकता है, जो अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो एवं कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक एवं उचित लगे।

57. संशोधन करने का अधिकार

आयोग इन विनियमों के प्रावधानों को किसी भी समय सवंर्धित, परिवर्तित, बदल, सुधार, या संशोधित कर सकता है।

संजय कुमार सिंह

सचिव

उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग।

24 आ0 ग0 - 6 - A

अनुलग्नक ए – ह्रास की अनुसूची

			सम्पत्तियों का विवरण	ह्रास की दर
अ			पूर्ण अधिकार के अन्तर्गत स्वामित्व वाली भूमि	–
ब			पट्टे के अन्तर्गत धारित भूमि	
	(क)		भूमि में विनियोजन हेतु	3.34%
	(ख)		स्थल की स्वच्छता की लागत हेतु	3.34%
स			नई सम्पत्तियों का क्रय	
	(क)		स्थायी स्वरूप के भवन एवं जानपद इन्जीनियरिंग कार्य	
		(i)	कार्यालय एवं शोरूम	3.34%
		(ii)	अस्थायी निर्माण जैसे लकड़ी का ढांचा	100%
		(iii)	कच्ची सड़क के अतिरिक्त सड़क	3.34%
		(iv)	अन्य	3.34%
	(ख)		परिवर्तक, परिवर्तक (किआस्क) उपसंस्थान उपकरण एवं अन्य स्थायी यन्त्र (संयत्र नींव को शामिल करते हुए)	
		(i)	परिवर्तक (फाउन्डेशन को शामिल करते हुए) 100 किलो वोल्ट एम्पीयर एवं उसके ऊपर की रेटिंग	5.28%
		(ii)	अन्य	5.28%
	(ग)		स्विच गियर केबिल कनेक्शन शामिल करते हुए	5.28%
	(घ)		तड़ित चालक	
		(i)	स्टेशन टाईप	5.28%
		(ii)	पोल टाईप	5.28%
		(iii)	सिन्क्रोनियस कन्डेन्सर	5.28%
	(ङ.)		बैटरियाँ	5.28%
		(i)	जुड़े हुए बाक्स एवं विच्छेदित बाक्सों को शामिल करते हुए भूमिगत केबल	5.28%
		(ii)	केबिल डक्ट सिस्टम	5.28%
	(च)		ओवरहेड लाइन्स इन्क्लूडिंग सपोर्ट	
		(i)	लाईन आन फैब्रीकेटिंग स्टील आपरेटिंग एट नामिनल वोल्टेज हायर दैन 66 केवी	5.28%
		(ii)	लाईन आन स्टील सपोर्ट आपरेटिंग एट नामिनल वोल्टेज हायर दैन 13.2 किलो वोल्ट बट नाट इक्सीडिंग 66 केवी	5.28%
		(iii)	लाईनस् आन स्टील आर रिइन्फोर्सेड क्रांक्रीट सपोर्ट	5.28%
		(iv)	लाईन आन ट्रीटेड वुड सपोर्ट	5.28%
	(छ)		मीटर्स	5.28%
	(ज)		सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकिल्स	9.50%
	(झ)		वातानुकूलित संयंत्र	
		(i)	स्टेटिक	5.28%
		(ii)	पोर्टेबिल	9.50%
	(ट)		फर्नीचर एण्ड फिटिंग्स	
		(i)	कार्यालय फर्नीचर एवं फिटिंग	6.33%
		(ii)	कार्यालय उपकरण	6.33%
		(iii)	फिटिंग एवं अप्रेट्स सहित आन्तरिक वायरिंग	6.33%
		(iv)	मार्ग प्रकाश फिटिंग	5.28%
	(ठ)		किराये पर दिये गये उपकरण	
		(i)	मोटर के अलावा	9.50%
		(ii)	मोटर	6.33%
		(ड)	आई.टी. उपकरण साफ्टवेयर सहित	15%
	(ढ़)		अन्य कोई सम्पत्तियां जो ऊपर आवरित न हो	5.28%

24 आ0 गा0-6-B

अनुलग्नक : ब

एक माह के लिए पारेषण प्रणाली उपलब्धता, घटक की गणना के लिए पद्धति

1. एक कैलेण्डर माह के लिए पारेषण प्रणाली उपलब्धता घटक सम्बन्धित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आगणित किया जायेगा, प्रत्येक ए.सी. पारेषण प्रणाली के लिए पृथक रूप से एवं पारेषण प्रभारों की भागीदारी के अनुसार समूहीकरण किया जायेगा एवं एसएलडीसी से सत्यापित तथा प्रमाणित कराया जायेगा।

2. टीएएफएम, प्रतिशत में (100 – 100 x NAFM) बराबर होगा जहां एनएएफएम पारेषण प्रणाली/उप–प्रणाली के लिए माह के लिए प्रति इकाई में, गैर–उपलब्धता घटक है।

3. एस.सी. सिस्टम/सब सिस्टम के लिए एन.ए.एफ.एम. निम्न के बराबर होगा :–

$$= \frac{[\sum_{l=1}^{L}(OH_l \; X \; Cktkm_l \; X \; NSC_l) + \sum_{t=1}^{T}(OH_t \; X \; MVA_t \; X \; 2.5) + \sum_{r=1}^{R}(OH_r \; X \; MVAR_r \; X \; 4)]}{THM \; X \; [\sum_{l=1}^{L}(Cktkm_l \; X \; NSC_l) + \sum_{t=1}^{T}(MVA_t \; X \; 2.5) + \sum_{r=1}^{R}(MVAR_r \; X \; 4)]}$$

जहाँ :

l =पारेषण लाइन सर्किट चिन्हित करता है;

t = एक परिवर्तक / अन्तर सम्बन्धित परिवर्तक को चिन्हित करता है (आईसीटी);

r = ए बस रिएक्टर, स्विचएबुल लाईन रिएक्टर आर स्टेटिक वीएआर कम्पेनशेसन (एसवीसी) को चिन्हित करता है;

L = लाइन सर्किटों की कुल संख्या;

T = बस रिएक्टर, स्विचएबुल लाईन रिएक्टर एण्ड एसवीसीज की कुल संख्या;

R = बस रिएक्टर, स्विचएबुल लाईन रिएक्टर एण्ड एसवीसीज की कुल संख्या;

OH = माह में कटौती के घंटे या अनुपलब्धता के घंटे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर आरोपणीय नहीं कटौती को छोड़ते हुए;

ckt Km = ट्रान्समिशन लाईन सर्किट की किलोमीटर में लम्बाई;

NSC = सब कन्डेक्टर पर फेज की संख्या;

MVA = एक ट्रान्सफार्मर/आईसीटी की एमवीए रेटिंग;

MVAR = एक बस रिएक्टर स्विचेबल लाईन रिएिक्टर आरएनएसटीसी की एमवीएआर रेटिंग (उस मामले में यह प्रेरक एवं क्षमतात्मक क्षमताओं का योग होगा);

THM = माह में कुल घंटे;

4. **निम्नलिखित कारणों से कटौती के समय के अन्तर्गत पारेषण अवयवों को उपलब्ध माना जायेगा :**

अ) अन्य पारेषण योजना के अवयवों के अनुरक्षण एवं निर्माण के लिए किया गया शटडाउन। यदि अन्य पारेषण योजना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से सम्बन्धित होती है, एसएलडीसी अन्तर्निहित कार्य के लिए उसके द्वारा समुचित रूप से विचारित करके मानी हुई उपलब्धता अवधि को प्रतिबन्धित कर सकता है।

ब) एसएलडीसी के निर्देशानुसार पारेषण लाइन को अधिक वोल्टेज एवं स्विच रिएक्टरो की मानवीय ट्रिपिंग को प्रतिबन्धित करने हेतु बन्द करना।

5. पारेषण अवयवों की कटौती का समय निम्नलिखित आकस्मिकताओं के लिए विचारित अवधि के अन्तर्गत अव्ययों के कुल समय में से निकाल दिया जायेगा :

अ) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण के बाहर की अप्रत्याशित घटनाएं जैसे युद्ध, हड़ताल, दंगे, बाढ़ एवं भूचाल आदि के कारण अवयवों की कटौती।

फिर भी एसएलडीसी को संतुष्ट करने का दायित्व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का होगा कि अवयव कटौती उपरोक्त वर्णित घटनाओं के कारण थी और डिजाइन असफलता के कारण नहीं थी। एसएलडीसी द्वारा एक उचित पुनः स्थापन समय अवयवों के लिए विचारित किया जायेगा तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उचित समय से आगे अव्ययों की पुनः स्थापना के लिए कोई अतिरिक्त समय लिया जाता है वह पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर अरोपणीय कटौती समय माना जायेगा। एसएलडीसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा किसी विशेषज्ञ से उचित समय के निर्धारण के लिए विचार विमर्श कर सकता है। आपात पुनः स्थापन प्रणाली से फिर से चालू किये गये विद्युत परिपथों को उपलब्ध माना जायेगा।

ब) ग्रिड घटनाओं/गड़बड़ी के कारण कटौती पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर आरोपणीय नहीं है। उदाहरणार्थ ग्रिड में विघ्न के कारण अन्य संस्थाओं द्वारा स्वामित्व वाले उपसंस्थान या बे में दोषों के कारण पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के अव्ययों तथा लाईनो की ट्रिपिंग, आईसीटी आदि की कटौती। फिर भी, ग्रिड घटना/विघ्न होने पर प्रणाली को उचित समय में सामान्य करते समय एसएलडीसी से प्राप्त निर्देशों पर अवयव को चालू नहीं किया जाता, एसएलडीसी के पुनः स्थापन के लिए निर्देशों के निर्गत होने के पश्चात कटौती की अवधि के लिए अवयव को उपलब्ध नहीं माना जायेगा।

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(MULTI YEAR TARIFF FOR DISTRIBUTION AND TRANSMISSION) REGULATIONS, 2019

Notification No.: UPERC/Secy./ (MYT for Distribution and Transmission) Regulations, 2019/ 408.

Lucknow, dated: September 23, 2019

In exercise of the powers conferred by Clause (h), (i), (j), (l), (m), (o), (y), (zd), (ze), (zf), (zg), (zh) and (zp) of Sub-section (2) of section 181 read with the Proviso to Sub-section (1) of section 36, Sub- clause (ii) of clause (d) of Sub-section (2) of section 39, Second Proviso to Sub-clause (ii) of clause (d) of Sub-section (2) of section 39, Sub-clause (ii) of clause (c) of section 40, Second Proviso to Sub-clause (ii) of clause (c) of section 40, First Proviso to section 41, First Proviso to section 51, section 61, Sub- sections (2) and (5) of section 62, Sub-sections (1) and (3) of section 64, section 65 and clause (b) of Sub-section (1) of Section 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations. These Regulations shall supersede the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Distribution Tariff) Regulations, 2014 and Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Transmission Tariff) Regulations, 2014.

1. Short title, Extent, Applicablility and Commencement:

1. Short title, Extent, Applicability and Commencement:

1.1 These Regulations may be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff for Distribution and Transmission) Regulations, 2019.

1.2 These Regulations shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

1.3 These Regulations shall be applicable to existing and future Distribution Licensees, Transmission Licensees, and their successors for determination of Aggregate Revenue Requirement (ARR), Annual Performance Review (APR),Tariff, True-Up and related matters covered under these Regulations from April 01, 2020 up to March 31, 2025.

1.4 These Regulations shall come into force from April 01, 2020 and unless reviewed earlier or extended by the Commission, shall remain in force for a period of five years and will be published in the Official Gazette of the Government of Uttar Pradesh:

Provided that for all purposes,the issues relating to determination of ARR, APR, Tariff, True-Up and related matters,including review matters, for respective Financial Years shall be governed by the respective TariffRegulations applicable for that specific year.

2. Definitions:

2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires–

(1) **"Accounting Statement"** means for each financial year the following statements, namely: -

(i) Audited Balance Sheet, prepared in accordance with the form contained in Part I of Schedule 3 to the Companies Act, 2013 as amended from time to time.

(ii) Audited Profit and Loss Accounts, complying with the requirements contained in Part II of Schedule 3 to the Companies Act, 2013 as amended from time to time.

(iii) Audited Cash Flow Statement, prepared in accordance with the Accounting Standard on cash Flow Statement (IND AS-3) of the Institute of Chartered Accountants of India, as amended from time to time.

(iv) Report of statutory auditors of the Licensee.

(v) Cost records if any, prescribed by the Central Government under Section 148 of the Companies Act, 2013 as amended from time to time.

(vi) Together with notes thereto, and such other supporting statements and information as the Commission may direct from time to time.

(vii) Category/ Sub-category wise billed revenue as per the rate Schedule.

(2) **"Act"** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), as amended from time to time.

(3) **'Additional Capitalization'** means the capital expenditure incurred or projected to be incurred, after the date of commercial operation of the project, after prudence check, subject to the provisions of these Regulations.

(4) **"Aggregate Revenue Requirement" or "ARR"** means the costs pertaining to the licensed business which are permitted, in accordance with these Regulations, to be recovered from the Tariffs determined by the Commission.

(5) **"Allocation Statement"** means for each Financial Year, statements in respect of each of the businesses (Wheeling, Retail Supply, Other Business) of the Licensee, showing the amounts of any revenue, cost, asset, liability, reserve or provision etc., which has been either:

(a) Determined by apportionment or allocation between different Businesses of the Licensee, including the licensed Business, together with a description of the basis of the apportionment or allocation; or

(b) Charged from or to each such Other Business together with a description of the basis of that charge.

(6) **"Allotted Transmission Capacity"**means the power transfer in MW between the specified point(s) of injection and point(s) of drawal allowed to a long-term transmission customer or medium-term transmission customer under the normal circumstances and the expression "allotment of transmission capacity" shall be construed accordingly:

Provided that Allotted Transmission Capacity to a long-term transmission customer or medium-term transmission customer shall be sum of the generating capacities allocated to the long-term transmission customer or medium-term transmission customer from the Generating Stations and the contracted power, if any.

(7) **"Availability"** in relation to a Transmission System for a given period means the time in hours during that period for which the Transmission System is capable of transmitting electricity at its rated voltage, expressed in percentage of total hours in the given period, and shall be computed as provided in **Annexure-B** of these Regulations.

(8) **"Base Year"** means FY 2019-20, i.e.,the Financial Year immediately preceding first year of the Control Period and used for the purpose of these Regulations.

(9) **"Change in Law"** means occurrence of any of the following events:

(a) enactment, bringing into effect or promulgation of any new Indian law; or

(b) adoption, amendment, modification, repeal or re-enactment of any existing Indian law; or

(c) change in interpretation or application of any Indian law by a Competent Court, Tribunal or Indian Governmental Instrumentality, which is the final authority under law for such interpretation or application; or

(d) change by any Competent Statutory Authority in condition or covenant of any consent or clearances or approval or Licence available or obtained for the Project; or

(e) coming into force or change in any bilateral or multilateral agreement or treaty between the Government of India and any other Sovereign Government having implications for the Transmission System regulated under these Regulations.

(10) **"Commission"** means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (UPERC).

(11) **"Conduct of Business Regulations"** means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2004 and its subsequent amendments/ addendum and the new Regulations made after repeal of the same.

(12) **"Control Period"** means the period comprising five years from April 1, 2020 to March 31, 2025, and as may be extended by the Commission.

(13) **"Cut-off Date"** means the 31st March of the year closing after two years of the year of commercial operation of the project and, in case a project is declared under commercial operation in the last quarter of a year, the cut-off date shall be the 31stMarch of the year closing after three years of the year of commercial operation.

(14) **"Date of Commercial Operation" (COD)** means:

(a) in case of Distribution Licensee, shall mean the date of charging of electrical line or sub-station of a Distribution Licensee to its declared voltage level or seven days after the date on which it is declared ready for charging by Distribution Licensee but not able to be charged for reasons attributable to its consumers;

(b) in relation to Transmission System, shall mean the date declared by the Transmission Licensee from 00:00 hour of which element of the Transmission System is in regular service

after successful charging and trial operation for transmitting electricity and communication signal from sending end to receiving end:

Provided that where the transmission line or Sub-station is dedicated for evacuation of power from a particular generating station, the Generating Company and Transmission Licensee shall endeavour to Commission the generating station and the Transmission System simultaneously as far as practicable and shall ensure the same through appropriate Implementation Agreement:

Provided further that in case a Transmission System or an element thereof is prevented from regular service for reasons not attributable to the Transmission Licensee or its supplier or its contractors but is on account of the delay in commissioning of the concerned generating station or in commissioning of the up stream or down stream, the Transmission Licensee shall approach the Commission through an appropriate application for approval of the date of commercial operation of such Transmission System or an element thereof:

Provided also that in case of an existing Transmission Licensee, such request may be included as part of its Aggregate Revenue Requirement Petition or Annual Performance Review Petition or True-Up Petition to be filed under these Regulations.

(15) **"Distribution System"** means the system of wires and associated facilities between the delivery points on the transmission lines or the generating station connection and the point of connection to the installation of the consumers.

(16) **"Distribution Wire Business"** means the Business of operating and maintaining a distribution system for wheeling of electricity in the area of supply of a distribution Licensee.

(17) **"Financial Year"** means a period commencing on April 1st of a calendar year and ending on March 31st of the subsequent calendar year.

(18) **"Force Majeure"** for the purpose of these Regulations means the event or circumstance or combination of events or circumstances including those stated below, which partly or fully prevents the Distribution Licensee or Transmission Licensee from to completing the project within the time specified in the Investment Approval, and only if such events or circumstances are not within the control of the Distribution Licensee or Transmission Licensee and could not have been avoided, had the Distribution Licensee or Transmission Licensee taken reasonable care or complied with prudent utility practices:

(a) Act of God including lightning, drought, fire and explosion, earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, cyclone, typhoon, tornado, geological surprises, or exceptionally adverse weather conditions, which are in excess of the statistical measures for the last hundred years; or

(b) Any act of war, invasion, armed conflict or act of foreign enemy, blockade, embargo, revolution, riot, insurrection, terrorist or military action; or

(c) Industry wide strikes and labour disturbances having a nationwide impact in India.

(19) **"Implementation Agreement"** means the Agreement, Contract or Memorandum of Understanding, or any such covenant, entered into between the Transmission Licensees and the long-term Transmission customer for construction of the Transmission system.

(20) **"Licence"**means a licence granted under clause (a) and clause (b) of Section 14 of the Act.

(21) **"Licensed Business"** means the functions and activities, which the Licensee is required to undertake in terms of the licence granted by the Commission or on account of being a deemed Licensee under the Act.

(22) **"Licensee"** means a person who has been granted a licence under clause (a) and (b) of Section 14 of the Act and shall include a deemed Licensee.

(23) **"Long-term Transmission customer"** means a person having a long- term transmission service agreement exceeding five years with the Transmission Licensee to use intra- State Transmission system by virtue of paying transmission charges and a Distribution Licensee shall necessarily be a long-term user for which it will be required to enter into appropriate agreement with the Transmission Licensee.

(24) **"Medium-term Transmission customer"** means a person having a medium-term transmission service agreement exceeding three months but not exceeding five years with the Transmission Licensee to use the intra- State Transmission system by virtue of paying transmission charges.

(25) "**Non-Tariff Income**" means the income relating to the licensed Business other than from Tariff (Wheeling and Retail Supply), and including Delayed Payment Surcharge, Supervision Charges, etc..

(26) **"Other Business"** means any business of the Licensee for optimum utilization of its assets within the meaning of Section 41 and Section 51 of the Act.

(27) **"Open Access Customer"** means a consumer permitted by the Commission to receive supply of electricity from a person, other than the Distribution Licensee of his area of supply, and the expression includes a Generating Company and a Licensee, who has availed of or intends to avail of Open- Access.

(28) **"Rated voltage"**means the manufacturer's design voltage at which the Transmission System is designed to operate and includes such lower voltage at which Transmission line is charged or for the time being charged, in consultation with long- term Transmission customers.

(29) "**Retail Supply Business**" means the Business of sale of electricity by a Distribution Licensee to the consumers within the area of supply in accordance with the terms of the licence for distribution and retail supply of electricity.

(30) **"Retail Supply Tariff**" is the Tariff charged by the Distribution Licensee for supply to non- Open Access Customers, which includes charges for Wheeling and Retail Supply.

(31) **"Short term Transmission Customer"** means a person who has availed or intends to avail short term Open Access, i.e., Open Access for a period of less than or equal to three months.

(32) **"Transmission Service Agreement"** means the Agreement, Contract, Memorandum of Understanding, or any such covenant, entered into between the Transmission Licensees and the long-term Transmission customer for the operational phase of the Transmission system.

(33) **"Transmission System"** means a line or a group of lines together with or without associated Sub-stations, and includes equipment associated with Transmission lines and Sub-stations.

(34) "**Wheeling Charges**" means the charges for the use of Distribution System and associated facilities of a Distribution Licensee for the conveyance of electricity to be determined under Section 62 of the Act.

(35) "**Wheeling Business**" means the business of operating and maintaining a Distribution System for conveyance of electricity in the area of supply of the Distribution Licensee.

2.2 The words and expressions used in these Regulations and not defined herein, but defined in the Act, shall bear the same meaning as in the Electricity Act, 2003 or any other Regulations of the

Commission, as amended from time to time. Expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Electricity Act, 2003 but defined under any law passed by a Ccompetent Legislature and applicable to the electricity industry in the State shall have the meaning assigned to them in such law. Expressions used herein but not specifically defined in these regulations or in the Acts or any law passed by a Competent Legislature shall have the meaning as is generally assigned in the electricity industry.

2.3 The words "Application" or "Petition" shall be interpreted synonymously.

2.4 In the interpretation of these Regulations, unless the context otherwise requires:

(a) words in the singular or plural term, as the case may be, shall also be deemed to include the plural or the singular term, respectively;

(b) references herein to the "Regulations" shall be construed as a reference to these Regulations as amended or modified by the Commission from time to time in accordance with the applicable laws in force;

(c) the headings are inserted for convenience and may not be taken into account for the purpose of interpretation of these Regulations;

(d) references to the Statutes, Regulations or Guidelines shall be construed as including all statutory provisions consolidating, amending or replacing such Statutes, Regulations or Guidelines, as the case may be;

(e) in case of dispute in interpretation between English and Hindi version of these Regulations, the English version shall prevail.

PART- A: GENERAL PRINCIPLES

3. Multi-Year Tariff Frame work.

3.1 The Multi-Year Tariff frame work shall be based on the following elements, for computation of ARR and expected revenue from Tariff :

(i) A detailed Business Plan based on the Operational Norms and trajectories of performance parameters as stipulated in these Regulations, for each year of the Control Period.

(ii) The ARR Petition comprising the fore cast of ARR and expected revenue from existing and proposed Tariff shall be submitted by the Licensee along with audited / provisional accounts of previous year and available data of 6 months in books of Accounts for the current financial year.

(iii) Annual Performance Review (APR) of operational and financial performance vis-à-vis the approved forecast shall be submitted annually by the Licensee as per the Table shown in Regulation 4.1.

(iv) ARR/Tariff Petition along with APR and True-Up shall be submitted annually by the Licensee for each year as stipulated in these Regulations.

4 Petitions to be filed in the Control Period

4.1 The Petitions to be filed in the Control Period under these Regulations will comprise of the following:

Filing date	True- Up	APR	ARR/ Tariff
15.10.2019	**Business Plan for FY 2020-21 to FY 2024-25**		
30.11.2019	FY 2018-19 (as per MYT Regulations, 2014)*	FY 2019-20 (as per MYT Regulations, 2014)*	FY 2020-21
30.11.2020	FY 2019-20 (as per MYT Regulations, 2014)*	FY 2020-21	FY 2021-22
30.11.2021	FY 2020-21	FY 2021-22	FY 2022-23
30,11.2022	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24
30.11.2023	FY 2022-23	FY 2023-24	FY 2024-25

**The filings shall be as per Multi-Year Distribution Tariff Regulations, 2014 and Multi-Year Transmission Tariff Regulations, 2014, however, filings have to be made on 30th November of the respective year as per these Regulations.*

4.2 The Licensee shall submit the data regarding the above as per Guidelines and Formats prescribed and added/ amended from time to time by the Commission.

5. Business Plan and ARR Petition:

5.1 The Distribution Licensee shall file a Business Plan by 15.10.2019, duly authorized by the Board of Directors or by any Committee/person authorized by the Board in this regard, for the Control Period of five Financial Years, i.e., from April 01, 2020 to March 31, 2025, which shall comprise but not be limited to Category/ Sub-category wise number of consumers, connected load, load factor and sales projections, Power Procurement Plan (Renewable Energy and Non-renewable Energy) and Forecasting, Renewable Purchase Obligation (RPO) Planning and Forecasting, Distribution Loss trajectory (taking into consideration the

24 अ0 ग0 - 7 - 8

distribution loss trajectory committed in UDAY), Capital Investment Plan, Financing Plan and physical targets, Equity, Grants, etc., in accordance with Guide lines and Formats as may be prescribed by the Commission accompanied with applicable fees. Above requirement of the Commission does not exclude its right to seek any other information in this regard, as deemed necessary.

5.2 The Transmission Licensee shall file a Business Plan by 15.10.2019, duly authorized by the Board of Directors or by any Committee/ person authorized by the Board in this regard, for the Control Period of five Financial Years, i.e., from April 01, 2020 to March 31, 2025, which shall comprise but not be limited to Transmission Capacity, Circuit line length, Number of Sub-stations, Capital Investment Plan, Financing Plan and physical targets, Equity, Grants, etc., in accordance with Guidelines and Formats as may be prescribed by the Commission accompanied with applicable fees. Above requirement of the Commission does not exclude its right to seek any other information in this regard, as deemed necessary.

5.3 The Capital Investment Plan shall show separately, on-going projects that will spill over into the Control Period, and new projects (with justification) that will commence in the Control Period but may be completed within or beyond it, for which relevant technical and commercial details shall be provided.

5.4 The Distribution Licensee shall project the realistic power purchase requirement optimised on cost from all Generating Stations and other sources considered for power purchase based on the Merit Order Despatch (MOD)/ Security Constrained Economic Despatch (SCED) principles, Must Run plants and Renewable Energy plants subject to the Renewable Purchase Obligation (RPO) stipulated by the Commission under the relevant Regulations and their subsequent amendments, and the target set, if any, for Energy Efficiency (EE) and Demand Side Management (DSM) schemes, etc.:

Provided that MOD/ SCED principles shall not apply to purchase of power from Renewable Energy sources up to the RPO stipulated by the Commission.

5.5 The forecast of expected revenue from Tariff shall be based on the following:

(a) In the case of a Transmission Licensee, estimate of ARR or estimates of Transmission Capacity allocated to Transmission System Users, as appropriate;

(b) In the case of a Distribution Licensee, estimate of quantum of electricity to be supplied to consumers and wheeled on behalf of Distribution System Users:

Provided that the Distribution Licensee shall submit relevant details of category/ sub-category wise Number of Consumers, Connected load and Energy Sales projections, status of metering, feeder level/distribution transformer metering, diversity factor for various category of consumers taking seasonality into consideration, etc., for each Distribution Licensee area;

(c) Existing and proposed Tariff as on the date of filing of the Petition.

5.6 Based on the approved Business Plan the ARR Petition shall be filed by the Licensee that shall include forecast of ARR and expected revenue from existing Tariff. Further, the Licensee shall also submit the category/ sub-category-wise proposed Tariff that would meet the gap in the ARR, including unrecovered revenue gaps of previous years to the extent proposed to be recovered.

5.7 The Commission will conduct a Technical Validation Session prior to admission of the Petition. On completion of the required proceedings and submissions made to the satisfaction of the Commission, the Commission will issue an Admittance Order after which the Licensee would be required to publish the details of the submission covering True-Up/ APR/ ARR/ Tariff, etc., in newspapers.

5.8 The Petitioner shall within three working days of issue of the Admittance Order, publish a Public Notice in at least two English and two Hindi daily newspapers having wide circulation in its licence area

outlining the ARR, proposed Tariff, True-Up and such other matters as may be directed by the Commission, and inviting suggestions and objections from the stake holders and public at large:

Provided that the Petitioner shall also upload on its website the Petition filed before the Commission along with all regulatory filings, information, particulars and documents in the manner stipulated by the Commission. The Petitioner should ensure that there is no requirement of providing personal information for downloading the same:

Provided further that the Petitioner may be exempted by the Commission from providing any such information, particulars or documents considered confidential in nature.

5.9 The Commission shall, within one hundred and twenty days from admittance, after considering all suggestions and objections received from the stake holders and public at large:

(a) Issue a Tariff Order accepting the Petition with such modifications or such conditions as may be specified in that Order; or

(b) Reject the Petition for reasons to be recorded in writing if such Petition is not in accordance with the provisions of the Act and the Rules and Regulations made there under or any other provisions of law, after giving the P 'itioner a reasonable opportunity of being heard.

5.10 The Petitioner shall publish the Tariff approved by the Commission in at least two English and two Hindi daily newspapers having wide circulation in its licence area of supply and shall upload the approved Tariff/ Rate Schedule on its internet website and make available for sale, a booklet both in English and Hindi containing such approved Tariff/ Rate Schedule.

5.11 The Tariff so published shall be in force from the date stipulated in the Order and shall, unless amended or revised, continue to be in force for such period as may be stipulated therein.

6 True-Up:

6.1 The Licensee shall file Petition for True-Up as provided in Regulation 4.1 of these Regulations:

Provided that the Petition shall include information in such form as may be stipulated by the Commission, together with the Accounting Statements, extracts of books of account and such other details, etc., as per the Guidelines and Formats as may be prescribed by the Commission.

6.2 The Commission shall carry out Truing-Up exercise stipulated in the provisions of these Regulations. True-Up of Expenses and Revenue shall be on the basis of approved and actual expenses, revenue, etc., based on prudence check of Accounting Statements of the Licensee for the Financial Year.

6.3 The Distribution Licensee shall ensure that the Category/ Sub-category-wise billed revenue as per the Rate Schedule is included in its Accounting Statements.

7 Annual Performance Review:

7.1 The Licensee shall file Petition for Annual Performance Review (APR) as provided in Regulation 4.1 of these Regulations:

Provided that the Petition shall include information in such form as may be prescribed by the Commission, together with the audited/ provisional Accounting Statements, extracts of books of account and such other details, etc., as per the Guidelines and Formats prescribed.

8 Controllable and Uncontrollable Factors:

8.1 The "Uncontrollable Factors" shall comprise the following factors, which were beyond the control of, and could not be mitigated by the Licensee, as determined by the Commission:

(a) Force Majeure events;

(b) Change in Law;

(c) Taxes, Duties and Statutory levies;

(d) Variation in the approved cost of power purchase from approved sources, subject to clauses in the power purchase agreement or arrangement approved by the Commission;

(e) Variation in interest rates for long-term loans; and

(f) Other expenses- It will cover expenses like salary revision effected because of Pay Commissions or any other expenses allowed by the Commission after prudence check.

8.2 The "Controllable Factors" shall include, but shall not be limited to the following:

(a) Variations in Capital Expenditure on account of time and/ or cost overruns on account of land acquisition issues;

(b) Efficiencies in the implementation of a project not attributable to an approved change in scope of such project, change in statutory levies or Force Majeure events and delay in execution of the project on account of contractor, supplier or agency of the Transmission Licensee or Distribution Licensee;

(c) Bad debts;

(d) Variation in performance parameters and standards specified;

(e) Variation in working capital interest;

(f) Variation in financing pattern due to variation in capitalisation as specified in clause (a) above;

(g) Variation in Distribution losses;

(h) Variation in quality of supply as specified; and

(i) Variation in Operation & Maintenance expenses.

9 Treatment of Gains or Losses on account of Uncontrollable Factors:

9.1 The approved aggregate gain or loss to the Licensee on account of Uncontrollable Factors shall be adjusted in the ARR or Tariff of the Licensee, as stipulated in these Regulations and as may be determined in the Order of the Commission passed under these Regulations.

9.2 The aggregate gain or loss to a Distribution Licensee on account of variation in power purchase, covered under Regulation 8.1, shall be passed through under the Incremental Power Purchase adjustment in accordance with Regulation 16 of these Regulations.

10 Treatment of Gains or Losses on account of Controllable Factors:

10.1 Lower of the value as approved in ARR or actual value as per the True-Up shall be allowed by the Commission.

PART- B: PROCEDURE FOR DETERMINATION OF ARR / TARIFF

11 Determination of Tarifff or Licensee:

11.1 The Commission shall determine the ARR and Tariff or the Licensee, upon consideration of a Petition filed by the Licensee in accordance with the procedure contained in these Regulations.

11.2 The Commission shall determine the ARR/Tariff or the Licensee for:

(a) Transmission Licensees, in accordance with the terms and conditions contained in **Part E** of these Regulations;

(b) Distribution Licensee, in accordance with the terms and conditions contained in **Part F** of these Regulations; and

11.3 The Petitioner shall file the Petitions electronically (E-Filing Portal of the Commission) which would be signed digitally along with hard and soft copies as provided for in the Conduct of Business Regulations, including forecast of ARR and expected revenue from existing Tariff. Further, the Licensee shall also submit the category/ Sub-category wise proposed Tariff, that would meet the gap in the ARR, including unrecovered revenue gaps of previous years to the extent proposed to be recovered, and such further information or particulars or documents as required by the Commission:

Provided that the Capital Investments without prior approval of the Commission shall not be included in the ARR Petition:

Provided further that the Petition shall be accompanied by a detailed Tariff revision proposal showing category-wise Tariffs and how such revision would meet the gap/ surplus, if any, in the ARR;

Provided also that the Licensee shall also submit a statement on the status of compliance of Directives, issued by the Commission in previous three Tariff Orders, along with the ARR Petition.

11.4 The Petitioner shall furnish to the Commission all such books and records (or certified true copies thereof), including the audited/ provisional Accounting Statements, operational and cost data and performance related data as may be required by it for determination of ARR / Tariff.

PART C: POWER PROCUREMENT

12 Applicability:

The Regulations contained in this Part shall apply to power procurement by a Distribution Licensee from a Generating Station or Trading Licensee or Distribution Licensee or from any other source through agreement or arrangement for purchase of power for Distribution and Supply within the State.

13 Power Procurement Guidelines

13.1 The Distribution Licensee shall undertake its power procurement during the year in accordance with the power procurement plan, which may include long-term, medium-term and short-term power procurement, approved and capped, if any, by the Commission as stipulated in these Regulations.

14 Power Procurement Plan

14.1 The Distribution Licensee shall prepare a plan for procurement of power to serve the demand for electricity in its area of supply and submit such plan to the Commission for approval:

Provided that such power procurement plan for the full Control Period shall be submitted along with the Petition for Business Plan for the Control Period from April 1, 2020 to March 31, 2025, as stipulated in these Regulations.

14.2 The power procurement plan of the Distribution Licensee must follow Regulation 5.4, and be optimized on cost and shall comprise the following:

(a) A quantitative forecast of the seasonal variation in unrestricted base load and peak load for electricity within its area of supply;

(b) An estimate of the optimum quantities and cost of power supply from the identified sources of power purchase, including own generation if any;

(c) Power Purchase Agreements (PPAs) and contracts/ agreements entered to meet the load requirement;

(d) An estimate of adequate availability of power to meet the seasonal variation in base load and peak load requirement:
Provided that such estimate of demand and supply shall be on month-wise basis in Mega-Watt (MW) along with the Plant Load factor (PLF) of the plant as well as expressed in Million Units (MU);

(e) Taking into consideration the sufficient long-term capacity PPAs already contracted by the State Discoms with coal based Thermal Power Station to meet the projected demand till FY 2026-2027, no new long term PPA with coal based thermal power plant shall be contracted till December 2022 or until further Orders of the Commission;

(f) Standards to be maintained with regard to quality and reliability of supply, in accordance with the relevant Regulations or Orders of the Commission;

(g) Measures proposed for Energy Conservation, Energy Efficiency, and Demand Side Management;

(h) The requirement for new sources of power procurement, including augmentation of own generation capacity, if any, and identified new sources of supply, based on (a) to (g) above;

(i) The impact of Open Access on load;

(j) Taking into consideration the Transmission and distribution capacities;

(k) Impact of renewables on overall demand/ power procurement;

(l) Impact of Storage Capacities including Batteries, EV Charging Stations etc.;

(m) Any other aspect as required by the Commission:

Provided that the forecast or estimates contained in the long-term procurement plan shall be separately stated for peak and off-peak periods, in terms of quantities of power to be procured (in MU) and maximum demand (in MW).

14.3 The forecast or estimate shall be prepared using forecasting techniques based on past data and reasonable assumptions regarding the future:

Provided that the forecast or estimate shall take into account factors such as overall economic growth of the State, advent of competition in the electricity sector, trends in captive power and Grid migration, impact of loss reduction initiatives and Energy conservation, use of energy efficiency appliances/ equipment, fuel supply and cost, impact of renewables, etc.

14.4 Distribution Licensees can procure Short Term seasonal peak Power only through prevalent Market Mechanisms, i.e., Power Exchange, Competitive Bidding on DEEP Portal or through bilateral banking arrangement with other States' Distribution Licensees.

14.5 The Licensee is required to procure/ contract long term Renewable Energy as per SBD guidelines and Tariff Policy issued by the Government of India to meet the RPO keeping in view the lead time in setting up different types of Renewable power plants.

14.6 The Distribution Licensee shall forward a copy of its power procurement plan to the State Transmission Utility for verification of its consistency with the Transmission System plan for the Intra-State Transmission System.

Provided that the Distribution Licensee shall also consult the State Transmission Utility at the time of preparation of the power procurement plan, to ensure consistency of such plan with the Transmission System plan.

14.7 In the regime of Availability Based Tariff (ABT), the cost of power purchase through Deviation Settlement Mechanism (DSM) shall be allowed to be passed through in Tariff of the subsequent year subject to the following conditions:

(a) The average rate for power purchased through DSM should not exceed the maximum rate for power purchased under the Merit Order of the Licensee as approved by the Commission.

(b) The total cost of electricity units purchased through DSM shall be restricted to 10% of total power purchase cost approved by the Commission:

Provided that where the average rate for power purchased under DSM exceeds the maximum specified rate of power purchase under the Merit Order of the Licensee, the cost of such power purchase shall be allowed to be passed through in Tariffs of the subsequent year at the maximum rate for power purchase under the Merit Order of the Licensee as approved by the Commission, irrespective of whether the ceiling limit of 10% as stipulated in clause (b) above has been reached or not.

14.8 The Commission may impose a cap on the average rate of Long/ Medium/ Short term Power Purchase.

15 Additional Power Procurement

15.1 The Distribution Licensee may enter into a short-term arrangement or agreement for procurement of power without the prior approval of the Commission when faced with emergency conditions that threaten the stability of the Distribution System, or when directed to do so by the SLDC to prevent Grid failure.

15.2 Where the Distribution Licensee has identified a new short-term source of supply, only Power Exchange or DEEP portal or Banking, from which power can be procured at a Tariffth at reduces its approved total power procurement cost, it may enter into a short-term power procurement agreement or

arrangement with such supplier without the prior approval of the Commission. However, the Distribution Licensees should ensure that the total Tariff for procurement of power from such sources is less than the Variable Cost of the Long/ Medium Term Power Purchase Sources.

16 Treatment of Incremental Power Procurement Cost:

16.1 Identification of Incremental cost and process of recovery

(a) The Distribution Licensee shall recover the incremental cost incurred due to variation in fuel surcharge rate computed on quarterly basis.

(b) The incremental cost on account of variation in fuel surcharge rate shall be computed and charged on the basis of actual variation in fuel surcharge rate vis-a'-vis the same approved in the Tariff Order and shall not be computed on the basis of estimated or expected variation in fuel surcharge Rate.

(c) The incremental cost due to incremental power purchase (including power procured under Regulation 15.1 and 15.2), shall be computed on the basis of formula stipulated in Regulation 16.2.

(d) The Distribution Licensee shall submit details of the incremental cost incurred and to be charged to all consumers for the n^{th} quarter, along with the detailed computations and supporting documents as may be required for verification and approval of the Commission within first month of $(n+2)^{th}$ quarter:

Provided that regular and timely filing of incremental cost has to be done by the Licensee, otherwise strict action along with disallowance may be taken.

(e) The Commission shall examine the incremental cost to be charged by the Distribution Licensee against supporting documents as submitted:

Provided that discrepancies, if any, shall be communicated to the Distribution Licensee within a month.

(f) In case of negative incremental cost, the credit shall be given to the consumers under the incremental power purchase head, so that the base tariff determined by the Commission effectively remains the same.

(g) The Commission may however, suitably modify/ change the formula/ procedure to adopt a different formula/ procedure for the incremental cost if it considers it to be more appropriate.

16.2 Formula for computation of Incremental Cost:

$$\mathbf{IC_n = C_n + A_{n-2}}$$

Where,

IC_n is the Incremental Cost for the n^{th} quarter (that is Incremental cost computed for n^{th} quarter and to be charged in $(n+2)^{th}$ quarter), in Rs. Crore;

C_n is the change in fuel (variable) cost of Power purchase from the power procurement sources approved by the Commission in the Tariff Order and fuel (variable) cost of power purchase from the other sources of power purchase in replacement of source approved in Tariff Order in n^{th} quarter in Rs. Crore;

A_{n-2} is the adjustment for over / under recovery for $(n-2)^{th}$ quarter in Rs Crore;

And where,

$$\mathbf{C_n = AFC_{APP} + AFC_{PP},}$$

Where,

AFC_{APP}, is the Change in Fuel (variable) Cost of Power Purchase from the approved sources by the Commission, to be computed based on the directives and norms approved by the Commission including heat rate, auxiliary consumption, etc. in Rs Crore;

AFC_{PP}, is the Change in Variable Cost of Power Purchase from other sources in replacement of sources approved in Tariff Order, which would be allowed to the extent it satisfies the criteria prescribed in these Regulations and the prevailing Tariff Order, and subject to applicable norms in Rs Crore;

And where,

$$\mathbf{A_{n-2} = IC_{n-2} - R_{n-2}}$$

Where,

IC_{n-2} is the incremental cost for the $(n-2)^{th}$ quarter in Rs Crore;

R_{n-2} is the actual recovery of the $(n-2)^{th}$ quarter in Rs Crore.

16.3 Average IC_n (Rs/kWh) = {IC_n/[(Metered Sales + Unmetered Sales + Excess Distribution Losses)× 10]};

Where,

Average IC_n (Rs / kWh) is the Incremental Cost per unit for the nth quarter;

Where IC_n is Rs. Crores and Unit Sales are in Million Units.

Excess distribution loss = Energy Input-Energy Sales-(distribution loss% as specified by the Commission *Energy Input)

16.4 Sub- category wise IC_n (Rs/kWh) shall be calculated as per the following formula:

[Consolidated Average Billing Rate (ABR) of Consumer Sub- category (in Rs/kWh) as approved in Tariff Order for the year/Consolidated Overall ABR of Distribution Licensee (in Rs/kWh) as approved in Tariff Order for the year] x Average IC_n(in Rs/kWh).

16.5 The Sub-category wise Incremental Cost (IC_n) for any Sub-category shall not exceed 10% of the ABR for respective sub-category, or such other ceiling as may be specified by the Commission from time to time:

Provided that any excess in the IC_n over the above ceiling shall be carried forward by the Distribution Licensee and shall be recovered over such future period as may be directed by the Commission.

PART D: FINANCIAL PRINCIPLES

17 Financial Prudence

17.1 The Licensee shall manage its finances in an optimum and prudent manner.

17.2 In determining the ARR and Tariff of the Licensee, the Commission shall assess the financial prudence exercised with regard to the following factors:

(a) Revenues

(b) Capital Expenditure/ Cost

(c) Other expenditures

Provided that the Commission may disallow a part of the ARR due to inefficiency or penal measure, if it finds the same after prudence check.

17.3 The financial prudence with respect to revenue shall be assessed in terms of the following parameters:

(a) Whether sub-category wise sales projections are based on realistic estimates, and adequate justification has been provided for any anomalous increase/ decrease in sales projected by the Distribution Licensee;

(b) Whether the percentage of metered consumers and metered consumption out of the total, is in line with the projections approved by the Commission in its Tariff Orders/ other Orders;

Provided that the Licensee shall complete 100% metering by 31.03.2021, (except for LMV-5 (Small Power for Private Tube Wells/ Pumping Sets for Irrigation Purposes)) failing which deemed revenue computation shall be made by the Commission which may be enhanced progressively with continuing non- compliance:

Provided further that the Licensee shall complete 100% metering of LMV-10 (Departmental Employees and Pensioners) category by 31.03.2020 failing which deemed revenue computation shall be made by the Commission which may be enhanced progressively with continuing non-compliance.

(c) Whether revenue collected is in line with the projections approved by the Commission in its Tariff Orders/ other Orders.

17.4 The financial prudence with respect to expenditure shall be assessed in terms of the following parameters:

(a) Monitoring of the expenditure as against the revenue earned, such that the expenses and payment obligations of the Licensee to other entities are met in a timely manner;

(b) Mechanism put in place for monitoring adherence to the approved expenditure, including schedule of interest payments for long-term loans and working capital;

(c) Transparent method of power procurement, with the objective of optimising the power purchase expenses, as stipulated in these Regulations.

(d) Optimum purchase of power considering factors such as requirement of power, MOD/ SCED, Must Run plants and Renewable Energy plants, potential for earning additional net revenue based on the differential between the rate for purchase of power from different sources and the market rate for sale of surplus power, if any:

Provided that the Licensee shall submit a detailed cash flow statement for the respective Business showing the various sources of revenue, the actual amount of cash collected against the amount billed to different consumer categories for sale of electricity, the comparison of the actual expenditure with the projected and approved expenditure;

Provided further that, in case its payment obligations to other entities are not regularly met, the Licensee shall provide justification for such short fall with reference to its cash flow statement.

17.5 The financial prudence with respect to capital expenditure shall be assessed in terms of the following parameters:

(a) Mechanism put in place for monitoring the physical progress of projects with respect to their original schedule;

(b) Optimum drawal of loans in accordance with the physical progress of the capital expenditure schemes, and efficient utilisation of such loans;

(c) In case the actual capital expenditure and capitalisation exceeds 10% of that approved by the Commission, the Licensee shall submit detailed justification for such excess along with its Petition for True-Up;

(d) In case any scheme has not been commenced during the year despite the Commission's approval, detailed justification shall be submitted along with the Petition for True-Up.

18 Capital Expenditure/ Cost and Capital Structure

18.1 Capital cost for a capital investment Project shall include:

(a) the expenditure incurred or projected to be incurred, including interest during construction and financing charges, as admitted by the Commission after prudence check;

(b) capitalised initial spares subject to the ceiling rates stipulated in these Regulations;

(c) expenses incurred by the Licensee on obtaining right of way, as admitted by the Commission after prudence check;

(d) additional capital expenditure determined under Regulation 19;

(e) Incidental expenditure during construction including apportioned expenditure on relevant components of O&M:

Provided that the assets forming part of the project, but not in use shall be taken out of the capital cost;

(f) any gain or loss on account of foreign exchange risk variation pertaining to the loan amount availed up to the date of commercial operation, as admitted by the Commission after prudence check:

Provided that any gain or loss on account of foreign exchange risk variation pertaining to the loan amount availed up to the date of commercial operation shall be adjusted only against the debt component of the capital cost:
Provided further that the capital cost of the assets forming part of the Project but not put to use or not in use, shall be excluded from the capital cost:
Provided also that the Licensee shall submit documentary evidence in support of its claim of assets being put to use;

18.2 The capital cost admitted by the Commission after prudence check shall form the basis for determination of Tariff.

18.3 The actual capital expenditure on a scheme as on COD for the original scope of work based on audited accounts of the Licenseeor Project, as the case may be, shall be considered subject to prudence check by the Commission.

18.4 Capital cost to be allowed by the Commission for the purpose of determination of Tariff will be based on the capital investment plan prepared by the Licensee and approved by the Commission, prior to the Petition for determination of ARR / Tariff filing.

18.5 Where the power purchase agreement or bulk power transmission agreement provides for a ceiling on capital cost, the capital cost to be considered shall not exceed such ceiling.

18.6 The capital cost may include initial spares capitalised as a percentage of the Plant and Machinery cost upto the cut-off date, subject to the following ceiling norms:

(a) Transmission System and Distribution System

(i) Transmission Line & Distribution Line: 1.0%

(ii) Transmission sub-Station & Distribution Sub-Station: 4.0%

(iii) Series compensation devices and HVDC Sub-Station: 4.0%

(iv) Gas Insulated Sub-Station (GIS): 5.0%

(v) Static Synchronous Compensator: 6.0%

18.7 The impact of revaluation of assets shall be permitted provided it does not result in increase in Tariff of the Licensee:

Provided that any benefit from such revaluation shall be passed on to long-term Intra-State Open Access Customers of the Transmission Licensee or Distribution Licensee or retail supply consumers of Distribution Licensees, at the time of ARR / Tariff determination or Truing-Up, as the case may be.

18.8 Any expenditure on replacement, Renovation and Modernisation or extension of life of old fixed assets, as applicable to Licensees, shall be considered after writing off the net value of such replaced assets from the original capital cost, and shall be computed as follows:

Net Value of Replaced Assets = OCRA – AD;

Where;

OCRA: Original Capital Cost of Replaced Assets:

AD: Accumulated depreciation pertaining to the Replaced Assets

Provided that in case the original capital cost of the replaced asset is not available for any reason, it shall be considered by the Commission on a case to case basis:

Provided further that the amount of insurance proceeds received, if any, towards damage to any asset requiring its replacement shall be first adjusted towards outstanding actual or normative loan; and the balance amount, if any, shall be utilised to reduce the capital cost of such replaced asset, and any further balance amount shall be considered as Non-Tariff Income.

19. Additional Capitalisation

19.1 The capital expenditure, actually incurred or projected to be incurred, on the following counts within the original scope of work, after the date of commercial operation and up to the cut-off date, may be admitted by the Commission subject to prudence check:

(i) Undischarged liabilities recognized to be payable at a future date;

(ii) Works deferred for execution;

(iii) Procurement of initial capital spares within the original scope of work, in accordance with the provisions of Regulation 18;

(iv) Liabilities to meet award of arbitration or for compliance of the Order or decree of a court of law; and

(v) Change in law or compliance of any existing law

Provided that the details of works included in the original scope of work along with estimates of expenditure, liabilities recognized to be payable at a future date and the works deferred for execution

shall be submitted along with the Petition for determination of final Tariff after the date of commercial operation.

19.2 The capital expenditure, incurred or projected to be incurred on the following counts after the cut-off date, may be admitted by the Commission, subject to prudence check:

(i) Liabilities to meet award of arbitration or for compliance of the Order or decree of a court of law;

(ii) Change in law or compliance of any existing law;

(iii) Any liability for works executed prior to the cut-off date, after prudence check of the details of such undischarged liability, total estimated cost of package, reasons for such withholding of payment and release of such payments, etc.;

(iv) Any liability for works admitted by the Commission after the cut-off date to the extent of discharge of such liabilities by actual payments;

(v) Any additional capital expenditure which has become necessary for efficient operation

Provided that the claim shall be substantiated with the technical justification duly supported by documentary evidence like test results carried out by an independent agency in case of deterioration of assets, damage caused by natural calamities, obsolescence of technology, up-gradation of capacity for the technical reason such as increase in fault level;

(vi) Any additional expenditure on items such as relays, control and instrumentation, computer system, power line carrier communication, batteries, tower strengthening, communication equipment, emergency restoration system, insulators cleaning infrastructure, which has become necessary for successful and efficient operation of Transmission System; and

(vii) Any capital expenditure found justified after prudence check necessitated on account of modifications required:

Provided that any expenditure, which has been claimed under Renovation and Modernisation or repairs and maintenance under O&M expenses, shall not be claimed under Additional Capitalisation.

19.3 Impact of additional capitalisation on Tariff, if any, shall be considered during Tariff determination proceedings.

20. Debt-Equity Ratio

20.1 For a capital investment Scheme declared under commercial operation on or after April 1, 2020, debt-equity ratio as on the date of commercial operation shall be 70:30 of the amount of capital cost approved by the Commission under Regulation 18, after making appropriate adjustment of Assets funded by Consumer Contribution/ Deposit Works/ Capital Subsidies/ Grant subject to prudence check for determination of Tariff:

Provided that if the equity actually deployed is more than 30% of the capital cost, equity in excess of 30% shall be treated as normative loan for the Licensee for determination of Tariff:

Provided further that the Licensee shall submit documentary evidence for the actual deployment of equity and explain the source of funds for the equity:

Provided also that where equity actually deployed is less than 30% of the capital cost of the capitalised asset, the actual equity shall be considered for determination of Tariff:

Provided also that the equity invested in foreign currency shall be designated on the date of each investment.

20.2 In case of the Licensee, for the fixed assets capitalised on account of Capital Expenditure Scheme prior to April 1, 2020, the debt-equity ratio allowed by the Commission for determination of ARR / Tariff for the period ending March 31, 2020 shall be considered:

Provided that in case of retirement or replacement or de-capitalisation of the assets, the equity capital approved as mentioned above, shall be reduced to the extent of 30% (or actual equity component based on documentary evidence, if it is lower than 30%) of the original cost of such assets:

Provided further that in case of retirement or replacement or de-capitalisation of the assets, the debt capital approved as mentioned above, shall be reduced to the extent of outstanding debt component based on documentary evidence, or the normative loan component, as the case may be, of the original cost of such assets.

20.3 Any expenditure incurred or projected to be incurred on or after April 1, 2020, as may be admitted by the Commission as additional capital expenditure for determination of Tariff, and Renovation and Modernisation expenditure for life extension, shall be serviced in the manner stipulated in these Regulations.

21. Depreciation

21.1 The Licensee, shall be permitted to recover Depreciation on the value of fixed assets used in their respective businesses, computed in the following manner:

(a) The approved original cost of the fixed assets shall be the value base for calculation of Depreciation:

Provided that the Depreciation shall be allowed on the entire capitalised amount of the new assets after reducing the approved original cost of the retired or replaced or de-capitalised assets.

(b) Depreciation shall be computed annually based on the Straight- Line Method at the rates stipulated in the **Annexure- A** to these Regulations.

Provided that the Licensee shall ensure that once the individual asset is depreciated to the extent of seventy percent, remaining depreciable value as on 31st March of the year closing shall be spread over the balance Useful Life of the asset including the Extended Life, as per submission of the Licensee and approved by the Commission.

(c) The salvage value of the asset shall be considered at 10% of the allowable capital cost and Depreciation shall be allowed up to a maximum of 90% of the allowable capital cost of the asset:

Provided that land owned shall not be treated as a Depreciable asset and shall be excluded while computing Depreciation:

Provided further that Depreciation shall be chargeable from the first year of commercial operation.

(d) Depreciation shall not be allowed on assets funded by Consumer Contributions or Subsidies/ Grants/ Deposit works.

21.2 In case of existing assets, the balance depreciable value as on April 01, 2020, shall be worked out taking into consideration the life of the asset, and by deducting the cumulative Depreciation as admitted by the Commission upto March 31, 2020, from the gross depreciable value of the assets.

21.3 In case of projected commercial operation of the assets for part of the year, depreciation shall be computed based on the average of opening and closing value of assets.

21.4 Depreciation shall be re-computed for assets capitalised at the time of Truing-Up, based on Audited Accounts and documentary evidence of assets capitalised by the Petitioner, subject to the prudence check of the Commission.

22. Return on Equity

22.1 Return on equity shall be computed in Rs. terms on equity baseat the rate of 14.5% post-tax per annum for the Transmission Licenseeand at the rate of 15% post-tax per annum for Distribution Licensee respectively as determinedin accordance with Regulation 20:

Provided that assets funded by Consumer Contribution / Deposit works, Capital Subsidies / Grants and corresponding Depreciation shall not form part of the Capital Cost. Actual Equity infused by the Licensee as per book value shall be considered and shall be used for computation in these Regulations.

23. Interest on Long- Term Loan

23.1 The long- term loans arrived at in the manner indicated in these Regulations on the assets put to use shall be considered as gross normative loan for calculation of interest on loan:

Provided that in case of retirement or replacement or de-capitalisation of assets, the loan capital approved as mentioned above, shall be reduced to the extent of outstanding loan component of the original cost of such assets based on documentary evidence.

23.2 The normative long- term loan outstanding as on April 1, 2020, shall be worked out by deducting the cumulative repayment as admitted by the Commission up to March 31, 2020, from the gross normative loan.

23.3 The repayment for each year shall be deemed to be equal to the Depreciation allowed for that year.

23.4 Notwithstanding any moratorium period availed, the repayment of loan shall be considered from the first year of commercial operation of the asset.

23.5 The rate of interest shall be the weighted average rate of interest computed on the basis of the actual long- term loan portfolio at the beginning of each year:

Provided that at the time of Truing- Up, the weighted average rate of interest of the actual long- term loan portfolio during the concerned year shall be considered as the rate of interest:

Provided further that if there is no actual long- term loan for a particular year but normative loan is still outstanding, the last available weighted average rate of interest for actual loan shall be considered:

Provided also that if the Licensee, does not have actual long- term loan even in the past, the weighted average rate of interest of its other Businesses regulated by the Commission shall be considered:

Provided also that if the Licensee does not have actual long- term loan, and its other Businesses regulated by the Commission also do not have actual loan even in the past, then the weighted average rate of interest of the entity as a whole shall be considered:

Provided also that if the entity as a whole does not have actual long-term loan because of which interest rate is not available, then the rate of interest for the purpose of allowing the interest on the normative long- term loanshould be the weighted average SBI MCLR (1 Year) prevailing during the concerned year.

23.6 The interest on long- term loan shall be computed on the normative average long- term loan of the year by applying the weighted average rate of interest:

Provided that at the time of Truing-Up, the normative average loan of the concerned year shall be considered on the basis of the actual asset capitalisation approved by the Commission for the year.

23.7 The excess interest during construction on account of time and/or cost overrun as compared to the approved completion schedule and capital cost or on account of excess drawal of the debt funds disproportionate to the actual requirement based on Scheme completion status, shall be allowed or disallowed partly or fully on a case to case basis, after prudence check by the Commission:

Provided that where the excess interest during construction is on account of delay attributable to an agency or contractor or supplier engaged by the Licensee, any liquidated damages recovered from such agency or contractor or supplier shall be taken into account for computation of capital cost:

Provided further that the extent of liquidated damages to be considered shall depend on the amount of excess interest during construction that has been allowed by the Commission.

24. Hedging Cost of Foreign Exchange Rate Variation (FERV)

24.1 The Licensee may hedge foreign exchange exposure in respect of the interest on foreign currency loan and repayment of foreign loan acquired, in part or in full in the discretion of the Licensee.

24.2 Every Licensee shall recover the cost of hedging of FERV corresponding to the normative foreign debt, in the relevant year on year-to-year basis as expense in the period in which it arises.

25. Interest on Working Capital

25.1 Transmission

(a) The working capital requirement of the Transmission Licensee shall cover:

(i) Operation and maintenance expenses for one month;

(ii) Maintenance spares at 40% of the R&M expenses for two months; and

(iii) One and a half monthe quivalent of the expected revenue from transmission charges at the prevailing Tariff;

minus

(iv) Amountheld as security deposits, if any, from Transmission System Users:

Provided further that for the purpose of Truing- Up for any year, the working capital requirement shall be re-computed on the basis of the values of components of working capital approved by the Commission in the Truing- Up;

(b) Rate of interest on working capital shall be simple interest and shall be equal to the SBI MCLR (1 Year) on October 01, 2019 plus 250 basis points:

Provided that for the purpose of Truing- Up for any year, simple interest on working capital shall be allowed at a rate equal to the weighted average SBI MCLR (1 Year) prevailing during the concerned Year plus 250 basis points.

25.2 Distribution Business

(a) The working capital requirement of the Distribution Business shall cover:

(i) Operation and maintenance expenses for one month;

(ii) Maintenance spares at 40% of the R&M expenses for two months; and

(iii) One and half month equivalent of the expected revenue from charges for use of Distribution system at the prevailing Tariff (excluding Electricity Duty);

minus

(iv) Amount held as security deposits from Distribution System Users:

Provided that for the purpose of Truing-Up for any year, the working capital requirement shall be re-computed on the basis of the values of components of working capital approved by the Commission in the Truing- Up;

(b) Rate of interest on working capital shall be simple interest and shall be equal to the SBI MCLR (1 Year) on October 01, 2019 plus 250 basis points:

Provided that for the purpose of Truing-Up for any year, simple interest on working capital shall be allowed at a rate equal to the weighted average SBI MCLR (1 Year) prevailing during the concerned Year plus 250 basis points.

(c) Interest shall be allowed on consumer security deposits as per the provisions of the Electricity Supply Code, 2005 and its subsequent amendments/ addendums and the new Regulations made after repeal of the same.

26. Income Tax

26.1 Income Tax, if any, on the licensed business of the Licensee shall be treated as expense and shall be recoverable from consumers through Tariff. However, tax on any income other than that through its Licenced business shall not be a pass through, and it shall be payable by the Licensee itself.

26.2 Notwithstanding anything contained in Regulation 26.1, total Income Tax payable by the Licensee, in any year, shall be lowest of the following:

(a) Actual payment made;

(b) ROE allowed in that year x MAT (%) or ROE allowed in that year x Corporate tax (%), whichever is applicable.

26.3 Any under recoveries or over recoveries of Tax on income shall be adjusted every year on the basis of Income Tax assessment under the Income Tax Act 1961, subject to Regulation 26.2 above, as certified by the Statutory Auditors.

27. Contribution to Contingency Reserves

27.1 Where the Licensee has made a contribution to the Contingency Reserve, a sum not less than 0.25% and not more than 0.5% of the original cost of fixed assets may be allowed annually towards such contribution in the calculation of ARR:

Provided that where the amount of such Contingency Reserves exceeds five (5) per cent of the original cost of fixed assets, no further contribution shall be allowed:

Provided further that such contribution shall be invested in securities authorised under the Indian Trusts Act, 1882 within a period of six months of the close of the Year.

27.2 The Contingency Reserve shall not be drawn upon during the term of the Licence except to meet such charges as may be approved by the Commission as being:

(a) Expenses or loss of profits arising out of accidents, strikes or circumstances which the management could not have prevented;

(b) Expenses on replacement or removal of plant or works other than expenses requisite for normal maintenance or renewal;

(c) Compensation payable under any law for the time being in force and for which no other provision is made.

27.3 No diminution in the value of Contingency Reserve as mentioned above shall be allowed to be adjusted as a part of Tariff.

28. Rebate, Incentive, Penalties and Miscellaneous

28.1 All rebates or incentives earned by the Licensee shall be considered under its Non-Tariff Income, while all rebates or incentives given by the Licensee shall be allowed as an expense for the Licensee.

28.2 For payment of bills of transmission charges through Letter of Credit or through NEFT/ RTGS or otherwise, within 7 days of presentation of bills by the Transmission Licensee, a rebate of 1% on billed amount, excluding the taxes, cess, duties, etc., shall be allowed.

28.3 In case the payment of any bills for charges payable under these Regulations is delayed by the user of transmission system beyond a period of 30 days from the date of presentation of bills a late payment surcharge at the rate of 1.25% per month shall be levied by the Transmission Licensee.

28.4 Penalties paid, if any, by the Licensee shall not be allowed as an expense for the Licensee:

Provided that penalties / compensation levied on the Distribution Licensee due to the reasons beyond its reasonable control shall be allowed subject to prudence check.

28.5 Carrying cost for the gap/ surplus of the Distribution Licensee will be provided by the Commission after prudence check at the interest rates as provided for working capital in these Regulations.

PART E: TRANSMISSION

29. Applicability

29.1 The Regulations contained in this Part shall apply to the determination of Tariff for access and use of the Intra-State Transmission System pursuant to a Bulk Power Transmission Agreement or other arrangement entered into with a Transmission System User:

29.2 The Commission shall be guided by the terms and conditions contained in this Part in specifying the rates, charges, terms and conditions for use of intervening transmission facilities pursuant to a Petition filed in this regard by a Transmission Licensee under the proviso to Section 36 (1) of the Act.

29.3 The Transmission Licensee shall segregate its business into Transmission Business and SLDC activity. The revenue requirement of the Transmission Business would be used for determining non-discriminatory transmission charge.

29.4 After complete segregation of accounts between Transmission Business and SLDC activity, SLDC will be governed by the appropriate Regulations, however, till that time the ARR for each business shall be supported by an Allocation Statement duly approved by the Board of Directors or by any Committee/ person authorized by the Board in this regard, of the Transmission Licensee containing the apportionment of all costs, revenues, assets, liabilities, reserves, and provisions among the Transmission Business, SLDC activity and any other Business of the Transmission Licensee. The Allocation Statement shall also contain the methodology used for the apportionment between different businesses.

30. Components of Tariff

30.1 The transmission charges for access to and use of the Intra-State Transmission System shall comprise any of the following components or a combination of the following components:

(a) Transmission System access charges;

(b) Annual Transmission charges;

(c) Per unit charges for energy transmitted;

(d) Reactive energy charges:

Provided that the Reactive energy charges would be determined vide UPERC Open Access Regulations, as amended from time to time:

Provided further that in case of competitively awarded Transmission System projects in pursuance of Section 63 of the Act and in accordance with guidelines for competitive bidding for transmission, the annual transmission charges shall be as per the Annual Transmission Service Charges (TSC) quoted by such competitively awarded transmission projects.

30.2 Any person who is eligible to apply for access to the Intra-State Transmission System shall be entitled to obtain such access in accordance with the Regulations and Orders of the Commission governing Transmission Open Access and shall be liable to pay the charges for obtaining such access as stipulated in these Regulations and Orders.

Explanation: For the purpose of these Regulations, such person who, being eligible for transmission Open Access, has applied for allocation of transmission capacity rights and has agreed to the carrying out of works for obtaining such access shall hereinafter be referred to as the "Intending Transmission System User", and may include an existing Transmission System User in respect of any increase in allocated transmission capacity rights applied for by such existing user.

30.3 Where the access of the intending Transmission System User to the Intra-State Transmission System entails works of transmission lines or other transmission assets dedicated to such User, the Transmission Licensee shall be entitled to recover, through the Transmission System access charges, all expenses reasonably incurred on such works for providing access to such intending Transmission System User.

30.4 Where the access of the intending Transmission System User entails other works, not covered under Regulation 30.3 relating to the Intra-State Transmission System, the Transmission Licensee shall recover the expenses relating to such works through annual transmission charges, in accordance with Regulation 30.10.

30.5 Where any works for obtaining access have been carried out by the intending Transmission System User, the Transmission Licensee shall be entitled to recover supervision charges at the rate of 15% of the cost of labour employed, cost of material, material handling and storage/inventory but excluding the establishment costs, for carrying out such works and shall not be entitled to recover any other expenses with regard to such works:

Provided that such supervision charges shall form part of the Non-Tariff Income of the respective Transmission Licensee and shall also be treated as O&M expense incurred by the intending Transmission System users, which shall be capitalised in the respective year of asset capitalisation.

30.6 The works for providing access to the Intra-State Transmission System shall be maintained by the Transmission Licensee for the duration of the Bulk Power Transmission Agreement or after arrangement entered into between the Transmission Licensee and the Transmission System User.

30.7 Where the Transmission System User has paid for the works carried out to provide it access to the Intra-State Transmission System, the Transmission System User shall be entitled to the depreciated value (as per Companies Act 2013 and its amendments) of such works paid for by it upon termination of the Bulk Power Transmission Agreement or after arrangement entered into:

Provided that where the Transmission System User has carried out the works to provide it access to the Intra-State Transmission System of the Transmission Licensee, the Transmission System User shall be entitled to retain such works upon termination of the Bulk Power Transmission Agreement or after arrangement entered into.

30.8 The Transmission System access charges may be recovered by any one of the following methods, in accordance with the terms of the Bulk Power Transmission Agreement or after arrangement entered into:

(a) As a one-time payment by the Transmission System User at the time of obtaining access; or

(b) As a series of payments over the duration of the Bulk Power Transmission Agreement or after arrangement entered into; or

(c) As any combination of (a) and (b) above.

30.9 Any dispute between the Transmission Licensee and the intending Transmission System User with regard to the works to be carried out to give access to the intending Transmission System User or with regard to the Transmission System access charges shall be referred to the Commission for adjudication or to such other forum as may be stipulated by the Commission.

30.10 The Annual Transmission Charges shall provide for the recovery of the ARR of the Transmission Licensee, as approved by the Commission and comprise the following components:

(a) Operation and maintenance expenses;

(b) Depreciation;

(c) Interest on Loan Capital;

(d) Interest on Working Capital;

(e) Contribution to Contingency Reserves;

(f) Return on Equity;

(g) Income Tax;

minus:

(h) Non-Tariff Income;

(i) Income from other Business, to the extent stipulated in these Regulations:

Provided that Depreciation, Interest on Loan Capital, Interest on Working Capital, Contribution to Contingency Reserves, Return on Equity, and Income Tax for Transmission Licensees shall be allowed in accordance with the provisions stipulated in **Part D** of these Regulations:

Provided further that the components of the ARR corresponding to the transmission lines owned by the Transmission Licensee and conveying electricity to other States, being recovered through the Point of Connection (PoC) transmission charges in accordance with the Regulations and Orders of the Central Electricity Regulatory Commission, shall not be recovered from the Annual Transmission Charges determined under these Regulations:

Provided also that in case any such components have already been recovered through the Intra-State transmission Tariff, then such excess recovery shall be deducted from the ARR of the Transmission Licensee for the future years, along with associated carrying Cost, as applicable:

Provided also that prior period income/expenses shall be allowed by the Commission at the time of Truing- Up based on audited accounts, on a case to case basis, subject to prudence check:

Provided also that all penalties and compensation payable by the Licensee to any party for failure to meet any Standards of Performance or for damages, as a consequence of the Orders of the Commission, Courts, etc., shall not be allowed to be recovered through the ARR:

Provided also that the Transmission Licensee shall maintain separate details of such penalties and compensation paid or payable by the Licensee, if any, and shall submit them to the Commission along with its Petition.

30.11 The Annual Transmission Charges along with per unit charge of energy transmitted of the Transmission Licensee shall be determined by the Commission on the basis of a Petition for determination of Tariff as stipulated in these Regulations or Petition for adoption of Annual Transmission Charges in case of competitively awarded Transmission System Project, as the case may be, filed by the Transmission Licensee in accordance with **Part B** of these Regulations.

31. Petition for determination of Provisional Tariff

31.1 A new Transmission Licensee shall file the Petition for determination of provisional Tariff, six months prior to the anticipated date of commercial operation of the transmission assets.

31.2 The new Transmission Licensee shall file a Petition for determination of provisional Tariff based on capital expenditure incurred and projected to be incurred up to the date of commercial operation and additional capital expenditure incurred, duly certified by the statutory auditors:

Provided that the Petition shall contain details of underlying assumptions for the projected capital cost and additional capital cost, wherever applicable.

31.3 The new Transmission Licensee may be allowed provisional Tariff by the Commission from the anticipated date of commercial operation, based on the projected capital expenditure, subject to prudence check.

31.4 If the date of commercial operation is likely to be delayed beyond six months from the date of issue of the Order approving the provisional Tariff, the Transmission Licensee may submit a Petition for seeking extension of the validity of the applicability of the provisional Tariff, giving details of the present status of completion and justification for the delay in project completion, which may be considered by the Commission after necessary prudence check.

31.5 The new Transmission Licensee shall file the Petition for determination of final Tariff within six months from the date of commercial operation, based on the audited capital expenditure and capitalisation as on the date of commercial operation.

31.6 The final Tariff determination for the new Transmission Licensee shall be done by the Commission based on prudence check of the audited capital expenditure and capitalisation as on the date of commercial operation.

31.7 Where the actual Capital Cost incurred on year to year basis is less than the Capital Cost approved for determination of provisional Tariff by the Commission, by five percent or more, the Transmission Licensee shall refund to the Beneficiaries, the excess Tariff realised corresponding to excess Capital Cost, with interest rate that should be same as the interest rate for working capital for the concerned year.

31.8 Where the actual Capital Cost incurred on year to year basis is more than the Capital Cost approved for determination of provisional Tariff by the Commission, by five percent or more, the Transmission Licenseeshall, subject to the approval of the Commission, recover from the Beneficiaries the shortfall in Tariff corresponding to such decrease in Capital Cost with interest rate that should be same as the interest rate for working capital for the concerned year.

32. Capital Investment Plan

32.1 The Transmission Licensee shall submit a detailed capital investment plan, financing plan and physical targets for each year of the Control Period for strengthening and augmentation of the Intra-State Transmission System of the Transmission Licensee, meeting the requirement of load growth, improvement in quality of supply, reliability, metering, reduction in congestion, etc., to the Commission for approval:

Provided that in case of non- submission of the Capital Investment Plan by the Transmission Licensee for a year of the Control Period, the Commission may disallow the Capital expenditure for that year.

32.2 The Capital Investment Plan shall be a least cost plan for undertaking investments. However, all capital expenditure projects of 220 kV and above and other capital expenditure of value exceeding Rs. Twenty Crore, must have prior approval of the Commissionon quarterly basis, and will be subject to prudence check.

32.3 The Capital Investment Plan shall be accompanied by such information, particulars and documents as may be required including but not limited to the information such as number of bays, name, configuration and location of grid substations, substation capacity (MVA), transmission line length (circuit kilometres) showing the need for the proposed investments, alternatives considered, cost/benefit analysis, total cost of ownership and other aspects that may have a bearing on the transmission charges.

32.4 The Capital Investment Plan of the Transmission Licensee shall be consistent with the Transmission System plan for the Intra-State Transmission System developed by the State Transmission Utility:

Provided that any capital expenditure incurred by the Transmission Licensee based on the specific requirement of a Distribution Licensee shall be substantiated with necessary documentary evidence in the form of request for the same and undertaking given as appropriate.

32.5 The Commission shall consider the Capital Investment Plan,which will be a part of Business Plan for the entire Control Period submitted by the Transmission Licenseetaking into consideration the prudence check of the proposed expenditure and estimated impact on transmission charges.

32.6 The Transmission Licensee shall submit, along with the Petition for determination of ARR or along with the Petition for Annual Performance Review, as the case may be, details showing the progress of capital expenditure projects, together with such other information, particulars or documents as the Commission may require to assess such progress.

33. Norms for Operation

33.1 Target availability

33.1.1 Normative Annual Transmission SystemAvailability factor (NATSAF) shall be as under:

1)	AC System	: 98%
2)	HVDC bi-pole links and back-to-back Stations	: 95%

33.1.2 Auxiliary Energy Consumption in the Sub-station:

(a) AC System

The charges for auxiliary energy consumption in the AC Sub-station for the purpose of air-conditioning, lightning and consumption in other equipment shall be borne by the Transmission Licensee and are included in the normative operation and maintenance expenses.

(b) HVDC Sub-station

For auxiliary energy consumption in HVDC Sub-stations, the Central Government/State Government may allocate an appropriate share from one or more ISGS generating station. The charges for such power shall be borne by the Transmission Licensee and are included in the normative operation and maintenance expenses.

33.1.3 The transmission charge payable for a calendar month for a Transmission System or part thereof shall be:

ARR x (NDM/NDY) x (TAFM/NATSAF)

Where,

AFC = Annual fixed cost specified for the year;

NATSAF = Normative annual transmission availability factor, in per cent stipulated in these Regulations;

NDM = Number of days in the month;

NDY = Number of days in the Year; and

TAFM = Transmission SystemAvailability Factor for the month, in per cent, computed in accordance with **Annexure- B** to these Regulations.

The Transmission Licensee shall raise the bill for the transmission charge for a month based on its estimate of TAFM. Adjustments, if any, shall be made on the basis of the TAFM to be certified by the SLDC within 30 days from the last day of the relevant month.

33.2 Allocation of Annual Transmission Service Charge:

(1) The Annual Transmission Service Charge (ATSC) shall be divided between Beneficiaries of the Transmission System on monthly basis based on the allotted Transmission Capacity or contracted capacity, as the case may be.

(2) If a Transmission System has been created for a particular Long-term Transmission Beneficiary including dedicated transmission line(s) for a generating station, transmission charges for such Transmission System shall be payable by that Long-term Transmission Beneficiary.

(3) For Intra-State Transmission System, the monthly transmission charges shall bepooled for sharing by Long-Term Transmission Customers in accordance with the following formula:

Transmission Charges for Intra-State System payable for a month by a Long -term Transmission Customer of that Transmission System =

$$\sum_{i=0}^{n}\left(\frac{TCi}{12}\right) \times \frac{CL}{SCL}$$

Where,

TC_i = Annual Transmission Service Charges for the i^{th} project in the State computed in accordance with these Regulations;

N= Number of Projects in the State;

CL = Allotted Transmission Capacity to the Long-term Transmission Customer;

SCL = Sum of Allotted Transmission Capacities to all the Long-term Transmission Customers of the State Transmission System.

In the case of Medium-term users of the Intra-State Transmission System, charges payable shall be in proportion to the MW for which Medium-term usage has been approved by the State Transmission Utility for that month.

In case of Short-term Open Access consumers, charges payable shall be calculated in accordance with the following methodology:

ST_RATE = [ATSC / AvCAP]/365

Where,

ST_RATE is the rate for short-term Open Access consumers in Rs. Per MW per day;

ATSC is Annual Transmission Service Charge;

AvCAP means the average capacity in MW served by the Transmission System of the Transmission Licensee in the last Financial Year and shall be the sum of the generating capacities connected to the Transmission System and contracted capacities of other transactions handled by the system of the Transmission Licensee;

Transmission charges corresponding to any plant capacity for which a Beneficiary has not been identified and contracted shall be paid by the concerned generating Company:

Provided that till the time transmission charges for Intra- State system cannot be determined for long- term, medium- term and short- term customers as stipulated above, the Commission will determine per unit charges for energy transmitted by dividing the total ARR by the total number of units transmitted and will be same for long- term, medium-term and short- term customers.

34. Operation and Maintenance Expenses

a) The Operation and Maintenance expenses for the Transmission Business shall be computed as stipulated in with these Regulations.

b) The Operation and Maintenance expenses shall be derived on the basis of the average of the Trued-Up values (without efficiency gain / loss) for the last five (5) financial years ending March 31, 2019 subject to prudence check by the Commission. However, if Trued-Up values (without efficiency gain / loss) are not available for FY 2018-19, then last five (5) available Trued-Up values (without efficiency gain / loss) will be considered and subsequently when the same are available the base year value (i.e. FY 2019-20) will be recomputed.

c) The average of such operation and maintenance expenses shall be considered as Operation and Maintenance expenses for the middle year and shall be escalated year on year with the escalation factor considering CPI and WPI of respective years in the ratio of 60:40, for subsequent years up to FY 2019-20.

d) The One-time expenses such as expense due to change in accounting policy, wage arrears paid due to Pay Commissions, etc., and the expenses beyond the control of the Transmission Licensee such as dearness allowance, terminal benefits, etc., in Employee cost, may be allowed by the Commission over and above normative Operation & Maintenance Expenses after prudence check.

e) At the time of Truing-up of the O&M expenses, the actual point to point inflation over Wholesale Price Index numbers as per Office of Economic Advisor of Government of India and the actual Consumer Price Index for Industrial Workers (all India) as per Labour Bureau, Government of India, in the concerned year shall be considered.

34.1 Employee Cost

Employee cost shall be computed as per the following formula escalated by consumer price index (CPI), adjusted by provisions for expenses beyond the control of the Licensee and one-time expected expenses, such as recovery/ adjustment of terminal benefits, implications of Pay Commission, arrears, Interim Relief, etc.,

$$\mathbf{EMP_n = EMP_{n-1}(1+CPI\ inflation)}$$

Where:

EMP_n: Employee expense for the n^{th} year;

EMP_{n-1}: Employee expense for the $(n-1)^{th}$ year;

CPI inflation is the average of Consumer Price Index (CPI) for immediately preceding three Financial Years.

34.2 Repairs and Maintenance Expense

Repair and Maintenance expense shall be calculated as per the following formula:

$$\mathbf{R\&M_n = R\&M_{n-1}(1+ WPI\ inflation)}$$

Where:

$R\&M_n$: Repairs & Maintenance expense for n^{th} year;

$R\&M_{n-1}$: Repairs & Maintenance expense for the $(n-1)^{th}$ year;

WPI inflation is the average of Wholesale Price Index (WPI) for immediately preceding three Financial Years.

34.3 Administrative and General Expenses

A&G expense shall be computed as per the following formula escalated by the Wholesale Price Index (WPI) and adjusted by provisions for confirmed initiatives (IT, etc., initiatives as proposed by the Transmission Licensee and validated by the Commission) or other expected one-time expenses:

$A\&G_n = A\&G_{n-1}(1+$ WPI inflation)

Where:

$A\&G_n$: A&G expense for the n^{th} year;

$A\&G_{n-1}$: A&G expense for the $(n-1)^{th}$ year;

WPI inflation is the average of Wholesale Price Index (WPI) for immediately preceding three Financial Years:

Provided that Interest and Finance charges such as Credit Rating charges, collection facilitation charges, financing cost of Delayed Payment Surcharge and other finance charges shall be a part of A&G expenses.

Illustration: For FY 2020-21, $(n-1)^{th}$ year will be FY 2019-20 which is also the base year.

35. Non-Tariff Income

35.1 The amount of Non-Tariff income relating to the Transmission Business as approved by the Commission shall be deducted from the ARR in determining the Annual Transmission Charges of the Transmission Licensee:

Provided that the Transmission Licensee shall submit full details of its forecast of non-Tariff income to the Commissionin such form as may be stipulated by the Commission.

35.2 The Non-Tariff Income shall include:

a) Income from rent of land or buildings;

b) Income from sale of scrap;

c) Income from investments;

d) Interest income on advances to suppliers/contractors;

e) Interest income on loans / advances to employees;

f) Income from rental from staff quarters;

g) Income from rental from contractors;

h) Income from hire charges from contactors and others;

i) Supervision charges for capital works;

j) Income from advertisements;

k) Income from sale of tender documents;

l) Excess found on physical verification;

m) Prior Period Income;

n) Miscellaneous receipts; and

o) Any other Non-Tariff Incomes:

Provided that the interest earned from investments made out of Return on Equity corresponding to the regulated Business of the Transmission Licensee shall not be included in Non-Tariff Income;

36. Income from Other Business

Where the Transmission Licensee has engaged in any Other Business under Section 41 of the Act for optimum utilisation of its assets, the income from such business will be deducted from the ARR in calculating the revenue requirement of the Licensee in the manner and in proportion as may be

stipulated by the Commission. The proportion of revenue from Other Business that shall be utilized in the Transmission business shall be as stipulated in UPERC (Treatment of Income of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2004 or any subsequent amendment thereof:

Provided that the Transmission Licensee shall follow a reasonable basis for allocation of all joint and common costs between the Transmission Business and the Other Business and shall submit the Allocation Statement, duly certified by the Board of Directors, to the Commission along with its Petition for determination of ARR:

Provided further that where the sum total of the direct and indirect costs of such Other Business exceeds the revenues from such Other Business, no amount shall be allowed to be added to the ARR of the Transmission Licensee on account of such Other Business.

37. Transmission Pricing Framework

The Commission may, after conducting a detailed study and due regulatory process, change the existing transmission pricing framework to one considering factors such as voltage, distance, direction and quantum of flow based, etc., or the methodology specified by the Central Electricity Regulatory Commission, as the Commission may deem appropriate.

38. Transmission Losses

The energy losses in the Intra-State Transmission System, as determined by the State Load Despatch Centre and approved by the Commission, shall be borne by the Transmission System Users in proportion to their usage of the Intra-State Transmission System.

PART F: DISTRIBUTION

39. Separation of Accounts of Distribution Licensee

39.1 Every Distribution Licensee shall maintain separate accounting records for the Distribution Wires Business and Retail Supply Business and shall prepare an Allocation Statement to enable the Commission to determine the Tariff separately for:

(a) Distribution Wires Business (Wheeling);

(b) Retail Supply Business:

Provided that in case complete accounting segregation has not been done between the Distribution Wires Business and Retail Supply Business of the Distribution Licensee, the ARR of the Distribution Licensee shall be apportioned between the Distribution Wires Business and Retail Supply Business in accordance with an Allocation Matrix to be prepared by the Licensee and submitted for the Commission's approval:

Provided further that the Allocation Matrix shall be applied for all or any of the heads of expenditure and revenue, where actual accounting separation has not been done between the Distribution Wires Business and Retail Supply Business:

Provided also that the Commission may require the Distribution Licensee to file separate Petitions for determination of Tariff for the Distribution Wires Business and Retail Supply Business.

40. Applicability

40.1 The Regulations contained in this Part shall apply to the determination of Wheeling Charges payable for usage of distribution wires of a Distribution Licensee by a Distribution System User and determination of Tariff for retail supply of electricity by a Distribution Licensee to its consumers.

41. Components of ARR for Distribution Licensee

41.1 The Wheeling Charges and Tariff for retail supply of the Distribution Licensee shall provide for the recovery of the ARR, as approved by the Commission and comprising the following components:

(a) Power Purchase expenses;

(b) Inter-State Transmission Charges;

(c) Intra-State Transmission Charges;

(d) SLDC Fees & Charges;

(e) Operation and Maintenance expenses;

(f) Depreciation;

(g) Interest on Loan capital;

(h) Interest on Working Capital;

(i) Provision for Bad and doubtful debts;

(j) Contribution to Contingency Reserves;

(k) Return on Equity;

(l) Income Tax;

minus:

(m) Non-Tariff income;

(n) Income from other Business, to the extent stipulated in these Regulations:

Provided that Depreciation, Interest on Loan Capital, Interest on Working Capital, Contribution to Contingency Reserves, Return on Equity, and Income Tax for Distribution Business shall be allowed in accordance with the provisions stipulated in **Part D** of these Regulations:

Provided further that prior period income/expenses shall be allowed by the Commission at the time of Truing- Up based on audited accounts, on a case to case basis, subject to prudence check:

Provided also that all penalties and compensation payable by the Licensee to any party for failure to meet any Standards of Performance or for damages, as a consequence of the Orders of the Commission, Courts, Consumer Grievance Redressal Forum, and Ombudsman, etc., shall not be allowed to be recovered through the ARR:

Provided also that the Distribution Licensee shall maintain separate details of such penalties and compensation paid or payable by the Licensee, if any, and shall submit them to the Commission along with its Petition.

41.2 The Wheeling Charges and Tariff for retail supply of the Distribution Licensee shall be determined by the Commission on the basis of a Petition for determination of Tariff filed by the Distribution Licensee for each Financial Year in accordance with **Part B** of these Regulations:

Provided further that the Tariff for retail supply may comprise any combination of fixed/demand charges, energy charges, and any other charges / incentives, for the purpose of recovery from the consumers, as may be stipulated by the Commission:

Provided also that the Commission may determine the area-wise Tariff for Distribution Licensee based on the performance parameters as may be stipulated by the Commission:

Provided also that in case of a Deemed Distribution Licensee whose Tariff is yet to be determined by the Commission till the date of coming into force of these Regulations, the Commission may determine the ceiling retail supply Tariff and ceiling Wheeling Charges for Open Access Customer that may be charged by such Deemed Distribution Licensee till such time as considered appropriate by the Commission.

42. Sales forecast

42.1 The Distribution Licensee shall submit a forecast of the expected sales along with number of hours of supply to each Tariff category/ Sub-category and to each Tariff slab within such Tariff category/ Sub-category, to the Commission for approval as stipulated in these Regulations:

Provided that sales forecast shall be based on past trends in each of the slabs of consumer categories. The Compounded Annual Growth Rate (CAGR) of past seven years of sales within each of the slabs of a consumer category as per audited books of account, or if not available, then provisional accounts, will be considered:

Provided further that the Distribution Licensee shall submit relevant details regarding category-wise sales separately for each Distribution Franchisee area within its Licence area, as well as the aggregated category-wise sales in its Licence area.

42.2 The sales forecast shall be consistent with the load forecast prepared as part of the power procurement plan under **Part C** of these Regulations and shall be based on past data and reasonable assumptions regarding the future.

43. Distribution Loss

43.1 The power purchase requirement of the Distribution Licensee at the Transmission-Distribution interface point, shall be computed by grossing up the sales with the distribution losses approved by the Commission:

Provided that the Distribution Licensee while computing the overall Distribution loss shall also take into account the losses for each Distribution Franchisee area within its licenced area and submit the same separately.

43.2 The Distribution Licensee shall submit the Distribution loss trajectory (taking into consideration the distribution loss trajectory committed in UDAY) along with its Business Plan for the Commission's approval.

44. Capital Investment Plan

44.1 The Distribution Licensee shall submit a detailed Capital Investment Plan, financing plan and physical targets for each year of the Control Period for meeting the requirement of growth in number of consumers, strengthening and augmentation of its distribution network, meeting the requirement of load growth, reduction in distribution losses, improvement in quality of supply, reliability, metering, reduction in congestion, etc., to the Commission for approval, as a part of the Business Plan:

Provided that in case of non-submission of the Capital Investment plan by the Distribution Licensee for a year of the Control Period, the Commission may disallow the Capital expenditure for that year.

44.2 The Capital Investment Plan shall be a least cost plan for undertaking investments. However, all capital expenditure projects of value exceeding Rs. Ten Crore and must have prior approval of the Commissionon quarterly basis, and will be subject to prudence check.

44.3 The Capital Investment Plan shall be accompanied by such information, particulars and documents as may be required including but not limited to the information such as number of distribution sub-stations, consumer sub-stations, transformation capacity in MVA and details of distribution transformers of different capacities, HT:LT ratio as well as distribution line length showing the need for the proposed investments, alternatives considered, cost/benefit analysis and other aspects that may have a bearing on the Tariff for retail supply of electricity and the Wheeling Charges:

Provided that the Distribution Licensee shall submit separate details of Capital Investment Plan for each Distribution Franchisee area within its Licence area.

45. Operation and Maintenance Expenses

a) The Operation and Maintenance expenses for the Distribution Business shall be computed as stipulated in with these Regulations.

b) The Operation and Maintenance expenses shall be derived on the basis of the average of the Trued-Up values (without efficiency gain / loss) for the last five (5) financial years ending March 31, 2019 subject to prudence check by the Commission. However, if Trued-Up values (without efficiency gain / loss) are not available for FY 2018-19, then last five (5) available Trued-Up values (without efficiency gain / loss) will be considered and subsequently when the same are available the base year value (i.e. FY 2019-20) will be recomputed.

c) The average of such operation and maintenance expenses shall be considered as Operation and Maintenance expenses for the middle year and shall be escalated year on year with the escalation factor considering CPI and WPI of respective years in the ratio of 60:40, for subsequent years up to FY 2019-20.

d) The One-time expenses such as expense due to change in accounting policy, arrears paid due to Pay Commissions, etc., and the expenses beyond the control of the Distribution Licensee such as dearness allowance, terminal benefits, etc., in Employee cost, shall be allowed by the Commission over and above normative Operation & Maintenance Expenses after prudence check.

(e) At the time of Truing-up of the O&M expenses, the actual point to point inflation over Wholesale Price Index numbers as per Office of Economic Advisor of Government of India and the actual Consumer Price Index for Industrial Workers (all India) as per Labour Bureau, Government of India, in the concerned year shall be considered.

45.1 Employee Cost

Employee cost shall be computed as per the following formula escalated by consumer price index (CPI), adjusted by provisions for expenses beyond the control of the Licensee and one-time expected expenses, such as recovery/adjustment of terminal benefits, implications of Pay Commission, arrears, Interim Relief, etc.:

$$\mathbf{EMP_n = EMP_{n-1} \times (1 + CPI\ inflation)}$$

Where:

EMP_n: Employee expense for the n^{th} year;

EMP_{n-1}: Employee expense for the $(n-1)^{th}$ year;

CPI inflation is the average of Consumer Price Index (CPI) for immediately preceding three Financial Years.

45.2 Repairs and Maintenance Expense

Repairs and Maintenance expense shall be calculated by following formula:

$$\mathbf{R\&M_n = R\&M_{n-1}\ (1 + WPI\ inflation)}$$

Where:

$R\&M_n$: Repairs & Maintenance expense for the n^{th} year;

$R\&M_{n-1}$: Repairs & Maintenance expense for the $(n-1)^{th}$ year;

WPI inflation is the average of Wholesale Price Index (WPI) for immediately preceding three Financial Years.

45.3 Administrative and General Expense

A&G expense shall be computed as per the following formula escalated by wholesale price index (WPI) and adjusted by provisions for confirmed initiatives (IT etc. initiatives as proposed by the Distribution Licensee and validated by the Commission) or other expected one-time expenses:

$$\mathbf{A\&G_n = A\&G_{n-1}(1 + WPI\ inflation)}$$

Where:

$A\&G_n$: A&G expense for the n^{th} year;

$A\&G_{n-1}$: A&G expense for the $(n-1)^{th}$ year;

WPI inflation is the average of Wholesale Price Index (WPI) for immediately preceding three Financial Years:

Provided that Interest and Finance charges such as Credit Rating charges, collection facilitation charges, financing cost of Delayed Payment Surcharge and other finance charges shall be a part of A&G expenses.

Illustration:For FY 2020-21, $(n-1)^{th}$ year will be FY 2019-20 which is also the base year.

46. Provision for Write off of Bad and Doubtful Debts

46.1 For any Year, the Commission may allow a provision for write off of bad and doubtful debts upto 2% of the amount shown as Revenue Receivables from sale of electricity in the audited accounts of the Distribution Licensee for that Year or the actual write off of bad debts, whichever is less:

Provided further that such provision allowed by the Commission for any Year shall not exceed the actual provision for write off of bad and doubtful debts made by the Distribution Licensee in the audited accounts of that Year:

Provided that the Commission, in its ARR / Tariff Order, may provisionally approve provision for write off of bad and doubtful debts based on the actual provision for write off of bad and doubtful debts made by the Distribution Licensee in the latest Audited Accounts available for the Petitioner, and as allowed by the Commission:

Provided further that if subsequent to the write off of a particular bad debt, revenue is realised from such bad debt, the same shall be included under the Non-Tariff Income of the year in which such revenue is realised.

47. Non-Tariff Income

47.1 The amount of Non-Tariff Income relating to the Distribution Business as approved by the Commission shall be deducted from the ARR in determining the Tariff for retail supply and Wheeling Charges of the Distribution Business:

Provided that the Distribution Licensee shall submit full details of its forecast of Non-Tariff Income to the Commission in such form as may be stipulated by the Commission.

47.2 The Non-Tariff Income shall include:

a) Income from rent of land or buildings;

b) Income from sale of scrap;

c) Income from investments;

d) Interest income on advances to suppliers/contractors;

e) Interest income on loans / advances to employees;

f) Income from rental from staff quarters;

g) Income from rental from contractors;

h) Income from hire charges from contactors and others;

i) Income from delayed payment surcharge, supervision charges, etc.;

j) Supervision charges for capital works;

k) Income from recovery against theft and/or pilferage of electricity;

l) Income from advertisements;

m) Income from sale of tender documents;

n) Excess found on physical verification;

o) Prior Period Income;

p) Miscellaneous receipts; and

q) Any other Non-Tariff Income:

Provided that the interest earned from investments made out of Return on Equity corresponding to the regulated Business of the Distribution Business shall not be included in Non-Tariff Income.

48. Income from Other Business

48.1 Where the Distribution Licensee has engaged in any Other Business under Section 51 of the Act for optimum utilisation of its assets, the income from such business will be deducted from the ARR in calculating the revenue requirement of the Licensee in the manner and in the proportion as may be

stipulated by the Commission. The proportion of revenue from Other Business that shall be utilized in the Distribution business shall be as stipulated in the UPERC (Treatment of Income of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2004 or any subsequent amendment thereof:

Provided that the Distribution Licensee shall follow a reasonable basis for allocation of all joint and common costs between the Distribution Business and the Other Business and shall submit the Allocation Statement, duly certified by the Board of Directors, to the Commission along with its Petition for determination of ARR:

Provided further that where the sum total of the direct and indirect costs of such Other Business exceeds the revenues from such Other Business, no amount shall be allowed to be added to the ARR of the Distribution Business on account of such Other Business.

49. Cross-Subsidy Surcharge

49.1 A consumer situated within the area of supply of a Distribution Licensee availing Open Access as per the provisions of UPERC Open Access Regulations, as amended from time to time, shall be liable to pay Cross-Subsidy Surcharge as determined by the Commission. Such Cross-Subsidy Surcharge will be determined based on the provisions of Tariff Policy 2016, issued by the Government of India and its subsequent notified revisions/ amendments/ addendums.

49.2 As per Tariff Policy 2016, issued by the Government of India the provision for computing Cross Subsidy Surcharge is as follows:

The cost of supply of electricity for the Distribution Licensee to consumers of the applicable class is aggregate of (a) per unit weighted average cost of power purchase including meeting the Renewable Purchase Obligation; (b) transmission and distribution losses applicable to the relevant voltage level and commercial losses allowed by the Commission; (c) transmission, distribution and wheeling charges up tothe relevant voltage level; and (d) per unit cost of carrying regulatory assets, if applicable.

Surcharge formula:

$$S = T - [C/ (1-L/100) + D + R]$$

Where:

S is the Cross Subsidy Surcharge;

T is the tariff payable by the relevant category of consumers, including reflecting the Renewable Purchase Obligation;

C is the per unit weighted average cost of power purchase by the Licensee, including meeting the Renewable Purchase Obligation;

D is the aggregate of transmission, distribution and wheeling charge applicable to the relevant voltage level;

L is the aggregate of transmission, distribution and commercial losses, expressed as a percentage applicable to the relevant voltage level;

R is the per unit cost of carrying regulatory assets:

Provided that the Cross Subsidy Surcharge shall not exceed 20% of the Tariff applicable to the category of the consumers seeking Open Access.

50. Additional Surcharge

50.1 The additional surcharge for obligation to supply as per Section 42(4) of the Act shall become applicable only if it is conclusively demonstrated that the obligation of a Licensee, in terms of existing

power purchase commitments, has been and continues to be stranded, or there is an unavoidable obligation and incidence to bear fixed costs consequent to such a contract.

51. Wheeling Charges

51.1 The fixed costs related to network assets would be recovered through wheeling charges. Based on the allocation Table, Wheeling ARR will be determined. Wheeling charges (per unit) will be determined by dividing the wheeling ARR by the total units available for sale.

51.2 The Distribution Licensee shall be allowed to recover, in kind, the Wheeling Losses arising from the operation of the Distribution System by any Open Access Customer.

Provided that embedded Open Access Customer who are already paying Demand Charges need not to pay the wheeling charges to the Distribution Licensee.

52. Other Charges

52.1 The Licensee shall be allowed to recover, from its Open Access Customers, any other charges as stipulated in UPERC Open Access Regulations as amended from time to time.

53. Determination of Retail Supply Tariff

53.1 The Commission may categorize consumers on the basis of their Load Factor, Power Factor, Voltage, total consumption of electricity during any specified period, or the time at which the supply is required or the geographical position of any area, the nature of supply and the purpose for which the supply is required.

53.2 The retail supply Tariff for different consumer categories shall be determined on the basis of the Average Cost of Supply. While determining the Tariff, the Commission shall also keep in view the cost of supply at different voltage levels and the need to minimise Tariff shock to consumers.

53.3 It would be endeavoured to rationalize the number of consumer categories and Tariff structure. The Fixed/ Demand Charges will be gradually aligned over a period upto the Fixed Cost of the ARR which would comprise of Fixed Charges of Generating Stations, Transmission Charges, Return on Equity, Interest on Loan, Depreciation, O&M & other fixed costs. The Energy Charge will be gradually aligned to the remaining ARR, i.e., the Variable Cost of the ARR, which would comprise the Fuel Cost of the Generating Stations & other variable costs.

PART G: GRANT OF SUBSIDIES BY STATE GOVERNMENT

54. Manner of grant of subsidy by State Government

54.1 If the State Government requires to grant subsidy to any consumer or class of consumers in the Tariff determined by the Commission, the same shall be provided as per Section 65 of the Act.

PART H: MISCELLANEOUS

55. Savings

55.1 Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice.

55.2 Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with provisions of the Act, a procedure which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or a class of matters, deems it just or expedient for deciding such matter or class of matters.

55.3 Nothing in these Regulations shall, expressly or implied, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner, as it considers just and appropriate.

56. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific Order, give directions, not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary or expedient for the purpose of removing difficulties.

57. Power to Amend

The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any provision of these Regulations.

Sanjay Kumar Singh

Secretary

Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission.

Annexure-A:Depreciation Schedule

		Description of Assets	Depreciation Rate
A.		Land owned under full title	--
B.		Land held under lease	
a)		for investment in the land	3.34%
b)		for cost of clearing the site	3.34%
C.		Assets Purchased New:	
a)		Building & civil engineering works of permanent character	
	i)	Offices & showrooms	3.34%
	ii)	Temporary erection such as wooden structures	100%
	iii)	Roads other than kutcha roads	3.34%
	iv)	Others	3.34%
b)		Transformers, transformer (Kiosk) sub-Station equipment & other fixed apparatus (including plant foundations)	
	i)	Transformers (including foundations) having a rating of 100 kilo volt amperes and over	5.28%
	ii)	Others	5.28%
c)		Switchgear including cable connections	5.28%
d)		Lightning arrestors	
	i)	Station type	5.28%
	ii)	Pole type	5.28%
	iii)	Synchronous condenser	5.28%
e)		Batteries	5.28%
	i)	Underground Cable including joint boxes and disconnected boxes	5.28%
	ii)	Cable duct system	5.28%
f)		Overhead lines including supports:	
	i)	Lines on fabricated steel operating at nominal voltages higher than 66 kV	5.28%
	ii)	Lines on steel supports operating at nominal voltages higher than 13.2 kilovolts but not exceeding 66 kilovolts	5.28%
	iii)	Lines on steel or reinforced concrete supports	5.28%
	iv)	Lines on treated wood supports	5.28%
g)		Meters	5.28%
h)		Self propelled vehicles	9.50%
i)		Air conditioning plants:	
	i)	Static	5.28%
	ii)	Portable	9.50%
j)		Furniture and Fittings	
	i)	Office furniture and fittings	6.33%
	ii)	Office equipments	6.33%
	iii)	Internal wiring including fittings and apparatus	6.33%
	iv)	Street light fittings	5.28%
k)		Apparatus let on hire	
	i)	Other than motors	9.50%
	ii)	Motors	6.33%
l)		I.T. equipments including software	15.00%
m)		Any other assets not covered above	5.28%

Annexure-B:Procedure for calculation of Transmission System Availability Factor for a Month

1) Transmission System Availability Factor for a Calendar Month (TAFM) shall be calculated by the respective Transmission Licensee, got verified and certified by the SLDC and separately for each A.C. Transmission System and grouped according to sharing of transmission charges.

2) TAFM, in percent, shall be equal to (100-100 x NAFM), where NAFM is the non-availability factor in per unit for the month, for the Transmission System / sub-system.

3) NAFM for A.C. systems / sub-systems shall be equal to:

$$= \frac{[\sum_{l=1}^{L}(OH_l \times Cktkm_l \times NSC_l) + \sum_{t=1}^{T}(OH_t \times MVA_t \times 2.5) + \sum_{r=1}^{R}(OH_r \times MVAR_r \times 4)]}{THM \times [\sum_{l=1}^{L}(Cktkm_l \times NSC_l) + \sum_{t=1}^{T}(MVA_t \times 2.5) + \sum_{r=1}^{R}(MVAR_r \times 4)]}$$

Where,

I = identifies a transmission line circuit;

t = identifies a transformer / Inter connecting transformer (ICT);

r = identifies a bus reactor, switchable line reactor or Static VAR Compensation (SVC);

L = total number of line circuits;

T = total number of bus reactors, switchable line reactors and SVCs;

R = total number of bus reactors, switchable line reactors and SVCs;

OH = Outage hours or hours of non-availability in the month, excluding the duration of outages not attributable to the Transmission Licensee,

Ckt km = Length of a transmission line circuit in km;

NSC = Number of sub-conductors per phase;

MVA = MVA rating of a transformer / ICT;

MVAR = MVAR rating of a bus reactor switchable line reactor or an SVC (in which case it would be the sum of inductive and capacitive capabilities);

THM = Total hours in the month;

4) The transmission elements under outage due to following reasons shall be deemed to be available:

   a. Shutdown availed for maintenance or construction of elements of another transmission scheme. If the other transmission scheme belongs to Transmission Licensee, the SLDC may restrict the deemed availability period to that considered reasonably by him for the work involved.

   b. Switching off of a transmission line to restrict over voltage and manual tripping of switched reactors as per the directions of SLDC.

5) Outage time of transmission elements for the following contingencies shall be excluded from the total time of the element under period of consideration:

   a. Outage of elements due to force majeure events such as war, strike riot, floods, earthquake etc. beyond the control of the Transmission Licensee.

   b. However, onus of satisfying the SLDC that element outage was due to aforesaid events and not due to design failure shall rest with the Transmission Licensee. A reasonable restoration time for the element shall be considered by SLDC and any additional time taken by the Transmission Licensee for restoration of the element beyond the reasonable time shall be treated as outage time attributable to the Transmission Licensee. SLDC may consult the Transmission Licensee or any expert for estimation of reasonable time. Circuits restored through ERS (Emergency Restoration System) shall be considered as available.

6) Outage caused by grid incident / disturbance not attributable to the Transmission Licensee, e.g.faults in substation or bays owned by other agency causing outage of the Transmission Licensee's elements and tripping of lines, ICTs, etc due to grid disturbance. However, if the element is not restored on receipt of direction from SLDC while normalizing the system following grid incident / disturbance within reasonable time, the element will be considered not available for the period of outage after issuance of SLDC's direction for restoration.

पी0एस0यू0पी–24 असाधारण गजट–11-10-2019–150 प्रतियां (डीटीपी/आफसेट)।